भारत सरकार

कार्य - निष्पादन

बजट

2005 - 2006

कोयला मंत्रालय

विषय - सूची

अध्याय सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	(i)
अध्याय- 1	उद्देश्य और संगठन	1 - 28
अध्याय- 2	वित्तीय आवश्यकता (बजट)	29 - 44
अध्याय- 3	कंपनी-वार वास्तविक कार्य-निष्पादन	45 - 90
अध्याय - 4	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	91 - 95
अध्याय- 5	वास्तविक उपलब्धियों के ब्यौरे	96 - 100

अध्याय - 1

उद्देश्य और संगठन

कोयला मंत्रालय के कार्य

1.1 कोयला मंत्रालय भारत में कोयले और लिग्नाइट के भंडारों के विकास तथा दोहन के लिए उत्तरदायी है । इस मंत्रालय को समय-समय पर यथा-संशोधित भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियमावली, 1961 के अधीन सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं : -

- भारत में कोककर तथा अकोककर कोयले और लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण और विकास ।
- कोयले का उत्पादन, पूर्ति, वितरण तथा कीमतों से संबंधित सभी मामले।
- इस्पात मंत्रालय के अधीन वाशरियों को छोड़कर, कोयला वाशरियों का विकास और कार्य-संचालन ।
- कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से सिंथेटिक तेल का उत्पादन ।
- कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।
- कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।
- कोयला खान कल्याण संगठन ।
- कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।

- कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।

- खानों से उत्पादित तथा प्रेषित कोक एवं कोयले पर उत्पाद शुल्क लगाने तथा उसकी वसूली के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत बनाए गए नियम और बचाव कोष का प्रशासन ।

- कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास), अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।

- खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन,जहां तक उक्त अधिनियम तथा कानून कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई एवं विभिन्न राज्यों से संबद्ध प्रश्नों सहित इस प्रकार के प्रशासन के प्रासंगिक कार्यों से सम्बद्ध है ।

कोयला मंत्रालय का संगठन

1.2 सचिवालय स्तर पर मंत्रालय के प्रमुख एक सचिव हैं और उनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव (जिसमें एक वित्त सलाहकार भी शामिल
है), एक परियोजना सलाहकार, 8 निदेशक/उप सचिव, 9 अवर सचिव, 18 अनुभाग अधिकारी, एक सहायक निदेशक(राजभाषा), एक उप लेखा नियंत्रक और उनका सहयोगी स्टाफ कार्यरत हैं ।

1.3 इसके अतिरिक्त, कलकत्ता में दो अधीनस्थ कार्यालय हैं जिनके नाम हैं- (1) कोयला नियंत्रक का संगठन (2) भुगतान आयुक्त का कार्यालय । इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्तशासी निकाय है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन है और जिसका मुख्यालय धनबाद में है । इस संगठन के प्रमुख कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त हैं ।

कोयला नियंत्रक का संगठन

1.4 कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में तथा क्षेत्रीय कार्यालय

धनबाद,रांची, बिलासपुर तथा नागपुर में स्थित हैं । कोयला नियंत्रक को कुछ सांविधिक कार्य करने होते हैं । विभिन्न कानूनों के अंतर्गत इसके कुछ प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैं:-

(क) कोलियरी नियंत्रण 2000 के अंतर्गत

(1) किसी कोलियरी में खनित कोयले के ग्रेड की घोषणा तथा अनुरक्षण हेतु कोयले के नमूनाकरण तथा विश्लेषण की पद्धति तथा प्रक्रिया निर्धारित करना ।

(2) कोयले की गुणवत्ता की जांच करना तथा जहां आवश्यक हो, इसका सत्यापन करना तथा ग्रेडों को घोषणा के संबंध में विवाद निपटान मशीनरी के रूप में कार्य करना ।

(3) कोयला खानों से कोयले के स्टाक अथवा कोयले के संभावित उत्पादन के निपटान का विनियमन करना ।

(4) कोई कोयला खान, सीम अथवा किसी सीम के एक भाग को खोलने की पूर्व अनुमति प्रदान करना ।

(ख) कोयला(संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गतः

कोयला नियंत्रक सदस्य सचिव होने के नाते, कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति के सभी सचिवालीय कार्यों का निष्पादन करता है । इसमें कोयला खानों आदि में अनुसंधान एवं विकास,कोलफील्डों में सड़क/रेल विकास, रेत भराई तथा सुरक्षात्मक कार्यों हेतु सहायता के लिए विभिन्न कोयला कंपनियों के अनेक दावों तथा प्रस्तावों की बहु - स्तरीय जांच शामिल है ।

कोयला कंपनियों से उपभोक्ताओं को प्रेषित कच्चे कोयले पर प्रभारित उत्पाद शुल्कों का संग्रहण तथा निर्धारण ।

(ग) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 के अंतर्गत :

देश में कोयले तथा लिग्नाइट पर सांख्यिकीय सूचना के संग्रहण तथा प्रकाशन हेतु सांख्यिकीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है ।

(घ) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम - 1957 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत :

कोयला धारी क्षेत्रों के अधिग्रहण में आपत्तियों का निपटारा करने के लिए सुनवाई प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है ।

1.5 उपर्युक्त सांविधिक कार्यों के अतिरिक्त, कोयला नियंत्रक तत्कालीन कोयला बोर्ड के शेष कार्य तथा समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य विविध कार्यों की देखभाल करने की जिम्मेदारी का निर्वाह भी करता है ।

भुगतान आयुक्त

1.6 भुगतान आयुक्त के दो कार्यालय थे, जिनमें एक का मुख्यालय धनबाद में स्थित था, जो राष्ट्रीयकृत कोककर कोयला खानों में मुआवजे, आदि के निर्धारण के लिए था और दूसरा कार्यालय राष्ट्रीयकृत अकोककर कोयला खानों के मुआवजे, आदि का निर्धारण करने के लिए था जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था । चूंकि धनबाद कार्यालय का काफी काम समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय को बंद कर दिया गया था और इसका बकाया कार्य भुगतान आयुक्त (अकोककर) कोलकाता के कार्यालय को अन्तरित कर दिया गया है । इस समय कोयला नियंत्रक स्वयं ही भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सी.एम.पी.एफ.ओ.)

1.7 कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है । इस संगठन के प्रशासन के अधीन कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948, कोयला खान जमा-सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कोयला खान पेंशन योजना, 1998 आती हैं । ये सभी योजनाएं 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार की गई हैं ।

कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला कंपनियां

1.8 निम्नलिखित दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं : -

1) कोल इंडिया लि0., तथा
2) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.

कोल इंडिया लि0 (सी.आई.एल.)

1.9 कोल इंडिया लि0, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, एक नियंत्रक कंपनी है । इसकी सात उत्पादक सहायक कंपनियां हैं तथा एक आयोजन तथा डिजाइन अनुषंगी कंपनी है, अर्थात् : -

1) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 (ई.को.लि.),संकतोड़िया (प.बंगाल)
2) भारत कोकिंग कोल लि0 (भा.को.को.लि.),धनबाद (झारखंड)
3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0 (से.को.लि.), रांची (झारखंड)
4) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0 (ना.को.लि.), सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
5) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0(वे.को.लि.), नागपुर (महाराष्ट्र)
6) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0(सा.ई.को.लि.),बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
7) महानदी कोलफील्ड्स लि0 (म.को.लि.), संबलपुर (उड़ीसा)
8) सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0(सी.एम.पी.डी.आई.एल.),रांची (झारखंड) ।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (ने.लि.का.)

1.10 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0, जिसका मुख्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में स्थित है, मुख्यतः तमिलनाडु में लिग्नाइट भंडारों के दोहन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन में लगा हुआ है ।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0 (सिं.को.कं.लि.)

1.11 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0 1920 में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित की गई थी जो 1956 में एक सरकारी कंपनी बनी और इसका मुख्यालय कोठागुडम, आंध्र प्रदेश में है । यह कंपनी आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है । इस कंपनी की शेयर पूंजी आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के पास क्रमशः 51:49 के अनुपात में है । यह कंपनी आंध्र प्रदेश राज्य में कोयले के भंडारों के दोहन का कार्य करती है।

1.12 कोयला मंत्रालय के विस्तृत कार्यक्रम तथा योजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं :-

(i) कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन तथा प्रेषण

(ii) विद्युत उत्पादन
(iii) क्षेत्रीय अण्वेषण
(iv) सूचना ओर प्रौद्योगिकी
(v) अनुसंधान और विकास (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
(vi) पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण्
(vii) कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा
(viii) कोल फील्डों में परिवहन अवसंरचना का विकास

1.13 कोल इंडिया लि. नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. को कोई बजटीय सहायता नहीं प्रदान की जाती है और वे स्वयं द्वारा सृजित संसाधनों के माध्यम से काम करते हैं किन्तु उन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

आर्थिक कार्यक्रम

1.14 यह मंत्रालय तथा इसके उपक्रम मुख्य रूप से कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन की ओर, इनकी बढ़ती मांग को पूरा किए जाने के लिए उन्मुख हैं । इसके साथ-साथ, कोयले का परिष्करण/धुलाई, लदान तथा प्रेषण सुविधाओं जैसी सभी परियोजना आवर्ती गतिविधियों और कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण के उपायों पर आवश्यक तथा उचित समय पर कार्रवाई करना भी अपेक्षित है । साफ्ट कोक का उत्पादन, धुआं-रहित ईंधन के लिए निम्न तापीय कार्बनीकरण, कोयले का गैसीकरण जैसे अन्य सहायक/मूल्यवर्द्धन क्रियाकलाप भी शुरू किए गए हैं । नए भण्डारों का अन्वेषण तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी मंत्रालय के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं। इसके अतिरिक्त, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिग्नाइट के भण्डारों के अन्वेषण तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के उत्पादन आदि में कार्यरत है।

1.15 कोयला भारत में विद्युत का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है । अधिकांश उत्पादित विद्युत तापीय विद्युत गृहों से प्राप्त की जाती है, जो फीड स्टॉक के रूप में कोयले पर निर्भर है । इसके अतिरिक्त, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रसायन, कागज जैसे अन्य उद्योग तथा हजारों मध्यम तथा लघु उद्योग अपनी गतिविधि तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए भी कोयले पर निर्भर है । यद्यपि परिवहन क्षेत्र में रेलवे द्वारा स्टीम इंजनों को धीरे-धीरे समाप्त किए जाने के कारण कोयले का प्रत्यक्ष

उपभोग नाममात्र है किन्तु विद्युत चालित इंजनों में वृद्धि भी कोयले से परिवर्तित विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है । अतएव, कोयला मंत्रालय देश के कोयले के स्रोतों को इस तरह से विकसित करने में लगा है जिससे विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों के कोयले की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी हों और तेल /आयातित कोयले पर उनकी निर्भरता न्यूनतम रहे । कोयले की अखिल भारतीय क्षेत्र-वार मांग नीचे दी गई है :-

कोयले की अखिल भारतीय क्षेत्र-वार मांग

(मि.टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2002-03 वास्तविक	2003-2004 (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE)	2004-2005 सं.अनु.	2005-2006 ¤É.+ÉxÉ
I	कोकिंग कोयला				
i	इस्पात (देशीय)	16.81	16.84	17.97	15.66
ii	निजी कोकरीज़/ कोक ओवन	0.86	0.71	0.60	2.50
iii	इस्पात (आयात)	12.95	12.99	16.05	23.89
iv	**={É VÉÉ½**	**30.62**	**30.54**	**34.62**	**42.05**
II	नॉन-कोकिंग कोयला				
i	विद्युत (उपयोगिताएं) आर.सी.	252.78	268.13	285.19	303.56
ii	विद्युत (उपयोगिताएं) मिडलिंग	(1.71)	(1.44)	(1.33)	(1.57)
iii	विद्युत (ग्रहीत) आर.सी.	19.16	22.14	24.75	27.35
iv	विद्युत (ग्रहीत) मिडलिंग	(1.53)	(1.75)	(1.87)	(2.07)
v	स्पंज आयरन/ सी.डी.आई.	6.17	7.82	10.15	10.40
vi	बी.आर.के. और अन्य/एल.टी.सी./ एस.एस.एफ./एनएलडब्ल्यू कोकरीज/कोक ओवन	34.22 (0.01)	32.05 (0.00)	37.77 (0.00)	37.33 (0.00)
vii	लोको/रेलवे				
viii	सीमेन्ट	16.36	16.79	18.55	20.22
ix	उर्वरक	2.54	2.07	2.44	3.43
x	निर्यात	0.01	0.04	0.02	0.02
xi	कोलियरी उपभोग	1.48	1.33	1.33	1.29
xii	नॉन-कोकिंग कोयला आयात	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप जोड़	**332.72**	**350.37**	**380.20**	**403.47**
	जोड़ कच्चा कोयला ÉàÉbÉãÉMÉ	**363.34 (3.25)**	**380.91 (3.19)**	**414.82 (3.20)**	**445.52 (3.64)**

1.16 निवेश के निरन्तर कार्यक्रम तथा आधुनिक प्रौद्यिगिकी को लागू करने पर अधिक बल देकर 70 के दशक के शुरू के वर्षों में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय लगभग 70 मि.टन के कोयले के उत्पादन स्तर को 2004-05 में बढ़ाकर लगभग

381.85 मि.टन (अखिल भारतीय) करना संभव हो सका है । वर्ष 2006-2007 में कोयले का उत्पादन 424.27 मि.टन तक हो जाएगा । कोयले के अखिल भारतीय उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

अखिल भारतीय कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

	2002-03 वास्तविक	**2003-04 वास्तविक**	**2004-05 सं.अनु.**	**2005-06 ब.अनु.**
को.इं.लि.	290.69	306.36	323.18	343.00
एस.सी.सी.एल.	33.16	33.85	35.00	36.00
+ÉxªÉ	17.38	20.83	22.91	26.38
जोड़ (अखिल भारतीय)	341.23	361.04	381.09	405.38

1.17 कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से, नई कोयला खनन परियोजनाओं तथा इनके कल्याणकारी क्रियाकलापों को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ।

कोयले का प्रेषण तथा पिट-हैड स्टॉक

1.18 वर्ष 2003-04 में कोयले का प्रेषण 303.24 मि.टन तथा वर्ष 2004-2005 में 320.51 मि.टन तक पहुंच गया था तथा 2005-2006 के दौरान अनुमानित प्रेषण लगभग 342.99 मि.टन है । भारत में कोयले के परिवहन के लिए रेल मुख्य साधन है । परिवहन की अन्य महत्वपूर्ण पद्धतियाँ मेरी-गो-राउंड प्रणाली, कन्वेयर बेल्ट, सड़क और रेल-सह-समुद्री मार्ग हैं। कोयला के प्रेषणों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है । मार्च, 2004 के अंत में विक्रेय कोयला स्टॉक 21.33 मि.टन था । मार्च, 2005 के अंत में यह 23.34 मि.टन हो गया । यह अनुमान है कि मार्च 2006 के अन्त में यह घटकर 22.24 मि.ट. हो जाएगा ।

1.19 वर्ष 2003-2004 (वास्तविक), 2004-2005 (वास्तविक) और 2005-2006 (ब.अ.) के लिए कोयले के प्रेषणों और मार्च, 2004, मार्च, 2005 तथा मार्च, 2006 (प्रत्याशित) के अंत में स्टॉक (विक्रेय) के लिए अखिल भारतीय आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

कंपनी-वार कोयला प्रेषण तथा स्टॉक (विक्रेय)

(मि.टन में)

कंपनी	कोयला प्रेषण			कोयला स्टॉक (विक्रेय)		
	2003-04 वास्तविक	2004-05 वास्तविक	2005-06 ¤É.+ÉxÉ.	मार्च, 2004 वास्तविक	मार्च, 2005 वास्तविक	मार्च, 2006 |ÉiªÉÉÉ¶ÉiÉ
ई.को.लि.	26.91	26.67	29.34	2.89	2.94	2.94
भा.को.को.लि.	23.39	22.08	24.12	2.97	2.85	2.55
से.को.लि.	36.20	35.74	40.80	5.08	6.62	6.12
ना.को.लि.	46.49	50.12	51.00	1.77	1.60	1.40
वे.को.लि.	39.16	40.28	41.88	1.10	2.19	2.19
सा.ई.को.लि.	70.87	78.76	82.91	3.99	3.74	3.74
म.को.लि.	59.35	66.29	71.99	3.20	3.01	3.01
ना.ई.को.	00.87	00.57	00.95	0.33	0.39	0.29
जोड़ (को.इं.लि.)	**303.24**	**320.51**	**342.99**	**21.33**	**23.34**	**22.24**

कोयले का वितरण

1.20 भारत सरकार ने कोलियरी नियन्त्रण आदेश , 1945 के स्थान पर नए कोलियरी नियन्त्रण आदेश, 2000 की स्थापना की है जिसके अनुसार सभी ग्रेड के कोयले के मूल्य तथा वितरण को 1.1.2000 से विनियन्त्रित कर दिया गया है। कोयला प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं को दो विस्तृत समूहों-नामतः कोर क्षेत्र और नान-कोर क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1.21 अन्तर्मंत्रालयी निकाय, विद्युत (उपयोगिता + गृहीत) और सीमेन्ट संयंत्र, स्थायी लिंकेज समिति (अल्पावधि) के लिए दीर्घावधि लिंकेज के आधार पर तिमाही आधार पर मासिक आबंटन अनुमोदित करती है। इस्पात तथा स्पांज आयरन संयंत्र के लिए कोयले की आपूर्ति क्रमशः वार्षिक संविदा मात्रा और दीर्घावधि लिंकेजों के आधार पर मासिक/तिमाही आबंटनों के अनुसार की जाती है।

उर्वरक संयंत्रों के मामले में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय प्रत्येक संयंत्र की वार्षिक आवश्यकता को प्रायोजित करता है और इस प्रकार प्रदान किए गए प्रायोजन के आधार पर, कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति की जाती है। जहां तक रक्षा का संबंध है, रक्षा कोयला प्रकोष्ठ (रक्षा मंत्रालय) द्वारा जारी मासिक आबंटन के अनुसार आपूर्ति की जाती है।

कागज और अल्यूमीनियम यूनिटों के मामले में, केन्द्रीय पी.एस.यू., जिन्हें हाल ही में कोर-क्षेत्र में शामिल किया गया है, कोयला अधिकतम अनुमेय मात्रा (एमपीक्यू) के आधार पर आपूर्ति किया जाता है जिसका निर्धारण पिछले 3 वर्षों के दौरान की गई उच्चतम बुकिंग के आधार पर किया जाता है। कोर क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी प्राथमिकताओं को शामिल करने से एमपीक्यू की अवधारणा समाप्त हो जाती है और उनके एमपीक्यू को अब ऐसी नई शामिल यूनिटों के लिए लिंक्ड मात्रा के रूप में माना जाता है।

नान-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री प्रणाली

वैध नान-कोर क्षेत्र के लिंक्ड उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति, कोल इंडिया लि. और राज्य सरकार के स्पांशरशिपों की तत्कालीन नान-कोर लिंकज समिति द्वारा प्रदत्त लिंकेज के आधार पर की जा रही थी। हाईकोर्ट, कोलकाता के आदेश के अनुपालन मे कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लि. नान-कोर उपभोक्ताओं को कोयले की ब्रिक्री करने की नई नीति बना रहे है। इसके मद्देनजर, सरकार ने परीक्षण आधार पर अपने वैध लिंक्ड उपभोक्ताओं को बीसीसीएल में इन्टरनेट पर इलेक्ट्रानिक बोली के माध्यम से नान-कोर उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया है। बीसीसीएल से प्राप्त जानकारी और उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर इस ई-नीलामी योजना के विस्तार की समीक्षा की जाएगी और उससे एक अनुभव मिलेगा।

कोकिंग कोयला/साफ्ट कोक

1.22 इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले कोककर कोयले की बेहतर तथा समान गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने के लिए उसकी धुलाई करना अपेक्षित होता है। इस प्रयोजन के लिए को.इं.लि. में फिलहाल 11 वाशरियां कार्य कर रही हैं । इस्पात संयंत्रों (दुर्गापुर कोक ओवन संयंत्र सहित) को आपूर्ति करने के लिए कोकिंग कोल की उपलब्धता 2004-2005 में 10.51 मि.टन थी । 2005-2006 के लिए प्रत्याशित उपलब्धता 11.93 मि.टन होगी । वर्ष 2006-2007 के लिए 12.81 मि.टन का लक्ष्य रखा गया है ।

1.23 वर्ष 2004-05 वास्तविक, ब.अनु. 2005-06 तथा सं. अनु. 2005-06 और ब.अनु. 2006-07 के उत्पादन कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं :-

एन.एल.सी. हेतु उत्पादन कार्यक्रम

मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 ब.अनु.	2005-06 सं.अनु.	2006-07 ब.अनु.
1. लिग्नाइट (मि.ट.)	21.57	20.40	20.40	20.40
2. विद्युत(एम.यू.)	16746	15705	15705	15705

अन्वेषण

1.24 देश में कोयले के भंडारों का अन्वेषण दो चरणों में किया जाता है । पहले चरण में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) निरंतर आधार पर संभावित कोयला धारी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य करता है । क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रयासों को पूरा करने के लिए, सी.एम.पी.डी.आई., भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और खनिज अन्वेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल.) की सेवाएं भी ली गई हैं, ताकि देश के विभिन्न भागों में संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण का कार्य किया जा सके । कोयला विभाग ने योजनागत स्कीम "कोयला तथा लिग्नाइट के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण" के अंतर्गत अलग से प्रावधान किया है। कोयला तथा लिग्नाइट पर उपसमिति, (केन्द्रीय भू-गर्भीय कार्यक्रमण बोर्ड के दल - III) जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, के.खा.आ.डि.सं.लि., सिंगरेनी कोल्फील्डस कम्पनी लि0 (सिं.को.कं.लि.), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (ने.लि.का.लि.), सी.एफ.आर.आई. आदि के प्रतिनिधि होते है, क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य का समन्वय करती है और उनकी समीक्षा करती है । सी.एम.पी.डी.आई कोयले के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण के क्षेत्र में एम.ई.सी.एल. के कार्य के पर्यवेक्षण करने के अतिरिक्त अन्वेषण एजेंसियों को निधियों के वितरण के लिए नोडल अभिकरण का कार्य भी करता है ।

1.25 दूसरे चरण में, कोयला कंपनियों, राज्य सरकारों, सी.एफ.आर.आई. आदि के परामर्श से क्षेत्रीय/संवर्धनात्मक अन्वेषण के आधार पर पहचाने गए संभावित खंडों में व्यापक अन्वेषण किया जाता है । विस्तृत अन्वेषण शुरू करने के लिए विभिन्न ब्लाकों की प्राथमिकताओं का निर्णय ग्राहक की मांग व उसकी अवस्थिति, कोयले की निकासी हेतु संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, खनन परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवस्था, कोयले की गुणवत्ता तथा भूमि अधिग्रहण, वनीय स्वीकृति पुनर्वास आदि से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रख कर किया जाता है । विस्तृत अन्वेषण का वित्त -पोषण कोयला कंपनियों द्वारा पूंजीगत बजट से किया जाता है तथा इनका निष्पादन सी.एम.पी.डी.आई. तथा एस.सी.सी.एल. द्वारा सीधे रूप से तथा सीमित तरीके से राज्य सरकारों के माध्यम से भी किया जाता है विस्तृत अन्वेषण पूरा होने के बाद भू-वैज्ञानिक रिपोर्टे खान व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाती हैं । इन रिपोर्टों

का उपयोग देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयला भंडारों के अन्वेषण हेतु किया जाता है ।

1.26 वर्ष 1997-98 तक कोयला कंपनियां सभी ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण के लिए वित्त पोषण करती रही थी । सी.आई.एल. द्वारा अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए अपने पास रखे जाने वाले ब्लाकों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद कोयला कंपनियों ने 1998-99 से गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण के लिए वित्त पोषण करना बंद कर दिया। इस समय सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने सरकारी निधि से गैर-सी.आई.एल ब्लाकों में अन्वेषण कराने का प्रस्ताव किया है ताकि ऐसे क्षेत्रों में अन्वेषण की गति को बनाए रखा जा सके और कैप्टिव कोयला खनन के लिए निजी उद्यमियों को पर्याप्त सूचना प्रदान की जा सके । कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआईएल के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और 9वीं योजना के दौरान गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण के लिए निधियां दी हैं । कई गैर-सी.आई.एल ब्लाक निजी उद्यमियों को कैप्टिव खनन उपयोग के लिए आवंटित किए गए हैं जबकि शेष ब्लाकों के लिए अन्वेषण तथा आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

नवम्बर, 2003 में कोयला मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि इसके बाद केप्टिव ब्लॉकों में सभी अन्वेषण सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा अथवा उसके सीधे पर्यवेक्षण में किया जाएगा । तब तक केप्टिव ब्लॉक का आबंटन नहीं किया जाएगा । तब तक केप्टिव ब्लॉक का आबंटन नहीं किया जाएगा जब तक उपलब्ध डाटा (निष्कर्षणीय भंडारों के मूल्यांकन सहित) पर खनन योजना का आधार रखने के लिए ब्लॉक का पर्याप्त रूप से अन्वेषण न किया गया हो ।

1.27 कोयला मंत्रालय ने 10 वीं पंचवर्षीय योजना में कोयला तथा लिग्नाइट के प्रोन्नत अन्वेषण की योजना को जारी रखने को भी अनुमोदित कर दिया है। इसमें प्रोन्नत अन्वेषण के साथ-साथ कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन, सूचना प्रणाली तथा सी.बी.एम. अध्ययन शामिल हैः-

क्षेत्रीय अन्वेषण

1.28 जी.एस.आई., एम.ई.सी.एल. तथा सी.एम.पी.डी.आई.एल. 10वीं योजना में भी क्षेत्रीय अन्वेषण कर रही हैं । वर्ष 2004-05 में की गई प्रोन्नत ड्रिलिंग तथा 2005-06 और 2006-07 हेतु कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं **:-**

(मीटर में)

कमांड क्षेत्र	**2004-05** वास्तविक	**2005-06** **ब.अनु.**	**2005-06** **सं. अनु.**	**2006-07** **ब.अनु.**
क. वास्तविक				
1. सीआईएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग	62426	48300	64150	62225
2. एससीसीएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग	15110	17000	25000	24000
3. लिग्नाइट क्षेत्र में ड्रिलिंग	57026	47700	69200	68100
जोड़	134562	113000	158350	154325
ख. वित्त (करोड़ रू.में)				
प्रोन्नत अन्वेषण	32.68	40.04	48.80	48.64
कोयला संसाधन सूचना प्रणाली	4.54	4.87	2.59	5.25
लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली	3.46	2.02	1.50	2.54
कोयला तथा लिग्नाइट में संबद्ध सीबीएम अध्ययन	2.32	2.95		3.57
कुल जोड़	43.00 *	49.88 *	49.88 **	60.00**
		* 4.97 पूर्वोत्तर के लिए	* 10.20 पूर्वोत्तर के लिए	*10.52 पूर्वोत्तर के लिए

* कोयला मंत्रालय द्वारा रिलीज किया गया ** एन.ई.सी. के प्रावधान को छोड़कर कोयला मंत्रालय द्वारा रिलीज किया जाना है ।

विस्तृत अन्वेषण

1.29 सीएमपीडीआई कार्यक्रम के अनुसार सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण जारी रखे हुए हैं । इसके अलावा, गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग की आर.सी.ई के अनुसार सी.एम.पी.डी.आई.एल. गैर - सी.आई.एल ब्लाकों/गृहित खनन ब्लाकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग भी कर रहा है । 2005-06 (सं.अ.) के दौरान गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों/कैप्टिव खनन ब्लाकों में कुल 32000 मी. विस्तृत ड्रिलिंग किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए एम.ओ.यू निधि से 22.76 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी । सी.आई.एल. ब्लाकों में ड्रिलिंग कार्यक्रम में 151200 मी. ड्रिलिंग हेतु इसी वर्ष के दौरान सी.आई.एल. की सहायक कम्पनियों से 67.77 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी ।

1.30 सी.आई.एल. के कमान क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2004-05 में की गई वास्तविक ड्रिलिंग का ब्यौरा तथा ब.अनु/सं. अनु. 2005-06 एवं ब.अनु. 2006-07 हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

कोयले का विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम (सीआईएल के कमान क्षेत्र में सीआईएल/गैर-सीआईएल/गृहीत खनन ब्लाक)

(मीटर में)

कम्पनी	2004-05		2005-2006		2005-2006		2006-2007	
	को.इं.लि. द्वारा वित्त पोषित	कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित	को.इं.लि. द्वारा वित्त पोषित	कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित	को.इं.लि. द्वारा वित्त पोषित	कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित *	को.इं.लि. द्वारा वित्त पोषित	कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित
1) सी.एम.पी.डी.आई.एल.	117674	48058	142350	38350	144200	32000	144600	30500
2) एम.ई.सी.एल.		10835						
3) अन्य	8193		7000		7000		7000	
जोड़ (सी.आई.एल.)	125867	58893	143950	38350	151200	32000	151600	30500
बजट प्रावधान (करोड़ रुपए में)	61.50	*22.5	65.89	**18.81	67.77	**18.81	70.18	**11.61

* कोयला मंत्रालय द्वारा रिलीज किया गया ** पूर्वोत्तर क्षेत्र. के प्रावधान को छोड़कर कोयला मंत्रालय द्वारा रिलीज किया जाना है ।

कोयला भण्डार

जी.एस.आई. एम.ई.सी.एल., सी.एम.पी.डी.आई., एस.सी.सी.एल. तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा 1200 मीटर की गहराई तक क्षेत्रीय /प्रोन्नत अन्वेषण तथा विस्तृत अन्वेषण के परिणामस्वरूप दिनांक 1.1.2005 को देश में कुल 247847 मिलियन टन संचयी कोयला संसाधन स्थापित किए गए हैं । 1.1.2006 के अनुमान जी.एस.आई में तैयार किए जा रहे हैं ।

भण्डारों का राज्य-वार वितरण तथा उनका श्रेणीकरण निम्नानुसार हैं

भारत में कोयले के राज्य-वार भंडार

(मिलियन टन में)

राज्य	प्रमाणित	विनिर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	8263	6079	2584	16926
अरूणाचल प्रदेश	31	40	19	90
असम	279	27	34	340
बिहार	0	0	160	160

छत्तीसगढ़	9373	26191	4411	39975
झारखण्ड	35417	30439	6348	72204
मध्य प्रदेश	7513	8815	2904	19232
महाराष्ट्र	4653	2309	1620	8582
मेघालय	117	41	301	459
नागालैंड	4	1	15	20
उड़ीसा	15161	30976	14847	60984
उत्तर प्रदेश	766	296	0	1062
पश्चिम बंगाल	11383	11876	4554	27813
जोड़	**92960**	**117090**	**37797**	**247847**

(पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी कोयला सहित)

1.1.2005 की स्थिति के अनुसार भारत के बनावट-वार एवं किस्म-वार कोयला भंडार नीचे दिए गए हैं-

भारतीय कोयले के किस्म वार भण्डार

(मिलियन टन में)

कोयले की किस्म	**प्रमाणित**	**विनिर्दष्ट**	**अनुमानित**	**जोड़**
कोकिंगः				
प्राइम कोकिंग	4614	699		5313
मध्यम कोकिंग	11417	11765	1889	25071
अर्द्ध कोकिंग	482	1003	222	1707
उप-जोड़ (कोकिंग)	16513	13467	2111	32091
नॉन-कोविंम	76447	103623	35686	215756
जोड़(कोकिंग एवं नॉन-कोकिंग)	92960	117090	37797	247847

पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण

1.31 पर्यावरणीय उन्नयन तथा सहयोजित उपशमन संबंधी उपाय, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सतत प्रक्रिया है । सरकार द्वारा किसी कोयला खनन परियोजना की मंजूरी के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ई.एम.पी.) की तैयारी तथा उनका अनुमोदन पूर्व अपेक्षित है । तदनुसार, ई.एम.पी. में यथानिर्धारित पर्यावरणीय नियंत्रण उपायों का क्रियान्वयन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ शुरू किया जाता है । उपर्युक्त योजना के बजट प्रावधान का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रू में)

वास्तविक 2004-05	ब.अ. (2005-06)	सं.अ (2005-06)	ब.अ. (2006-07)
48.50	44.86	28.64	55.90

1.32 दसवीं योजना अवधि के दौरान पर्यावरणीय प्रबंधन में अधिक बल दिए जाने वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्र में पुरानी, परित्यक्त, जलमग्न खानों में धंसाव पर नियंत्रण।
(ख) झरिया कोयला क्षेत्र में खान की आग तथा धंसाव पर नियंत्रण।
(ग) रानीगंज, झरिया, बोकारो, करनपुरा आदि जैसे अधिक पुराने कोलफील्डों में उत्खनित क्षेत्रों का सुधार ।

1.33 पुरानी, परित्यक्त और जलमग्न खदानों में धंसाव की समस्या पूर्व में उथली सतह के नीचे अवैज्ञानिक रूप से किए गए कोयले के उत्खनन के कारण उत्पन्न हुई है तथा यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र तक ही सीमित है ।

1.34 रानीगंज कोयला क्षेत्र की इस समस्या के लिए सी.आई.एल. द्वारा 1990 में एक शीर्षस्थ निगरानी समिति का गठन किया गया, जिसमें कोयला कंपनी, जिला प्रशासन, खान सुरक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि और जनता के प्रतिनिधि (सांसद, विधायक आदि) शामिल हैं ।

1.35 भारतीय कोयला के स्वतः ज्वलनशील प्रकृति का होने के कारण कोयला खानों में आग लगने की घटनाएं होती हैं । झरिया में कोयला क्षेत्र में पहली बार आग लगने की सूचना 1916 में मिली थी । वर्ष 1971 में कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय लगभग 17 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में 70 स्थलों में सक्रिय आग फैली हुई थी। इनमें से 10 स्थलों की आग को बुझा दिया गया है । आगे कार्य प्रगति पर है ।

1.36 रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्रों में लगी आग तथा धंसाव संबंधी समस्या से व्यापक रूप से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1996 में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें योजना आयोग, श्रम मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार, खान-सुरक्षा महा-निदेशक, को.इं.लि., सी.एम.पी.डी.आई., भा.को.को.लि. तथा ई.को.लि. के प्रतिनिधि सदस्य थे । इस समिति

ने दिसम्बर, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । तदनुसार, रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों के लिए अस्थिर और आग प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं । प्रथम चरण में, बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. के कमान क्षेत्र में प्रत्येक के लिए क्रमशः 33.88 करोड़ रुपए और 32.52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दो योजनाएं मंजूर की गई हैं । बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की स्थिति निम्नानुसार है : -

"ई.सी.एल. में चार अस्थिर स्थलों की स्थिरीकरण" योजना की स्थिति :

क्र.सं.	अस्थिर स्थानों के नाम	30.10.2005 को स्थिति
1	सामडीह गांव (सालानपुर क्षेत्र)	ग्राम समिति का गठन किया गया है । प्रभावित स्थल की वीडियोग्राफी तथा घर के मुखिया की फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया है । जनसांख्यिकी सवेक्षण, भूमि के अभिलेख का सत्यापन, और निवासियों के मूल्यांकन का आकलन पूरा हो गया है । परिवार के मुखिया को पहचान पत्र जारी करने का कार्य चल रहा है । प्रस्तावित पुनर्वास स्थल का चयन कर लिया गया है ।
2	केन्डा गांव (कान्डा क्षेत्र)	ग्राम समिति का गठन किया गया है । प्रभावित स्थल की वीडियोग्राफी तथा घर के मुखिया की फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया है । जनसांख्यिकी सवेक्षण पूरा हो गया है भूमि के अभिलेख का सत्यापन, और निवासियों के मूल्यांकन का आकलन किया जा रहा है । परिवार के मुखिया को पहचान पत्र जारी करने का कार्य चल रहा है । प्रस्तावित पुनर्वास स्थल का चयन कर लिया गया है ।
3	बंगाल पारा (पांडवेश्वर)	ग्राम समिति का गठन किया गया है । प्रभावित स्थल की वीडियोग्राफी तथा घर के मुखिया की फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया है । जनसांख्यिकी सवेक्षण और भूमि के अभिलेख का सत्यापन पूरा हो गया है । निवासियों के मूल्यांकन का आकलन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा । परिवार के मुखिया को पहचान पत्र जारी करने का कार्य चल रहा है । प्रस्तावित पुनर्वास स्थल का चयन किया जा रहा है ।

4	हरीशपुर गांव (काजोरा क्षेत्र)	ग्राम समिति का गठन किया गया है । प्रभावित स्थल की वीडियोग्राफी तथा घर के मुखिया की फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया है । जनसांख्यिकी सवेक्षण पूरा हो गया है । भूमि के अभिलेख का सत्यापन, और निवासियों के मूल्यांकन का आकलन पूरा हो गया है । परिवार के मुखिया को पहचान पत्र जारी करने का कार्य चल रहा है । प्रस्तावित पुनर्वास स्थल का चयन कर लिया गया है ।

ईएमएससी-24 "बी.सी.सी.एल. के अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों के स्थानांतरण की योजना" की स्थिति :-

इस योजना में 4600 आवास परिकल्पित है (बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों हेतु 1500 तथा गैर-बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों हेतु 3100) । बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों के लिए 344 घरों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है जिनमें से 157 परिवार स्थानांतरित हो गए हैं। 1152 बीसीसीएल परिवारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु निविदा को अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा है। 3100 गैर बी.सी.सी.एल. मकानों के निर्माण के लिए गैर बी.सी.सी.एल. के 3100 मकानों के निर्माण के मामले से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा 2-3-1998 के आदेश संख्या बीएम/17/96/980/एम द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। आयुक्त, छोटा नागपुर मण्डल, बिहार राज्य इस समिति के अध्यक्ष हैं । ख़तरे वाले क्षेत्र से गैर-बी.सी.सी.एल. कार्मिकों के पुनर्वास के मुद्दे पर उक्त समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के समय यह पाया गया कि पारम्परिक इंदिरा आवास योजना के प्रकार के घरों की आधारभूत विशेषताओं में कई अन्तर्निहित खामियाँ हैं । इस प्रकार की पारंपरिक इकाईयों के निर्माण के पीछे सोच मुख्यतः ग्रामीण लोगों के लिए आवास इकाईयों का निर्माण करना है जबकि वर्तमान स्थिति में पुनर्वास शहरी तबके के लोगों से संबंधित है, भले ही वे आर्थिक रूप से गरीब थे । इसके परिणामस्वरूप यह महसूस किया गया है कि इस प्रकार के मकान लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाएंगे तथा वे उन मकानों में जो उनके विद्यमान आवास से दूर हैं, स्थानांतरित होने में अनिच्छुक होंगे । अतः समिति ने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेहतर सुविधाओं से युक्त विस्थापित आवास प्रदान करने का सुझाव दिया । अतः योजना को संशोधित करना था। मूल योजना को फरवरी, 2003 में 61.09 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से संशोधित किया गया है। गैर-बीसीसीएल मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 203.15 लाख रू. की राशि प्रदान की गई है। झारिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण बेलगोरिया मौजा में मकानों के निर्माण का कार्य कर रहा है ।

गैर-बीसीसीएल मकानों का डेमोग्राफिक सर्वेक्षण झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ बीसीसीएल द्वारा राज्य सरकार को 5.40 लाख रू. दिए जाने हैं। सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा बी.सी.सी.एल. का डेमोग्राफिक सर्वेक्षण किया जाना है।

1.37 रानीगंज, झरिया, बोकारो और करणपुरा जैसे पुराने कोयला क्षेत्रों में, ओपनकास्ट और भूमिगत दोनों खानों के कारण उत्खनित क्षेत्रों को, विशेषतः राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि में, बिना किसी सुधार के छोड़ दिया गया था । इन निम्नीकृत क्षेत्रों के सुधार के लिए ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. के कमान क्षेत्रों में सुधार योजनाएं तैयार की गई हैं । बी.सी.सी.एल. में दो स्कीमें, ई.सी.एल और सी.सी.एल. में एक-एक स्कीम क्रियान्वित की जा रही है ।

1.38 पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 15.12.2000 तक ई.एम.एस.सी योजनाओं के अंतर्गत किया गया वास्तविक संवितरण 93.50 करोड़ रुपए है । जिसमें 2001-02 में पुनर्वास, आग के नियंत्रण और धंसाव की चार योजनाएं शामिल हैं। संशोधित अनुमान 2005-06 और बजट अनुमान 2005-06 क्रमशः 30.41 करोड़ रूपए, 44.86 करोड़ रूपए हैं । जबकि 2006-07 का ब.अ. 55.92 करोड़ रू प्रस्तावित है।

अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

1.39 अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों को कोयला क्षेत्र में स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एस.एस.आर.सी.) नामक एक शीर्षस्थ निकाय के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) हैं । इस शीर्षस्थ निकाय में को.इं.लि. के अध्यक्ष, के.खा.आ.डि.सं.लि., सिं.को.कं.लि. तथा ने.लि.का. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, संबद्ध सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं के निदेशक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं । एस.एस.आर.सी. के मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं - योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना तथा अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना और किए गए अनुसंधान तथा विकास कार्य के निष्कर्षों को लागू कराना । को.इं.लि. के आंतरिक अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के लिए, अध्यक्ष, को.इं.लि. की अध्यक्षता में एक अनुसंधान व विकास बोर्ड भी कार्यरत है ।

1.40 एस.एस.आर.सी. की सहायता 4 स्थाई उप-समितियों द्वारा की जा रही है, जिनमें से प्रत्येक अनुसंधान के निम्नलिखित 4 संबद्ध मुख्य क्षेत्रों में से एक का कार्य देखती हैः-(i) उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा (ii) कोयला परिष्करण (iii) कोयले का उपयोग (iv) पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी ।

1.41 सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल) कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लि. द्वारा वित्त पोषित सी.आई.एल.आर. एण्ड डी बोर्ड परियोजनाओं द्वारा वित्त पोषित कोयला एस एण्ड टी परियोजनाओं के समन्वय और मॉनीटरिंग की नोडल एजेंसी है । इन परियाजनाओं को कोयला तथा लिग्नाइट खनन कम्पनियों की सक्रिय भागीदारी के साथ कोयला और सम्बद्ध उद्योगों के विभिन्न अनुसंधान तथा अकादमी संस्थान द्वारा पूरा किया गया है । सी.एमपी.डी.आई कई अनुसंधान परियोजनाओं की नोडल एजेंसी होने के अलावा इसे सी.एम.पी.डी.आई द्वारा कार्यान्वित भी किया गया है / कार्यान्वित किया जा रहा है ।

1.42 10 वीं योजनावधि के दौरान कोयला एस एण्ड टी अनुदानों के अन्तर्गत कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित कोयला एस एण्ड टी परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गयी हैं :-

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (10.12.2005 तक)	2006-07 (अनुमानित)
क. वास्तविक					
स्वीकृत परियोजना	10	18	8	9	10
पूरी की गयी परियाजना	10	10	10	6 (कुल10 संभावित)	15
बन्द की गई परियोजना	-	1	-	-	-
ख. वित्तीय					**(करोड़ रू में)**
ब.अ.	7.55	22.48	9.88	20.08	21.09
स.अ.	9.50	10.04	12.43	14.84 (प्रस्तावित)	- (प्रस्तावित)
संवितरण	6.04	9.82	12.73	10.51	-

1.43 कोयला कम्पनियों को प्रभावित किए बिना उपभोकताओं से कोयला बिलों के माध्यम से कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत रेत

भराइ के उत्पाद शुल्क अर्थात एसईडी के संग्रह का प्रमुख उद्देश्य, कोयला उत्पादन से संबंधित सुरक्षा पहलुओं के संरक्षण के प्रति लक्षित विभिन्न कार्यों के लिए एस.ई.डी (उक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत वर्तमान में शुल्क लगाना और वसूली करना) से निधि प्राप्त करना है । 26.6.2003 से लागू ऐसे उत्पाद शुल्क की वर्तमान दर कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियमावली, 1975 की धारा 8 (1) के अन्तर्गत कोयला बिक्री बिलों में कोयला कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं पर लगाए गए कोयला प्रेषण की दर 10.00 रू प्रति टन (कोयले के वर्ग पर ध्यान दिए बिना चाहे कोकिंग हो अथवा गैर कोकिंग) है । जिस महीने प्रेषण किया गया है उसके समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर ऐसे भुगतान के 30 दिनों के भीतर सांविधिक रिटर्न के बाद कोयला नियंत्रक को उत्पाद शुल्क का भुगतान किए जाने की आवश्यकता होती है । सभी संगत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए कोयला नियंत्रक द्वारा एस.ई.डी देय राशियों का सही आकलन किया जाता है और तदनुसार कम/अधिक भुगतान को समायोजित किया जाता है । इस प्रकार संग्रह की राशि कोयला नियंत्रक को भेज दी जाती है जो इसे सरकार को वापस कर देती है । 365 करोड़ रू के सं.अ. की तुलना में पिछले वर्ष अप्रैल, 2004 से मार्च 2005 की अवधि के दौरान रेत भराई उत्पाद शुल्क से कुल 373.97 करोड़ रू की राशि संग्रहित की गयी । ब.अ. 383.46 करोड़ रू तथा स.अ. 385 करोड़ रू की तुलना में अप्रैल, 2005 से नवम्बर, 2005 (8 महीने) की अवधि के दौरान संग्रह 241.31 करोड़ रू है । वर्ष 2006-07 हेतु ब.अ. 416.25 करोड़ रू अनुमानित किया गया है ।

1.44 प्रत्येक वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के खण्ड 9 के अन्तर्गत कोयला उत्पादन तथा उत्पादन के दौरान सुरक्षा उपाय, विभिन्न ऊपरी ढांचों का स्थिरीकरण अनुसंधान तथा विकास, कोयला, रेत खनन उपकरण आदि के परिवहन को सुलभ बनाने के लिए सड़क/रेल अवसंरचना के विकास से भी संबंधित विभिन्न सुरक्षात्मक कार्यों को देखते हुए भूमिगत खानों में उच्च लागत वाले रेत भराई कार्य हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए विभिन्न कोयला कम्पनियों को इस प्रकार एकत्रित की गयी एस.ई.डी को संवितरित कर दिया जाता है । एस.ई.डी राशियों के संवितरण के लिए एक निर्धारित पद्धति बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति (सी.सी.डी.ए.सी) नामक एक सलाहकार समिति का गठन किया है । जो अन्य कार्यकलापों के अलावा संरक्षण विकास तथा देश की कोयला सीमों के वैज्ञानिक उपयोग, एस.ईडी की दरों, एसईडी राशियों के संवितरण से संबंधित राष्ट्रीय नीति के निष्पादन तथा कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को सलाह देती है । समिति रेत भराई कोयला खानों में सुरक्षात्मक कार्यों तथा

कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन (सड़क/रेल) अवसंरचना के विकास पर कोयला कम्पनियों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय का मूल्यांकन करती है । ऐसे मूल्यांकन के बाद समिति कोयला कम्पनियों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के लिए समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर सहायता अनुदान के लिए सरकार को आवश्यक सिफारिश करती है । आर.एण्ड डी योजना सहित उपर्युक्त तीन प्रमुख क्षेत्रों के अलावा, अन्य क्षेत्रों के लिए सी.सी.डी.ए. सहायता पर भी विचार किया जाता है, जिसका विस्तृत ब्योरा कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियमावली, 1975 के अनुदान सहायता शीर्षक वाले अध्याय -V के अन्तर्गत खण्ड 12 के छः उप-खण्डों में दिया गया है ।

1.45 सी.सी.डी.ए.सी. द्वारा यथाअनुमोदित पात्र कार्यकलापों के लिए सहायता, कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत एस.ई.डी. संग्रह की धनराशि से प्रदान की जाती है ब्यौरा पैरा सं 2.31 में दिया गया है । पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के बजट में मुहैया की गयी निवल राशि से संवितरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

करोड़ रू में

विवरण	2004-05 वास्तविक	2005-06 सं.अ. (प्रस्तावित)	2006-07 ब.अ. (प्रस्तावित)
स्प्रटोइंग/सुरक्षात्मक कार्यौं/आर.एण्ड डी योजनाओं सहित संरक्षण	100.03 (2005-06 के बकाया 35.04 करोड़ रू को छोड़कर)	2004-05 के बकाया 35.04 2005-06 का दावा 109.96 प्रस्तावित सं.अ. 145.00 विचाराधीन सं.अ. 66.10	2005-06 के बकाया 75.00 2006-07 का दावा 105.00 प्रस्तावित ब.अ. 180.00
कोलफिल्डों में परिवहन अवसंरचना का विकास	59.09	2005-06 का दावा 50.00 (संड़क - 7 तथा रेल - 43) अनुमोदित सं.अ. 50.00	2006-07 का दावा 75.00 (संड़क - 25 तथा रेल - 50) सीआईएल.का मास्टर प्लान 60.00 प्रस्तावित ब.अ. 135.00
कुल	159.12	कुल प्रस्तावित सं.अ. 195.00 अनुमोदित सं.अ. 116.10	कुल प्रस्तावित ब.अ. 315.00

1.46 वर्तमान मार्ग निर्देशों के अंतर्गत सरकार प्रत्येक खान की मानक लागत द्वारा निकाली गई रेत भराई की लागत (एक समान समय के आधार पर एक समान प्रणाली के माध्यम से सीएमपीडीआईएल द्वारा निकाली गई) 75% (60 प्रतिशत की पिछली दर की तुलना में अप्रैल, 2005 से किये गए दावे के प्रति) तक की प्रतिपूर्ति करती है जबकि शेष लागत का वहन संबद्ध कोयला कंपनियों द्वारा किया जाता है। सरकार कोयला खानों में सुरक्षात्मक कार्यों पर आई लागत के 90% (75 प्रतिशत की पिछली दर की तुलना में अप्रैल, 2005 से किये गए दावे के प्रति) तक की भी प्रति अदायगी करती है जबकि शेष लागत का वहन संबद्ध कोयला कंपनियों को ही करना पड़ता है । रेत भराई के मामले में, रेत की मात्रा उन

भूमिगत खानों से होने वाले कोयला उत्पादन की मात्रा से संबंधित होती है, जहां रेत भराई का कार्य किया जाता है तथा इस मद पर किए जाने वाले व्यय का अनुमान लगाया जाता है ।

1.47 सड़कों और पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । तथापि, कोयला उत्पादन, संसाधन और प्रेषण के लिए उपयोग मे लायी जाने वाली आवश्यक सड़कों का निर्माण / विकास कोयला कंपनियों द्वारा भी किया जा सकता है । खनन क्रियाकलाप से संबंधित रेत, कोयला, मशीनरी आदि के परिवहन के लिए, अपेक्षित सड़कों का निर्माण भी कोयला कंपनियों द्वारा किया जा सकता है । सीसीडीए समिति ने वर्तमान नीति के अनुसार ऐसी कुछ सड़कों के निर्माण के लिए सहायता का अनुमोदन किया है । सी.सी.डी.ए. कोयला परियोजनाओं/खानों की परियोजनाओं से जुड़े रेलवे परियोजनाओं पर व्यय की प्रति अदायगी के प्रस्ताव पर भी विचार करती है ।

1.48 सरकार सामान्यतः कोयला फिल्ड क्षेत्रों में अनुमोदित सड़कों के निर्माण की लागत का 70 प्रतिशत (50 प्रतिशत की पिछली दर की तुलना में अप्रैल, 2005 से किये गए दावे के प्रति) वहन करती है । शेष व्यय का वहन या तो संबद्ध राज्य सरकार अथवा ऐसी सड़क का निर्माण करने वाली प्रायोजक कोयला कंपनी द्वारा किया जाता है । रेल अवसंरचना विकास के प्रति सहायता शत-प्रतिशत है ।

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

1.49 कोल इंडिया लि0 ने लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) बनाई है ताकि अधिशेष जन-शक्ति को कम किया जा सके । ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. तथा सी.सी.एल. जैसी घाटे में चल रही कंपनियों में वी.आर.एस. को लागू करने के लिए सी.आई.एल. ने 2002-03 तक 974.56 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2003-04 तक 1009.74 करोड़ रूपए के अनुदान का उपयोग किया गया है। सीआईएल द्वारा 35.18 करोड़ रूपए अपने आन्तरिक संसाधनों से उपयोग में लाए गए। 1997-98 से 2003-04 तक की अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों को ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल में वीआरएस मंजूर किया गया उनका संख्या 44033 है।

1.50 इसके अलावा 2004-05 में सरकार ने यह संकेत दिया कि वीआरएस को लागू करने के लिए सीआईएल को अनुदान के बदले 6.75% प्रतिवर्ष के रियायती ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, 2004-05 के दौरान सीआईएल

को ऋण के रूप में 103.50 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। सरकार ने 2005-06 से इस योजना को समाप्त कर दिया है।

कोयले का मूल्य

1.51 1-1-2000 से पूर्व, कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 की धारा 4 के अंतर्गत, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 द्वारा प्रवृत्त बना रहा है, केन्द्र सरकार को ग्रेड-वार तथा कोलियरी-वार कोयले की कीमतें निर्धारित करने का अधिकार था । कोयले के प्रशासित ग्रेडों की कीमतें पिछली बार दिनांक 17-6-1994 से संशोधित की गई थी । कीमतों की अधिसूचना को दिसम्बर, 1995, मार्च, 1996 तथा अप्रैल,1996 में संशोधित किया गया था ताकि रन ऑफ माइन, स्टीम तथा स्लैक कोयले के बीच विभेदों में वृद्धि की जा सके, परिवहन प्रभारों में वृद्धि की जा सके और ई.को.लि. की राजमहल ओपनकास्ट परियोजना से उत्पादित कोयले के लिए भी अतिरिक्त कीमतें मुहैया की जा सकें ।

1.52 औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा सभी ग्रेडों के कोककर कोयले तथा अकोककर कोयले के ए, बी, सी और डी ग्रेडों की कीमतों को विनियंत्रित करने के संबंध में निर्णय लिया गया और यह निर्णय दिनांक 22-3-96 से लागू किया गया । तत्पश्चात, एकीकृत कोयला नीति पर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने साफ्ट कोक, हार्ड कोक और अकोककर कोयले के "डीं ग्रेड की कीमतों को विनियंत्रित करने का निर्णय लिया और यह निर्णय दिनांक 12-3-1997 से लागू किया गया ।

1.53 सरकार ने को.इं.लि. तथा सिं.को.कं.लि. के अकोककर कोयले के "ई ", "एफ " तथा "जी " ग्रेडों की कीमतों को प्रत्येक 6 महीने की अवधि में एक बार औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की 1987 की रिपोर्ट में दिए गए मूल्य वृद्धि फार्मूले के अनुसार लागत सूचकांक को अद्यतन करते हुए, निर्धारित करने की अनुमति भी देने का निणर्य लिया तथा इस संबंध में को.इं.लि. और सिं.को.कं.लि. को दिनांक 13-3-1997 को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे । इन अनुदेशों का पालन करते हुए सी.आई.एल. ने अपने कोयले का मूल्य 1-4-1997, 1-10-97, 21-8-1998, 5-1-1999 तथा 31-5-1999 और एस.सी.सी.एल. ने 15-3-1997, 29-8-1998 तथा 19-9-1999, 10.4.01 तथा 14.9.2004 को निर्धारित किए । 14.9.2004 को एससीसीएल के कोयले की नवीनतम औसतन आधार कीमत 889.81 रूपए प्रति टन तय की गई है।

कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 का अधिक्रमण करके कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 को 1-1-2000 से अधिसूचित करने से, कोयले की कीमत को पूरी तरह से विनियंत्रित कर दिया गया है ।

कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार को कोयले की कीमत के निर्धारण का कोई अधिकार नहीं है और सी.आई.एल. को कोयले के उत्पादक के रूप में माँग तथा आपूर्ति, आयातित कोयले की तुलना में भारतीय कोयले की प्रतिस्पर्धात्मकता और कोयले के उत्पादन में आवश्यक आदानों के मूल्य में वृद्धि जैसी कोयले की आर्थिकी के आधार पर स्वतः ही मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है।

ए,बी और सी ग्रेडों के कोकिंग कोयले तथा नान-कोकिंग कोयले के मूल्य तथा वितरण को विनियंत्रित किया गया था । तत्पश्चात डी ग्रेड के कोयले को भी विनियंत्रित कर दिया गया और भारत सरकार ने बी.आई.सी.पी. फार्मूला के आधार पर विनियंत्रित कोयले अर्थात ई.एफ तथा जी ग्रेड के कोयले के मूल्यों को अधिसूचित करने की अनुमति कोयला पी.एस.यू को दे दी । न्यूनतम छ महीने के अन्तराल पर 1 जनवरी, 2000 तक इसी फार्मूले के आधार पर इसका संशोधन करने की अनुमति दी गयी है ।

कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 का अतिक्रमण करते हुए कोयले के मूल्य को 1.1.2000 से पूरी तरह विनियंत्रित कर दिया गया है । विनियंत्रित किए जाने के बाद मूल्य संशोधन का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं :-

संशोधन की तारीख	**कोयले की किस्म**	**कोयला कम्पनियों के नाम**
12.04.2000	कोकिंग और नान कोकिंग	बी.सी.सी.एल
21.04.2000	कोकिंग और नान कोकिंग	ईसीएल (रानीगंज, एस.पी माइन, मुगमा, राजमहल)
15.07.2000	कोकिंग और नान कोकिंग	सी.सी.एल
26.11.2000	नान कोकिंग	एन.ई.सी
01.02.2001	कोकिंग और नान कोकिंग	ईसीएल (रानीगंज, एस.पी माइन, मुगमा, राजमहल) बी.सी.सी.एल, सी.सी.एल, एम.सी.एल,डब्ल्यू.सी.एल,एस.ई.सी.एल,एन.सी.एल,
23.05.2001	नान कोकिंग	एन.ई.सी
11.09.2001	कोकिंग और नान कोकिंग	ई.सी.एल. (एस.पी. माइन, मुगमा)

18.08.2002	कोकिंग और नान कोकिंग	इ.सी.एल (रानीगंज), बी.सी.सी.एल, सी.सी.एल, डब्ल्यू.सी.एल,एस.ई.सी.एल,
16.05.2003	नान कोकिंग	बी.सी.सी.एल,
01.10.2003	नान कोकिंग	एन.सी.एल
16.06.2004	कोकिंग और नान कोकिंग	एन.ई.सी सहित सभी कम्पनियां

राज्य सरकार को रायल्टी तथा बिक्री कर/उपकर

1.54 रायल्टी खनिज को हटाने अथवा उपयोग करने के लिए पट्टेधारी द्वारा पट्टेदाता को भुगतान की जाने वाली एक राशि है । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9 (1) में यह अपेक्षित है कि एक खनन पट्टाधारी या उसका एजेंट प्रबंधक कर्मचारी ठेकेदार अथवा उप-पट्टाधारी अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित दर पर पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से हटाए अथवा उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में रायल्टी अदा करें । एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 9(3) में केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में इसमें यथा निर्दिष्ट तारीख से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रायल्टी की दरों में वृद्धि करने या कमी करने का अधिकार प्राप्त है । यह संशोधन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संबंधित खनिज हेतु रायल्टी दर की विशिष्ट प्रविष्ट में संशोधन करके किया जाता है । अधिनियम की धारा 9 (3) का परन्तुक केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक रायल्टी दर बढ़ाने से रोकता है । अधिनियम में यह भी अनिवार्यता नहीं है कि प्रत्येक तीन वर्ष के बाद कोयले पर रायल्टी में संशोधन किया ही जाए ।

रायल्टी पर कानूनी प्रावधान

1.55 1971 में निर्धारित की गई कोयला रायल्टी दरें निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के 1.50 रु. प्रति टन और उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए 2.00 रु. प्रति टन के बीच है । बाद में कोयले पर रायल्टी की दरों में जुलाई 1975 फरवरी 1981, अगस्त 1991, अक्तूबर 1994 तथा अगस्त 2002 को संशोधन किए गए थे । 12.2.81,
1.8.91, 11.10.94 को निर्धारित कोयला रायल्टी दरों और 16.8.2002 को निर्धारित विद्यमान कोयला दरों की तुलनात्मक सारणी नीचे दी गयी है :-

(रू. प्रति टन)

कोयला समूह	12.2.81 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें	1.8.91 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें	11.10.94 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें	16.8.02 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें
समूह - 1 कोकिंग कोयला एस.जी.- I, II डब्ल्यू.जी.- I	7.00	150.00	195.00	250.00
समूह - II कोकिग कोयला डब्ल्यू. जी - II III नॉन कोकिंग ए.बी. सेमी कोकिंग ग्रेड - I सेमी कोकिंग ग्रेड - II	6.50	120.00	135.00	165.00
समूह - III कोकिंग कोयला डब्ल्यू.जी.- IV नॉन-कोकिंग - सी	5.50	75.00	95.00	115.00
समूह - IV नॉन-कोकिंग डी.,ई.	4.30	45.00	70.00	85.00
समूह -V नॉन-कोकिंग एफ.,जी.	2.50	25.00	50.00	65.00
समूह -VI आंध्र प्रदेश में उत्पादित कोयला	5.00	70.00	75.00	90.00

(1981 की कोयला रायल्टी दरें पश्चिम बंगाल राज्य पर अभी भी, इस आधार पर जारी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले पर उपकर लगाना जारी रखा है, जिसे अन्य राज्य सरकारों द्वारा हटा लिया गया है ।)

रायल्टी दरों को निर्धारित करने की कार्यप्रणाली

1.56 कोयला/लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों के निर्धारण के लिए कोयला विभाग अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन करता है । अध्ययन दल सभी संबंधितों अर्थात उत्पादक राज्यों, उपभोक्ता राज्यों और विद्युत, लौह तथा इस्पात, सीमेंट आदि जैसे उपभोक्ता क्षेत्र के साथ विचार-विमर्श करता है और उनके विचार प्राप्त करता है । संभी संबंधितों के मतों तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन दल अपना मत मंत्रालय को प्रस्तुत करता है । सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात मंत्रालय सरकार (सी.सी.ई.ए.) के निर्णय के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है । तत्पश्चात दिए गए निर्णय को अधिसूचित किया जाता है और रायल्टी की नई दरें ऐसी

अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होती हैं । उपर्युक्त प्रक्रिया सोद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी है तथा इसने अच्छा काम किया है ।

रायल्टी पर 1997 के अध्ययन दल की सिफारिशें

1.57 एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 9(3) केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में, ऐसी तारीख से, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रायल्टी की दरों में वृद्धि करने या कमी करने का अधिकार प्रदान करती है । अधिनियम की धारा 9(3) का परन्तुक किसी भी खनिज के संबंध में तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक रायल्टी दर बढ़ाने से केन्द्र सरकार को रोकता है । इस प्रकार, प्रत्येक तीन वर्ष में रायल्टी दरें संशोधित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है । केन्द्र सरकार के पास रायल्टी दरों को यथावत रखने का विकल्प है जैसा कि 1981-1991 के दौरान किया गया । अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 28-1-1997 को एक अध्ययन दल का गठन किया गया ताकि वे कोयले की रायल्टी दरों के संशोधन से संबंधित सभी पक्षों पर विचार कर सके और सरकार को सिफारिश कर सकें । अध्ययन दल ने यह सिफारिश की कि रायल्टी दरों को मूल्यानुसार आधार अर्थात समय-समय पर यथा निर्धारित प्रतिटन कोयले के आधार मूल्य के प्रतिशत के तौर पर अपनाया जाए और कोयला रायल्टी दरों को निर्धारित करने के उद्देश्य से कोयले के विभिन्न समूहों को दो भागों में विभाजित किया जाए । तथापि, 1997 के अध्ययन दल की सिफारिशों को कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया ।

रायल्टी पर के अध्ययन दल 2000 की सिफारिशें

1.58 कोयला उत्पादक राज्यों द्वारा की जा रही लगातार माँग के कारण कोयले पर रायल्टी के संशोधन के मामले पर विचार करने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति जुलाई, 2000 में गठित की गई । समिति ने दिसम्बर, 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कोयले पर रायल्टी दरों के निर्धारण के लिए मूल्यानुसार दरों की अपेक्षा टनेज आधार पर अपनाने तथा कोयले के सभी ग्रेडों की रायल्टी दरों में वृद्धि की सिफारिश की । तथापि, यह वृद्धि सीमान्तक ही रही है । कोयला पर रायल्टी की संशोधित दरों को 16.08.2002 से अधिसूचित कर दिया गया है ।

अध्याय -2

वित्तीय आवश्यकता (बजट)

बजट परिव्यय

2.1 कोयला मंत्रालय से सम्बद्ध 2006-2007 की अनुदान मांगों के लिए निम्नलिखित प्रावधानों की मांग की गई है तथा उन्हें उक्त अनुदानों की मांगों में शामिल किया गया है : -

(करोड़ रू. में)

	योजनागत		**गैर-योजनागत**		**जोड़**	
	सकल	**निवल**	**सकल**	**निवल**	**सकल**	**निवल**
राजस्व खण्ड (पारित)	168.71	168.71	37.00	37.00	205.71	205.71
पूंजीगत खण्ड (पारित)	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
जोड़	**168.71**	**168.71**	**67.00**	**67.00**	**235.71**	**235.71**

बजट परिव्यय अवलोकनार्थ सारणी - 2.1 में दिया गया है ।

योजनागत परिव्यय

2.2 मंत्रालय का पूंजीगत परिव्यय अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात् नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0, कोल इंडिया लि0 और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि0 की नई खनन परियोजनाओं में योजनागत निवेश किए जाने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए है । कंपनियों के योजनागत परिव्यय को उनके आंतरिक संसाधनों अथवा अतिरिक्त बजट संसाधनों के माध्यम से वित्त-पोषित किया जा रहा है । बजट सहायता परिव्यय तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों कंपनियों के योजनागत परिव्यय के वित्त-पोषण के स्रोत सारणी - 2.2 में दिए गए हैं ।

2.3 पहले कोयला मंत्रालय के गैर-योजना परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा उन योजनाओं के लिए था जो कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क से वित्त-पोषित होती है और इसलिए, इसे स्व-वित्त-पोषित कहा जा सकता है । तथापि, बजट अनुमान 2005-06 के लिए बजट

पूर्व विचार-विमर्श में वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया कि इन दोनों योजनाओं के लिए निधियां गैर-योजना से रोक दी जाएगी तथा योजना आयोग योजना स्कीमों के तहत निधियां प्रदान कर सकता है । तथापि, कोयला मंत्रालय द्वारा योजना आयोग से अनुरोध करने के बावजूद, योजना आयेग ने इन दोनों योजनाओं के लिए योजना स्कीमों के तहत निधियां प्रदान करना स्वीकार नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय ने दोनों योजनाओं में से प्रत्येक योजना के लिए सांकेतिक अनुदान के रूप में 1.00 लाख रू. प्रदान किया ताकि वर्ष 2005-06 में पूरक अनुदान की मांग की जा सके । कोलफील्ड क्षेत्रों में संरक्षण और सुरक्षात्मक उपायों तथा सड़क, रेल और परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए आंशिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों को सब्सिडी इन प्राप्तियों में से दी जाती हैं । वर्ष 2005-06 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग में, वित्त मंत्रालय ने योजना व्यय के रूप में इन दोनों योजनाओं के लिए 116.11 करोड़ रूपए के परिव्यय को अनुमोदित किया । तथापि, बजट अनुमान 2006-07 में, योजना आयोग ने योजना व्यय के तहत इन दोनों योजनाओं के लिए 1-1 लाख रूपए का सांकेतिक प्रावधान किया है ।

2.4 इसके अलावा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, क्षेत्रीय अन्वेषण, पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण, विस्तृत ड्रिलिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना की स्कीमों के लिए भी राजस्व तथा पूंजीगत योजना परिव्यय के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है ।

2.5 भारतीय कोयला उद्योग इस समय फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम (यू.के.), आस्ट्रेलिया, रूस, बेलारूस, चेक गणराज्य और चीन से तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त करता है । विश्व- बैंक जैसे बहुपक्षीय अभिकरणों से भी सहायता प्राप्त की जाती है । बाह्य ऋण, जो पहले बजट के माध्यम से प्राप्त होता था, अब अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को विदेशी अभिकरणों से सीधे ही उपलब्ध हो रहा है ।

गैर-योजनागत परिव्यय

2.6 गैर-योजनागत परिव्यय का एक अन्य मुख्य भाग (70.27 %) कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 तथा कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 में अंशदान के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार की सांविधिक देनदारियों को पूरा करने के लिए होता है । गैर-योजनागत बजट का केवल 29.73 % भाग सचिवालय व्यय को पूरा करने और कोयला नियंत्रक तथा भुगतान आयुक्त, कोलकाता के कार्यालयों के लिए रखी गई है ।

कोयला मंत्रालय की अधिप्राप्तियां

2.7 इस मंत्रालय की अधिप्राप्तियां काफी मात्रा में हैं और ये कुल बजट व्यय से अधिक है। इनमें मुख्यतः कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क (उपकर) और कोल इंडिया लि0, तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि0 को दिए गए ऋणों की किश्तों की पुनःअदायगी तथा ऋण पर ब्याज की अदायगी शामिल हैं।

2.8 वार्षिक योजना

(करोड़ रू. में)

कंपनी/योजना	सं.अ. 2003-04	वास्त. 2003-04	सं.अ. 2004-05	वास्त. 2004-05	2005-06(ब.अ.)	2005-06 (सं.अ.)	वास्त. (दिस., 05 तक	2006-07(ब.अ.)
सीआईएल	1846.00	1156.82	1877.35	1188.31	2814.35	2224.00	920.39	3063.70
एससीसीएल	205.00	139.48	300.00	274.82	395.00	395.00	253.03	577.09
एनएलसी	314.25	158.04	267.00	219.01	640.00	368.00	92.44	990.00
जोड़	2360.25	1454.34	2444.35	1682.14	3849.35	2987.00	1265.86	4630.79
कोयला खानों में संरक्षण तथा विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.11*	0.00	0.01
कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसरंचना का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00*	0.00	0.01
क्षेत्रीय अन्वेषण	85.18	57.23	43.00	43.00	49.88	49.88	32.00	60.00
ईएमएससी	10.92	0.00	48.50	48.50	44.86	28.64	25.00	55.90
सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	2.50	2.49	3.00	1.00	0.02	3.00
अनुसंधान एवं विकास (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	10.04	6.75	12.43	12.43	20.08	14.84	10.50	21.09
विस्तृत ड्रिलिंग	15.06	15.06	22.50	22.50	18.81	18.81	18.54	11.61
कोयला नियंत्रक	0.21	0.17	0.22	0.16	0.22	0.22	0.14	0.22
पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एकमुश्त प्रावधान	28.59	0.00	21.00	0.00	15.20	25.50	0.00	16.87
जोड़	2510.25	1533.55	2594.50	1811.22	4001.40	2987.00	1352.06	4799.50

* पहले इन दोनों योजनाओं को गैर-योजना से वित्त-पोषित किया जाता था । तथापि, सं.अ. 2005-06 में वित्त मंत्रालय ने योजना परिव्यय के रूप में 116.11 करोड़ रू. का पूरक अनुदान प्रदान किया है ।

* उक्त राशि को सीआईएल द्वारा सरकार के पास अग्रिम में जमा करा दिए जाने के बाद, सीआईएल को वापस लौटा दिया जाता है । इससे कोई वित्तीय भार नहीं आता है ।

उपयोग प्रमाण-पत्र की स्थिति

2.9 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2004-05 में रिलीज की गयी राशि के लिए कोई उपयोग प्रमाण-पत्र लम्बित नहीं है ।

सारणी - 2.1 (बजट - एक नजर में)
कोयला मंत्रालय

(करोड़ रूपए में)

		मुख्य शीर्ष	बजट 05-06			संशोधित 05-06			बजट 06-07		
			आयोजना	आयोजना -भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना -भिन्न	जोड़	आयोजना	आयो जना- भिन्न	जोड़
		राजस्व	152.05	40.02	192.07	255.00	36.64	291.64	168.71	37.00	205.71
		पूंजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		जोड़	152.05	40.02	192.07	255.00	36.64	291.64	168.71	37.00	205.71
1	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	3.00	7.91	10.91	1.00	7.70	8.70	3.00	7.79	10.79
	श्रम और रोजगार **कोयला खान श्रमिक कल्याण**										
2	कोयला खान पेंशन योजना /जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान	2230	0.00	29.15	29.15	0.00	26.15	26.15	0.00	26.00	26.00
	कोयला और लिग्नाइट										
3	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	0.00	0.01	0.01	66.11	0.00	66.11	0.01	0.00	0.01
4	कोयला खान क्षेत्रों में परिवहन आधारभूत संरचना का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	0.00	0.01	0.01	50.00	0.00	50.00	0.01	0.00	0.01
5	अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2803	20.08	0.00	20.08	14.84	0.00	14.84	21.09	0.00	21.09
6	क्षेत्रीय अन्वेषण	2803	49.88	0.00	49.88	49.88	0.00	49.88	60.00	0.00	60.00
7	व्यापक ड्रिलिंग	2803	18.81	0.00	18.81	18.81	0.00	18.81	11.61	0.00	11.61
8	पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	2803	44.86	0.00	44.86	28.64	0.00	28.64	55.90	0.00	55.90
9	कोयला नियंत्रक	2803	0.22	2.61	2.83	0.22	2.47	2.69	0.22	2.86	3.08
10	भुगतान आयुक्त	2803	0.00	0.33	0.33	0.00	0.32	0.32	0.00	0.35	0.35
	जोड़-कोयला और लिग्नाइट		133.85	2.96	136.81	228.50	2.79	231.29	148.84	3.21	152.05
11	कोयलाधारी क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरा किया गया व्यय										

	11.01 कोयलाधारी क्षेत्रों का अधिग्रहण	4803	0.00	25.00	25.00	0.00	68.00	68.00	0.00	30.00	30.00
	11.02 कोयलाधारी क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरा किये गये व्यय को घटाकर	4803	0.00	-25.00	-25.00	0.00	-68.00	-68.00	0.00	-30.00	-30.00
12	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	15.20	0.00	15.20	25.50	0.00	25.50	16.87	0.00	16.87
	कुल जोड़		**152.05**	**40.02**	**192.07**	**255.00**	**36.64**	**291.64**	**168.71**	**37.00**	**205.71**
ख.	**सरकारी उद्यमों में निवेश**	विकास शीर्ष	**बजट सहायता**	**आं.ब.बा.सं.**	**जोड़**	**बजट सहायता**	**आं.ब.बा.सं.**	**जोड़**	**बजट सहायता**	**आं.ब.बा.सं.**	**जोड़**
13	कोल इंडिया लिमिटेड	12803	0.00	2814.35	2814.35	0.00	2224.00	2224.00	0.00	3063.70	3063.70
14	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	12803	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	0.00	577.09	577.09
15	नेयवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड (खान)	12803	0.00	274.44	274.44	0.00	250.70	250.70	0.00	459.00	459.00
	नेयवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड (विद्युत)	12801	0.00	365.56	365.56	0.00	117.30	117.30	0.00	531.00	531.00
	नेयवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड (जोड़)		0.00	640.00	640.00	0.00	368.00	368.00	0.00	990.00	990.00
	जोड़		0.00	3849.35	3849.35	0.00	2987.00	2987.00	0.00	4630.79	4630.79
ग.	**आयोजना परिव्यय**										
16	विद्युत		0.00	365.56	365.56	0.00	117.30	117.30	0.00	531.00	531.00
17	कोयला और लिग्नाइट		0.00	3483.79	3483.79	0.00	2869.70	2869.70	0.00	4099.70	4099.70
	कुल जोड़		**0.00**	**3849.35**	**3849.35**	**0.00**	**2987.00**	**2987.00**	**0.00**	**4630.70**	**4630.79**

सारणी - **2.2**

स्त्रोत-वार/कंपनी-वार वित्त पोषण पद्धति

(करोड़ रू. में)

कंपनी का नाम	आई.आर.	बांड्स	आपूर्तिकर्ता का उधार/ ई.सी.बी.	अन्य ए.आर.एम.	कुल आई.ई.बी.आर.	सकल बजट सहायता	कुल परिव्यय	बजट के माध्यम से बाह्य सहायता	निवल बजट सहायता
कोल इंडिया लि0									
2005-06(ब.अ.)	2814.35	0.00	0.00	0.00	2814.35	0.00	2814.35	0.00	0.00
2005-06(सं.अ.)	2234.00	0.00	0.00	0.00	2234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07 (ब.अ.)	3134.70	0.00	0.00	0.00	3134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
एससीसीएल									
2005-06(ब.अ.)	183.38	0.00	0.00	211.62	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00
2005-06(सं.अ.)	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07 (ब.अ.)	577.09	0.00	0.00	0.00	577.09	0.00	0.00	0.00	0.00
एनएलसी									
2005-06 (ब.अ.)									
लिग्नाइट	142.44	102.00	30.00	0.00	274.44	0.00	274.44	0.00	0.00
विद्युत	197.56	118.00	50.00	0.00	365.56	0.00	365.56	0.00	0.00
जोड़	340.00	220.00	80.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00
2005-06 (सं.अ.)									

लिग्नाइट विद्युत जोड़	57.30 100.70 158.00	0.00 150.00 150.00	60.00 0.00 60.00	0.00 0.00 0.00	117.30 250.70 368.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
2006-07 (ब.अ.) लिग्नाइट विद्युत जोड़	191.00 149.00 340.00	150.00 310.00 460.00	190.00 0.00 190.00	0.00 0.00 0.00	531.00 459.00 990.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

योजना-वार वास्तविक कार्य-निष्पादन

2.10 सरकार के निर्णय के अनुसार तथा दिनांक 29.12.1997 को सी.आई.एल. बोर्ड द्वारा अनुमोदित शक्तियों के संशोधित प्रत्यायोजन में 100 करोड़ रू. तक की लागत की कोयला परियोजनाएं कोल इंडिया लि0 के निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जा सकती हैं और 50 करोड़ रू. तक की कोयला परियोजनाएं ना.को.लि., वे.को.लि., सा.ई.को.लि. तथा म.को.लि. के निदेशक बोर्डों द्वारा स्वीकृत की जा सकती हैं, बशर्ते कि परियोजनाएं अनुमोदित पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में शामिल हों और परिव्यय की व्यवस्था की जाए और यदि अपेक्षित निधियां कंपनी के आंतरिक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती हों और ऐसी योजनाओं पर व्यय किया जाना हो, जो सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में शामिल हों । किन्तु ई.को.लि., भा.को.को.लि., से.को.लि. तथा सी.एम.पी.डी.आई.एल. के निदेशक बोर्ड केवल 20 करोड़ रू. तक की कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति दे सकते हैं ।

2.11 100 करोड़ रू. तथा इससे अधिक लागत की परियोजनाओं पर कोयला मंत्रालय और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मासिक फ्लैश रिपोर्टों के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है । 20 करोड़ रू. तथा इससे ऊपर की लागत की अन्य परियोजनाओं पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त तिमाही परियोजना मानीटरिंग रिपोर्टों के आधार पर कोयला मंत्रालय में निगरानी रखी जाती है। वैयक्तिक परियोजनाओं की इन रिपोर्टों और अपवाद रिपोर्टों के आधार पर समीक्षा की जाती है जिसमें ऐसे कदम शामिल होते हैं जो परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित होते है। अपेक्षित कार्रवाई वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया जाता है और जहां आवश्यक हो, उन्हें राज्य सरकारों सहित संबंधित अभिकरणों के नोटिस में लाया जाता है। परियोजनाओं के तेजी से पूरा किए जाने, विलंब कम किए जाने और लागत में कमी किए जाने पर विशेष बल दिया जाता है। ऐसी समीक्षा के दौरान संशोधित लागत अनुमानों के अनुमोदन तथा निष्पादन के लिए अपेक्षित परियोजनाओं को भी विनिर्दिष्ट किया जाता है और कोयला कंपनियों को सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संशोधित लागत अनुमान तैयार करने की सलाह दी जाती है। संशोधित लागत अनुमानों का मूल्यांकन, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के मद्देनजर समयावधि के बढ़ जाने और लागत में वृद्धि हो जाने की बात को ध्यान में रखकर किया जाता है । वर्तमान में 100 करोड़ रू. तथा इससे अधिक लागत वाली सभी चालू परियोजनाओं की सचिव(कोयला) तथा योजना आयोग द्वारा तिमाही आधार पर मानीटरिंग /समीक्षा की जाती है । सचिव(कोयला) भी चालू परियोजनाओं (100

करोड़ रू. और उससे अधिक की लागत वाली) की प्रगति की मासिक स्थिति तथा 10वीं योजना की बड़ी परियोजनाओं (100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक की लागत वाली) जिन्हें अभी अनुमोदित किया जाना है, की पखवाड़े में समीक्षा करते हैं । लक्ष्य की प्रगति की स्थिति तथा अनुमोदित 10वीं परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की भी पखवाड़े में सचिव (कोयला) द्वारा एम.एस.प्रोजेक्ट 2003 के नेटवर्क आरेख के माध्यम से समीक्षा की जाती है ।

2.12 कोल इंडिया लि. तथा एनएलसी द्वारा 100 करोड़ रू. तथा इससे ऊपर की लागत की कार्यान्वित की जा रही चालू परियोजनाओं का कंपनीवार तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्रमशः सारणी 2.3 तथा 2.4 में दिया गया है। एस.सी.सी.एल. द्वारा वर्तमान में 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक लागत वाली कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है । कंपनी-वार संक्षिप्त स्थिति नीचे दर्शायी गई है : -

100 करोड़ रू. तथा इससे ऊपर की लागत की परियोजनाएं

कंपनी का नाम	100 करोड़ रू. तथा इससे ऊपर की लागत वाली परियोजनाओं की संख्या	कुल क्षमता (मिलियन टन)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)
सी.आई.एल. (खनन)	9	60.58	5248.62
एनएलसी			
खान	2	6.60	2415.35
विद्युत	2	750 मे.वा.	3144.96
जोड़			
खान	11	67.18	7663.97
विद्युत	2	750 मे.वा.	3144.96

सारणी - 2.3

सीआईएल में 100 करोड़ रू. और उससे अधिक लागत की चालू/नई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना/ कम्पनी का नाम और परियोजना का स्थान	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)	स्वीकृत की तारीख पूर्णता की तारीख अनुमानित पूर्णता	कोयले की ग्रेड लिंकेज	वास्तविक उत्पादन 2004-05 (मि.ट.)	ब.अ./ सं.अ. 2005-06 (मि.ट.)	ब.अ. 2006-07 (उत्पादन) (मि.ट.)	अक्तूबर, 05 तक व्यय (करोड़ रू. में)	ब.अ. 2006-07 (करोड़ रू. में)	स्थिति (31.12.2005 के अनुसार)

क्र. सं.	परियोजना/ कम्पनी का नाम और परियोजना का स्थान	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)	स्वीकृत की तारीख पूर्णता की तारीख अनुमानित पूर्णता	कोयले की ग्रेड लिंकेज	वास्तविक उत्पादन 2004-05 (मि.ट.)	ब.अ./ सं.अ. 2005-06 (मि.ट.)	ब.अ. 2006-07 (उत्पादन) (मि.ट.)	अक्तूबर, 05 तक व्यय (करोड़ रू. में)	ब.अ. 2006-07 (करोड़ रू. में)	स्थिति (31.12.2005 के अनुसार)
1	पुटकी बलिहारी (यूजी), बीसीसीएल, धनबाद, झारखण्ड	0.68	182.60	अप्रैल-03 मार्च-03 मार्च-07	एस-II एण्ड डब्ल्यू-IV वाशरी और इस्पात संयंत्र	0.167	0.33	0.544	174.38	3.95	छत की प्रतिकूल समस्या जिससे अक्सर छत का गिरना और जलभराव होता है, के कारण यह परियोजना इस समय प्रभावित हो रही है। सीएमडी, सीएमपीडीआईएल, सीएमडी, बीसीसीएल और निदेशक (तक.) प्रचा., ईसीएल की सदस्यता वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार, 9.94 करोड़ रू. (जिससे कुल निवेश 181.66 करोड़ रू. हो जाएगा) के अतिरिक्त निवेश से वर्तमान उत्पादन स्तर को 2006-07 तक 1900 टीपीडी तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्णता की अनुमानित तारीख मार्च, 07 है।

क्र. सं.	परियोजना/ कम्पनी का नाम और परियोजना का स्थान	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)	स्वीकृत की तारीख पूर्णता की तारीख अनुमानित पूर्णता	कोयले की ग्रेड लिंकेज	वास्तविक उत्पादन 2004-05 (मि.ट.)	ब.अ./ सं.अ. 2005-06 (मि.ट.)	ब.अ. 2006-07 (उत्पादन) (मि.ट.)	अक्तूबर, 05 तक व्यय (करोड़ रू. में)	ब.अ. 2006-07 (करोड़ रू. में)	स्थिति (31.12.2005 के अनुसार)
2	झारखंड ओ.सी. सी.सी.एल., हजारीबाग (झारखंड)	1.00	110.89	अक्तू.98 मार्च, 04 मार्च, 04	डब्ल्यू-IV केदला वाशरी	0.80	0.80	0.90	70.00	10.00	वर्ष 2003-04 के दौरान परियोजना ने कोयला की 80% से अधिक पीआर क्षमता हासिल की। मार्च, 04 की स्थिति के अनुसार पूर्णता रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत की गई किन्तु स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि व्यय मंजूर पूंजी के 90% से कम था। तत्पश्चात, सचिव (कोयला) ने कहा कि सीएचपी की जरूरत या अन्यथा वर्तमान स्थिति के आधार पर परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट पर पुनः विचार किया जा सकता है। कोयला मंत्रालय ने इस संबंध में सीसीएल से विस्तृत जानकारी मांगी है।
3	निगाही विस्तार ओ.सी. एन.सी.एल., सीधी, (म.प्र.)	10.00	1846.49	जुला.97 मार्च,04 मार्च, 04	सी.डी. एण्ड ई. विंध्याचल एस.टी.पी.एस.	10.40	10.60	10.80	1470.39	195.77	परियोजना पूरी हो गई है। पूर्णता रिपोर्ट (मार्च, 04 की स्थिति के अनुसार) स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि व्यय स्वीकृत पूंजी के 90% से कम था। परियोजना से

क्र. सं.	परियोजना/ कम्पनी का नाम और परियोजना का स्थान	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)	स्वीकृत की तारीख पूर्णता की तारीख अनुमानित पूर्णता	कोयले की ग्रेड लिंकेज	वास्तविक उत्पादन 2004-05 (मि.ट.)	ब.अ./ सं.अ. 2005-06 (मि.ट.)	ब.अ. 2006-07 (उत्पादन) (मि.ट.)	अक्तूबर, 05 तक व्यय (करोड़ रू. में)	ब.अ. 2006-07 (करोड़ रू. में)	स्थिति (31.12.2005 के अनुसार)
											सीएचपी अलग करके आरसीई कोयला मंत्रालय में प्रस्तुत करने के लिए एनसीएल को सलाह दी गई है।
4	**गेवरा विस्तार ओसी** एसईसीएल	13.00	1339.69	जुला., 05 मार्च. 10 मार्च, 10	एफ भिलाई टीपीएस एण्ड सीएस ईबी	0.00	13.85	14.20	10.00	400.16	परियोजना समय पर है।
5	**दीपिका विस्तार ओसी** एसईसीएल	10.00	856.59	जुला., 05 मार्च. 10 मार्च, 10	एफ सीपत एसटी पीएस	0.00	7.10	8.20	0.00	160.58	परियोजना समय पर है।
6	बसुन्धरा वेस्ट ओ.सी. एम.सी.एल., उड़ीसा	2.40	176.54	अक्तू., 03 मार्च,07 मार्च,07	डी.-ई. एण्ड एफ. बास्केट	0.47	2.46	1.80	28.45	12.00	परियोजना समय पर है।
7	भुवनेश्वरी ओसी	10.00	336.68	जुला., 05	डी, ई,	0.00	0.00	0.00	10.90	20.00	परियोजना समय पर है। भूमि

क्र. सं.	परियोजना/ कम्पनी का नाम और परियोजना का स्थान	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)	स्वीकृत की तारीख पूर्णता की तारीख अनुमानित पूर्णता	कोयले की ग्रेड लिंकेज	वास्तविक उत्पादन 2004-05 (मि.ट.)	ब.अ./ सं.अ. 2005-06 (मि.ट.)	ब.अ. 2006-07 (उत्पादन) (मि.ट.)	अक्तूबर, 05 तक व्यय (करोड़ रू. में)	ब.अ. 2006-07 (करोड़ रू. में)	स्थिति (31.12.2005 के अनुसार)
				मार्च. 12 मार्च, 12	एफ, जी विद्युत						अधिग्रहण चल रहा है।
8	कनिहा ओसी	3.50	96.18	जन., 05 मार्च. 09 मार्च, 09	ई, एफ, जी एनटी पीसी एसटी पीएस के	0.00	0.00	0.00	15.93	35.00	परियोजना समय पर है। भूमि अधिग्रहण चल रहा है।
9	कुलदा ओसी	10.00	302.96	जन., 05 मार्च. 10 मार्च, 10	सी, डी, ई, एफ, जी एनटी पीसी एण्ड एनएल सी	0.00	0.00	0.00	21.96	15.00	परियोजना समय पर है।
	जोड़	**60.58**	**5248.62**								

सारणी - 2.4

100 करोड़ रू. और इससे अधिक की लागत वाली नई/चालू परियोजनाएं

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	परियोजना का नाम और परियोजना का स्थान	क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)	स्वीकृति का माह और वर्ष पूर्णता की तारीख पूर्णता की अनुमानित तारीख	कोयला लिंकेज का ग्रेड	ब.अ. 2005-06/ सं.अ. 2005-06	मार्च, 2005 तक व्यय**	व्यय अप्रैल-दिस., 05 (करोड़ रू. में)	ब.अ. 2006-07 (करोड़ रू. में)	परियोजना की स्थिति
1	खान II विस्तार	4.5 मि.ट. प्रतिवर्ष	2161.28	18.10.2004	लिग्नाइट: टीपीएस II विस्तार	150.00 / 86.00	57.67	30.35	470.00	जनवरी/फरवरी, 05 में प्रमुख खनन उपकरण के लिए एलओए को जारी किया गया और प्रमुख खनन उपकरण की आपूर्ति अक्तूबर, 05 में आरंभ की गयी।
2	टीपीसी II विस्तार	2 X 250 मे.वा.	2030.78	18.10.2004	विद्युत: खान II विस्तार	150.00 / 150.00	5.80	26.89	250.00	मेन प्लांट पैकेज, लिग्नाइट हैन्डलिंग पद्धति और स्विचयार्ड के आदेश दे दिए गए हैं। अन्य पैकेजों के लिए निविदा संबंधी कार्य अग्रिम स्तर पर है।
3.	राजस्थान में खान	2.1 मि.ट. प्रतिवर्ष	254.07	15.12.2004	लिग्नाइट: राजस्थान में टीपीएस II	38.69 / 5.00	35.34	0.05	40.87	मेन प्लांट पैकेज के लिए एलओए दिसम्बर, 05 में जारी।

4	राजस्थान में टीपीएस	2 X 125 मे.वा.	1114.18	15.12.2004	विद्युत : राजस्थान में खान	83.60 83.00	2.92	3.44	200.00	निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।

** शुरूआत से

विश्व बैंक ऋण की स्थिति

2.13 31 मार्च, 2004 तक कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सीएसआरपी) के अंतर्गत उपकरण तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए आईबीआरडी तथा जेबीआईसी द्वारा संवितरित सीएसआरपी ऋण का निवल उपयोग 484.40 मिलियन अमरीकी डालर है । आईबीआरडी तथा जेबीआईसी द्वारा प्राप्ति के लिए संवितरण 31.12.2003 को पूरा हो गया था । इस प्रकार 2004-05 के दौरान कोई निकासी नहीं की गयी । आईबीआरडी तथा जेबीआईसी को 51.26 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का पुनर्भुगतान करने के बाद 31.12.2005 को कुल सीएसआरपी ऋण 421.34 मिलियन अमरीकी डालर है ।

सीएसईएसएमपी के लिए आईडीए उधार का वास्तविक उपयोग 177.69 करोड़ रू. है जो 39.25 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है । परियोजना 30 जून, 2002 को बंद हो गयी और सम्पूर्ण ऋण का पुनर्भुगतान किया गया ।

अतः, सीएसआरपी तथा सीएसईएसएमपी दोनों के बंद होने के कारण ब.अ. 2004-05 से आगे ऋण के उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

वर्ष 2004-05 की अवधि के लिए आईबीआरडी तथा जेबीआईसी को ऋण का पुनर्भुगतान, सीएसआरपी के ब.अ. 2005-06, सं.अ. 2005-06 तथा ब.अ. 2006-07 निम्नलिखित हैः-

(करोड़ रू. में)

विवरण	**वास्तविक 2004-05**	**ब.अनुमान 2005-06**	**सं.अनुमान 2005-06**	**ब.अनुमान 2006-07**
आईबीआरडी	50.31	55.08	53.06	58.47
जेबीआईसी	70.81	74.07	70.94	75.49
जोड़	**121.12**	**129.15**	**124.00**	**133.96**

अध्याय - 3

कम्पनी-वार वास्तविक कार्य - निष्पादन

कोल इंडिया लिमिटेड

उद्देश्य तथा कार्य

3.1 कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) एक धारक कम्पनी है, जिसकी स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को इस उद्देश्य से की गई थी कि कोयला उद्योग के क्रियाकलापों का संचालन इस तरह से किया जाए कि अधिक कुशल प्रशासन दिया जा सके और कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सके। इस कम्पनी के अंतर्गत 7 उत्पादक सहायक कम्पनियां तथा एक आयोजना एवं डिजाइन कम्पनी है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की कोयला खानों का धारक कम्पनी द्वारा सीधे प्रबंध किया जाता है । दानकुनी कोयला कॉम्पलेक्स जो पश्चिम बंगाल में कोयला कार्बनीकरण संयंत्र है, भी धारक कम्पनी के सीधे नियंत्रण में है, जिसे वर्तमान में इसकी एक सहायक कम्पनी एसईसीएल को पट्टे पर दिया गया है। सहायक कम्पनियां, अपने-अपने संस्था अन्तर्नियमों में परिभाषित अपनी शक्तियों सहित सभी प्रचालन मामलों के लिए उत्तरदायी हैं । धारक कम्पनी कोल इण्डिया लिमिटेड मुख्यतः अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य एवं कार्य-नीति निर्धारण के लिए उत्तरदायी है और यह लक्ष्यों को निर्धारित करने, कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने, विपणन, संसाधन जुटाने और महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों जैसे - विपणन, खरीद, पर्यावरण प्रबंध, वस्तु - सूची नियंत्रण आदि के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करती है ।

3.2 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, कोल इण्डिया लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी 8904.18 करोड़ रुपये थी जिसमें 8000 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर और 904.18 करोड़ रुपये के 10% विमोच्य अधिमानी शेयर हैं । अधिमानी शेयर वर्ष 2003-04 के दौरान विमोचित हुए हैं । 31.3.2005 के अनुसार प्रदत्त पूंजी 6316.36 करोड़ रुपये है और कम्पनी की इक्विटी पूंजी को कोल इण्डिया लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों की इक्विटी में निवेशित किया जाता है ।

योजना परिव्यय

3.3 योजना आयोग के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार 9वीं योजनावधि में सी.आई.एल. के योजनागत परिव्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी। इस लक्ष्य की तुलना में, नौवीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक योजनागत व्यय 8632.19 करोड़ रू था। वर्ष 2005-06 (ब.अनु.) तथा (सं.अनु.) का बजटीय परिव्यय क्रमशः 2814.35 करोड़ रू तथा 2224.00 करोड़ रू था। वर्ष 2005-06 में योजनागत परिव्यय में कमी प्रमुख रूप से ई.एम.पी. और वनीय स्वीकृति प्राप्त होने, वनीय और गैर-वनीय भूमि के अधिग्रहण और गांवों के पुनर्वास में होने वाले विलंब के कारण नई परियोजनाओं के अनुमोदन में हुई देरी की वजह हुई । इसके अलावा परिव्यय में कटौती किए जाने का सबसे बड़ा कारण हेम की आपूर्ति में विलम्ब है ।

वर्ष 2006-07 (ब.अनु.) का योजनागत परिव्यय 3063.70 करोड़ रू है। योजना आयोग द्वारा सी.आई.एल. हेतु अनुमोदित दसवीं योजना का परिव्यय 14310.00 करोड़ रू है जिसे घटाकर 10975.13 करोड़ रू कर दिया गया है । पूंजीगत परिव्यय और वित्त-पोषण योजना का वर्ष-वार तथा सहायक कंपनी वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

योजनागत निधियों का सहायक कम्पनीवार निवेश

(करोड़ रु. में)

कम्पनी	1997-02 नौवी योजना	2003-04 वास्तविक	2004-05 वास्तविक	2005-06 ब.अ.	2005-06 सं.अ.	2006-07 ब. अनुमान	दसवीं योजना एमटीए संशोधित परिव्यय
ई.सी.एल.	650.10	82.49	115.81	333.10	150.00	250.00	1363.17
बी.सी.सी.एल.	555.40	71.91	62.40	300.00	300.00	300.00	995.39
सी.सी.एल.	973.93	229.00	292.18	440.70	409.00	465.00	1620.00
एन.सी.एल.	2121.43	329.03	132.55	620.00	326.00	600.00	2325.00
डब्ल्यू.सी.एल.	1307.73	158.43	218.50	205.28	266.30	231.50	977.85
एस.ई.सी.एल.	1726.14	186.00	212.79	500.00	430.00	750.00	1859.33
एम.सी.एल.	1233.70	93.55	142.66	350.00	300.00	425.00	1650.00
एनईसी		2.26	2.36	4.00	3.50	4.00	15.51
सी.एम.पी. डी.आई.एल /डीसीसी/ सी.आई.एल./ आई.आई.सी.एम	63.76	4.15	9.06	61.27	39.20	38.20	168.88
जोड़	**8632.19**	**1156.82**	**1188.31**	**2814.35**	**2224.00**	**3063.70**	**10975.13**

वित्त पोषण के स्त्रोत							
आन्तरिक स्त्रोत	4219.01	2483.06	8869.44	10518.91	13372.0	13790.05	24580.85
बॉन्डस							
आपूर्तिकर्ता का ऋण/आईबीआरडी	2290.09	30.11					71.42
अतिरिक्त संसाधन जुटाना कारपोरेट ऋण/वाणिज्यिक ऋण	1913.46	99.87			10.00	121.00	413.92
अन्य							
जोड़ आईईबीआर	**8422.56**	**2613.04**	**8869.44**	**10518.91**	**13382.00**	**13911.05**	**25066.19**
बजट द्वारा बाह्य सहायता	199.95		103.50		35.85		12.62
निवल बजटीय	9.68						
जी.बी.एस. सहायता	**209.63**		**103.50**	**0.00**	**35.85**	**0.00**	**12.62**
उपलब्ध निधि	**8632.19**	**2613.04**	**8972.94**	**10518.91**	**13417.85**	**13911.05**	**25078.81**
कुल परिव्यय	**8632.19**	**1156.82**	**1188.31**	**2814.35**	**2224.00**	**3063.70**	**10975.13**

3.4 कोल इण्डिया लिमिटेड उत्पादन में वृद्धि, कार्यक्षमता में सुधार, उत्पादन लागत को निम्नतम करके कोयले की मांग को पूरा करने के अपने उद्‌देश्यों को पूरा किए जाने का प्रयास करता रहा है । इसके साथ-साथ अपने कर्मचारियों को सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा तथा कल्याणकारी सुविधाएं भी मुहैया कराता रहा है । कम्पनी द्वारा एक ओर अल्पावधि तथा दीर्धावधि उत्पादन की आवश्यकताओं और दूसरी ओर उत्पादन तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया जाता है । सहायक कम्पनी-वार तथा/समूह-वार पूंजीगत व्यय और योजनागत परिव्यय नीचे दर्शाया गया है :-

परिव्यय का समूह-वार ब्यौरा

कंपनीः ई.सी.एल.

(करोड़ रु. में)

विवरण	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06**		**2006-07 ब.अ.**
		ब.अनु.	**सं.अनु.**	
विद्यमान खानें तथा पूर्ण परियोजनाएं	105.41	120.73	134.55	202.68
चालू परियोजनाएं	1.64	4.60	0.72	1.40
भावी परियोजनाएं	3.67	195.77	2.73	24.52
कुल खनन	**110.72**	**321.10**	**138.00**	**228.60**

वाशरी				
अन्य गैर - खनन	2.42	6.00	6.00	12.40
अन्वेषण + पी. और डी.	2.67	6.00	6.00	9.00
जोड़ (ई.को.लि)	**115.81**	**333.10**	**150.00**	**250.00**
कम्पनी : बी.सी.सी.एल.				
विवरण	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अनु.**	**2005-06 स..अ.**	**2006-07 ब.अ.**
विद्यमान खानें तथा पूर्ण परियोजनाएं	59.48	243.39	268.10	237.00
चालू परियोजनाएं	0.28	23.61	19.98	30.00
भावी परियोजनाएं	0.00	11.00	0.00	5.00
कुल खनन	**59.76**	**278.00**	**288.08**	**272.00**
वाशरी	-0.19	10.00	1.42	15.00
अन्य गैर खनन	0.07	3.00	1.50	3.00
अन्वेषण + पी. और डी.	2.76	9.00	9.00	10.00
जोड़ (बी.सी.सी.एल)	**62.40**	**300.00**	**300.00**	**300.00**
कम्पनी : सी.सी.एल				
विवरण	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अनु.**	**2005-06 सं.अनु**	**2006-07 ब.अ.**
विद्यमान,पूर्ण परियोजनाएं	189.43	150.00	246.13	250.00
चालू परियोजनाएँ	22.24	25.00	60.42	35.00
भावी परियोजनाएं	0.00	234.51	0.00	95.00
अग्रिम कार्रवाई परियोजना	0.00	1.19	0.00	50.00
कुल खनन	**211.67**	**410.70**	**306.55**	**430.00**
वाशरी	1.77	5.00	5.00	5.00
अन्य गैर-खनन	47.96	15.00	77.45	20.00
अन्वेषण + पी. एण्ड डी.	30.78	10.00	20.00	10.00
जोड़ (से.को.लि.)	**292.18**	**440.70**	**409.00**	**465.00**
कम्पनी : एन.सी.एल				
विवरण	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अनु.**	**2005-06 सं.अनु**	**2006-07 ब.अ.**
विद्यमान खानें ,पूर्ण	121.75	199.00	275.94	472.95

परियोजनाएं				
चालू परियोजनाएं	0.35	276.27	14.94	0.96
भावी परियोजनाएं	4.28	130.59	0.00	76.62
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं				
कुल खनन	**126.38**	**605.86**	**290.88**	**550.53**
वाशरी				
अन्य गैर खनन		9.68	35.12	49.47
अन्वेषण + पी एण्ड डी	6.17	4.46		
जोड़ (ना.को.लि.)	**132.55**	**620.00**	**326.00**	**600.00**

कम्पनी - डब्ल्यू सी एल

विवरण	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अनु.**	**2005-06 सं.अनु**	**2006-07 ब.अ.**
विद्यमान खानें और पूर्ण परियोजनाएँ	110.54	98.71	192.14	116.86
चालू परियोजनाएं	51.31	63.00	25.46	44.16
भावी की परियोजनाएं		10.43	0.17	1.19
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं				
कुल खनन	**161.85**	**172.14**	**217.77**	**162.21**
वाशरी	0.02	0.00	0.69	0.08
अन्य गैर-खनन	32.43	13.14	22.84	44.21
अन्वेषण + पी एण्ड डी	24.20	20.00	25.00	25.00
जोड़ (वे.को.लि.)	**218.50**	**205.28**	**266.30**	**231.50**

कम्पनी - एस.ई.सी.एल

विवरण	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अनु.**	**2005-06 सं.अनु**	**2006-07 ब.अ.**
विद्यमान खानें और पूर्ण परियोजनाएँ	111.55	154.09	289.67	76.64
चालू परियोजनाएं	31.30	71.61	76.42	619.28
भावी परियोजनाएं	12.76	203.30	0.00	1.33
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं				
कुल खनन	**155.61**	**456.00**	**366.09**	**697.25**
वाशरी				
अन्य गैर - खनन	41.13	22.00	28.91	16.00

अन्वेषण + पी एण्ड डी	16.05	22.00	35.00	36.75
जोड़ (सा.ई.को.लि.)	**212.79**	**500.00**	**430.00**	**750.00**
कम्पनी - एम.सी.एल				
विवरण	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अनु.**	**2005-06 सं.अनु**	**2006-07 ब.अ.**
विद्यमान खानें और पूर्ण परियोजनाएं	105.07	53.50	36.00	32.00
चालू परियोजनाएं	23.33	82.04	200.00	232.00
भावी परियोजनाएं	3.35	119.00	14.00	89.00
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं		1.00		
कुल खनन	**131.75**	**255.54**	**250.00**	**353.00**
वाशरी				
अन्य गैर - खनन	10.91	79.46	30.00	51.00
अन्वेषण + पी एण्ड डी		15.00	20.00	21.00
जोड़ (म.को.लि.)	**142.66**	**350.00**	**300.00**	**425.00**
कम्पनी - एन.ई.सी. - सी.आई.एल की यूनिट				
विवरण	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अनु.**	**2005-06 सं.अनु**	**2006-07 ब.अ.**
विद्यमान खानें और पूर्ण परियोजनाएँ	1.44	3.50	3.50	4.00
चालू परियोजनाएँ				
भावी परियोजनाएँ	0.75			
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं				
कुल खनन	**2.19**	**3.50**	**3.50**	**4.00**
वाशरी				
अन्य गैर - खनन	0.17	0.50	0.00	0.00
अन्वेषण + पी एण्ड डी				
जोड़ (एन.ई.सी.)	**2.36**	**4.00**	**3.50**	**4.00**
सी.एम.पी.डी.आई.एल	1.66	5.21	6.00	7.00
डी.सी.सी./सी.आई.एल /आई. आई सी. एम.		28.84	4.70	4.70
डी.सी.सी./सी.आई.एल मुख्या/आई. आई सी. एम.	7.40	27.22	28.50	26.50

आर एण्ड डी/ ई.सी.एल. अन्वेषण				
कुल एनईसी/सीआईएल/सीएमपीडी आईएल	**11.42**	**65.27**	**42.70**	**42.20**
कम्पनी - समग्र सी.आई.एल				
विवरण	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अनु.**	**2005-06 सं.अनु**	**2006-07 ब.अ.**
विद्यमान खानें और पूर्ण परियोजनाएं	804.67	1022.92	1446.03	1392.13
चालू परियोजनाएं	130.45	546.13	397.94	962.80
भावी परियोजनाएं	24.81	931.60	16.90	292.66
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं	0.00	2.19	0.00	50.00
कुल खनन	**959.93**	**2502.84**	**1860.87**	**2697.59**
वाशरी	1.60	15.00	7.11	20.08
अन्य गैर - खनन	135.09	148.78	201.82	196.08
अन्वेषण + पी. एण्ड डी.	82.63	86.46	115.00	111.75
(डीसीसी/सीआईएल/मुख्या. /आईआईसीएम/आर एण्ड डी., ई.सी.एल. अन्वेषण	9.06	61.27	39.20	38.20
जोड़ (को.इं.लि.)	**1188.31**	**2814.35**	**2224.00**	**3063.70**

कोयले का उत्पादन

3.5 विद्यमान खानों,चालू परियोजानाओं तथा नई परियोजनाओं से कोयला उत्पादन का 2004-2005 (वास्तविक) 2005-2006 (लक्ष्य तथा प्रत्याशित)और 2006-07 के लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

	2004-05 वास्तविक	**2005-06 ब.अ.**	**2005-06 सं. अ.**	**2006-07 ब.अ.**
विद्यमान	28.60	29.09	31.11	29.66
पूर्ण परियोजनाएं	263.22	245.56	248.93	240.77

चालू परियोजनाएं	29.97	38.31	60.46	77.57
भावी परियोजनाएं	1.78	30.04	5.31	15.80
जोड़	**323.57**	**343.00**	**345.81**	**363.80**

3.6 कम्पनी-वार कोयला उत्पादन नीचे सारणी में दिया गया है :-

(मिलियन टन में)

कम्पनी	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अ.**	**2005-06 सं. अ.**	**2006-07 ब.अ.**
ई.को.लि.	27.25	29.83	32.44	33.00
भा.को.को.लि.	22.31	24.22	24.22	25.20
से.को.लि.	37.39	40.40	40.40	42.00
ना.को. लि.	49.95	50.80	50.80	52.00
वे.को.लि.	41.41	41.90	41.90	42.00
सा.ई.को.लि.	78.55	83.00	83.00	88.50
म.को.लि.	66.08	72.00	72.00	80.00
ना.ई.को.	0.63	0.85	1.05	1.10
समग्र को.इं.लि	**323.57**	**343.00**	**345.81**	**363.80**

3.7 2004-05 के दौरान धुले कोयले का 4.82 मि.टन उत्पादन हुआ था। वर्ष 2005-2006 में धुले कोंकिग कोयले का प्रत्याशित उत्पादन 5.11 मिलियन टन है । 2006-2007में 5.45 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है।

कोयले का उठान तथा पिट-हैड स्टाक :

3.8 कच्चे कोयले का उठान 2003-2004 के दौरान 304.44 मि.टन. और 2004-05 के दौरान 321.55 मि.टन था । मार्च, 2005 के अंत में कोयले का बिक्री योग्य स्टॉक 23.34 मिलियन टन था और मार्च, 2006 के दौरान प्रत्याशित स्टाक 22.24 मि.ट.(अनंतिम) है ।

कोयले के उठान तथा पिट हैड स्टॉक के सहायक कम्पनी-वार आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

(मि.टन.में)

	कोयले का उठान				**कोयला स्टाक (विक्रेय स्टॉक)**		
कम्पनी	**2003-04 वास्तविक**	**2004-05 वास्तविक**	**2005-06 ब.अ.**	**2005-06 सं.अ.**	**2006-07 ब.अनु**	**1.4.2005 की स्थिति के अनुसार (वास्तविक)**	**31.3.06 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)**
ई.को.लि.	27.43	27.17	29.83	32.44	33.00	2.94	2.94
भा.को.को.लि.	23.80	22.44	24.52	24.52	26.00	2.84	2.55
से.को.लि.	36.37	35.83	40.90	40.90	42.50	6.62	6.12
ना.को.लि.	46.48	50.12	51.00	51.00	52.80	1.60	1.40
वे.को.लि.	39.20	40.32	41.90	42.99	42.00	2.19	2.19
सा.ई.को.लि.	70.93	78.80	83.00	83.00	88.50	3.74	3.74
म.को.लि.	59.36	66.30	72.00	72.00	80.00	3.02	3.01
ना.ई.को.	0.87	0.57	0.95	1.25	1.29	0.39	0.29
समग्र को.इं.लि	304.44	321.55	344.10	348.10	366.09	23.34	22.24

ब्रिकी योग्य स्टॉक

3.9 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार ब्रिकी योग्य कोयले का स्टॉक निम्नानुसार था:- **(मिलियन टन में)**

1.4.2004 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक स्टॉक (वर्ष 2004-05 के लेखा-परीक्षित लेखाओं के अनुसार)	21.33
i) प्राप्त स्टॉक	23.33
ii) मापित स्टॉक	23.05
अंतर का ब्यौरा	
क) 5 % तक की अधिकता	0.06
ख) 5 % तक की कमी	0.35
ग) 5 % से अधिक की अधिकता	0.05
घ) 5 % से अधिक की कमी	0.04
लेखाओं में स्वीकृत स्टॉक (ii-क + ख)	23.34

घटाएं : जब्त कोयला | -
कुल विक्रेय स्टॉक | 23.34

कोयला बिक्री की बकाया राशियां :

3.10 कोल इंडिया लि0 को सभी उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, जिनमें विद्युत, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक तथा अन्य शामिल हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्रों को अग्रिम भुगतान पर कोयले की आपूर्ति की जाती है, परन्तु विद्युत और इस्पात जैसे बड़े उपभोक्ता कोयला क्रेडिट पर ले रहे हैं । रा.वि.बोर्डों और एस.पी.सी. की खराब वित्तीय स्थितियों के कारण, 31.3.2005 का 3606.33 करोड़ रू. की राशि कोयला बिक्री की देय राशि के रूप में बकाया थी ।

31.3.2005 और 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार कंपनी-वार सकल कोयला बिक्री देय तथा निवल कोयला बिक्री की बकाया राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपयों में)

कंपनी	**31.3.2005 के अनुसार कोयला बिक्री देय**		**31.3.2004 के अनुसार कोयला बिक्री देय**	
	सकल	**देय**	**सकल**	**देय**
ईसीएल	574.93	321.12	938.95	684.34
बीसीसीएल	663.99	164.91	701.18	248.91
सीसीएल	958.93	659.84	868.60	649.23
एनसीएल	106.80	94.90	154.40	143.42
डब्ल्यूसीएल	709.27	389.95	831.07	319.59
एसईसीएल	423.14	254.08	430.99	266.85
एमसीएल	158.49	69.61	143.99	62.93
एनईसी/सीआईएल	10.78	0.16	11.08	0.42
जोड़	**3606.33**	**1954.57**	**4080.26**	**2375.69**

उत्पादकता

3.11 कोयला क्षेत्र में उत्पादकता को आमतौर पर प्रति व्यक्ति प्रतिपाली टन उत्पादन (ओ.एम.एस.) के रूप में मापा जाता है । यह देखा जायेगा कि प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, जिससे कार्य - क्षमता में सुधार के प्रयास परिलक्षित होते हैं । सहायक कम्पनी वार-श्रमिकों की उत्पादकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :-

कम्पनी	2003-04 वास्तविक	2004-05 वास्तविक	2005-06 ब.अ.	2005-06 सं. अ.	2006-07 ब.अ.
ईसीएल	1.09	1.07	1.23	1.32	1.40
बीसीसीएल	1.16	1.23	1.42	1.33	1.46
सीसीएल	2.48	2.51	2.94	2.97	3.19
एनसीएल	10.56	10.24	11.02	10.65	11.00
डब्ल्यूसीएल	2.29	2.41	2.45	2.42	2.44
एसईसीएल	3.49	3.95	4.05	4.10	4.38
एमसीएल	12.46	12.93	14.54	13.34	14.97
एनईसी/सीआईएल	1.02	0.92	1.26	1.54	1.57
समग्र सी.आईएल	2.82	3.05	3.33	3.30	3.56

कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कम्पनियों का पूंजीगत पुनर्गठन

3.12 को.इं.लि. के पूंजीगत आधार के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा एक नीतिगत सहायता पैकेज अनुमोदित किया गया था । भारत सरकार को देय सी.आई.एल. के 432.64 करोड़ रू. के बकाया ब्याज मुक्त गैर-योजनागत ऋण की सामान्य ब्याज के साथ 3 समान किश्तों में पुनःअदायगी की जानी थी । सी.आई.एल. ने वर्ष 2002-03 में सामान्य ब्याज सहित ऋण की अदायगी कर दी । सी.आई.एल. ने भारत सरकार से 71.62 करोड़ रू. के गैर-योजनागत ऋण पर दण्डात्मक ब्याज के संबंध में छूट की मांग की है । इस मुद्दे पर निर्णय की प्रतीक्षा है ।

3.13 सहायक कम्पनियों के पूंजी पुनर्गठन पर भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, कम्पनी कार्य विभाग की अनुमति से अनुमोदित योजना को कार्यान्वित किया

गया था और इसे विधिवत रूप से भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था ।

पुनरूद्धार पैकेज

3.14 ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल दो रूग्ण कम्पनियां है जिन्हे बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया था और उन्हें क्रमशः मामला सं. 501/2000 तथा 504/95 के माध्यम से रूग्ण कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया । ई.सी.एल. के पुनरूद्धार पैकेज को प्रचालन एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है और बी.सी.सी.एल ने अपना पुनरूद्धार पैकेज स्वयं तैयार किया है । एन.सी.डब्ल्यू.ए. - VII के प्रभाव के संबंध में भी उचित विचार-विमर्श किया गया है । तत्पश्चात् बी.आर.पी.एस.ई ने ई.सी.एल. के पुनरूद्धार पैकेज की सिफारिश की है और इसे विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया है । बी.सी.सी.एल का संशोधित पुनरूद्धार पैकेज प्रक्रियाधीन है ।

कोल इंडिया लि. के कार्य निष्पादन परिणाम

3.15 एन.सी.डब्ल्यूए. -VII के लागू होने के कारण बकाया वेतनों के प्रभाव के कारण 2004-05 में 2449.64 करोड़ रू के लाभ का प्रावधान किया गया है । तथापि, एन.सी.डब्ल्यू - VII पर विचार किए जाने से पहले 2004-05 में एस.ई.सी.एल का लाभ 388.95 करोड़ रू है ।

कंपनी-वार स्थिति नीचे दी गई हैः-

कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों का कार्यसंचालन परिणाम

(करोड़ रुपये में)

सहायक कम्पनियों के नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
ई.को.लि.	-917.19	-277.64	-338.78	-326.38	-679.20
भा.को.को.लि.	-1276.70	-755.00	-507.13	-569.85	-959.43
से.को.लि.	-792.91	-108.34	384.65	370.38	437.81
ना.को. लि.	1025.05	1387.34	1293.01	1647.06	1976.03
वे.को.लि.	28.23	310.20	472.52	743.60	935.30
सा.ई.को.लि.	116.92	768.87	882.13	1314.22	1580.93
म.को.लि.	641.35	719.60	882.31	1418.60	1469.36

सी.एम.पी. डी.आई. एल.	-3.81	2.80	1.99	1.76	1.73
को.इं.लि.(एन.ई. सी. / डी.सी.सी. स्टाकयार्ड सहित)	280.21	561.80	280.08	1355.97	1328.30
उप जोड़	**-898.85**	**2609.63**	**3350.78**	**5955.36**	**6090.83**
घटाएं : सहायक कम्पनियों से प्राप्त तथा ना.ई. को/ को.इं.लि. के खाते में डाला गया लाभांश	515.62	855.09	485.28	1066.20	1289.31
समग्र (को.इं.लि.)	**-1414.47**	**1754.54**	**2865.50**	**4889.16**	**4801.52**

कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कोयला कंपनियों में कल्याण कार्य

3.16 कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों के प्रबंधन का यह दृढ़ विश्वास है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खानों की सफलता तथा विकास, मुख्यतः संतुष्ट तथा प्रेरित कामगारों पर निर्भर करता है । श्रमशक्ति एक मूल तथा महत्वपूर्ण संसाधन है और गैर-मानव संसाधनों को कुशल तथा प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए उनकी पूर्ण भागीदारी तथा सहायता बहुत आवश्यक है । कोयला उद्योग एक श्रमशक्ति प्रधान उद्योग है और वर्तमान में को.इं.लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियों के पास लगभग 4.68 लाख (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार) श्रमिक हैं । को .इं.लि. में कल्याणकारी उपायों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा को ।

राष्ट्रीयकरण से पूर्व का परिदृश्य

3.17 कोयला खानें आमतौर पर अलग-थलग एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जहाँ आधुनिक जीवन की सभी सुविधाओं का अभाव है । राष्ट्रीयकरण के समय कोयला खानों के कामगारों का जीवन स्तर - कार्यस्थल तथा निवास दोनों ही स्थानों पर बहुत खराब एवं अस्वास्थ्यकर था । कामगारों को निम्न स्तर की परिस्थितियों में रहना पड़ता था । तत्कालीन निजी भू-खनन स्वामी उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, पेयजल, चिकित्सा-सुविधाएं आदि भी उपलब्ध कराने में असमर्थ थे ।

राष्ट्रीयकरण के बाद का परिदृश्य :

3.18 राष्ट्रीयकरण के तत्काल बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कम्पनियों ने कोयला खानों की कमियों को समाप्त करने का प्रभावशाली बीड़ा उठाया । कामगारों को

कोयला मजदूरी बोर्ड अधिनिर्णय के अनुसार देय मजदूरी दी जाती थी । कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे.बी.सी.सी.आई.) का गठन किया गया ताकि नये वेतन ढाँचे पर बातचीत की जा सके, एवं निर्णय लिया जा सके ।

3.19 इसी तरह, कार्य स्थान तथा निवास स्थान पर व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए । कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों ने वर्ष 1975-76 से 2004-05 तक की अवधि में कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यों पर 19676.96 करोड़ रुपये (पूंजीगत व्यय के रूप में 2744.00 करोड़ रुपये तथा राजस्व व्यय के रूप में 16932.96 करोड़ रुपये) की राशि खर्च की है । इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

कल्याणकारी क्रियाकलापों पर किया गया व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूँजीगत	राजस्व	जोड़
1975-76	12.23	14.22	26.45
1976-77	23.02	21.85	44.87
1977-78	25.49	29.69	55.18
1978-79	18.27	33.04	51.31
1979-80	18.52	46.14	64.66
1980-81	25.38	72.31	97.69
1981-82	40.96	98.48	139.44
1982-83	66.37	115.73	182.10
1983-84	67.22	152.54	219.76
1984-85	69.68	194.89	264.57
1985-86	100.42	196.55	296.97
1986-87	122.00	236.18	358.18
1987-88	108.77	284.60	393.37
1988-89	124.02	279.24	403.26
1989-90	82.20	316.42	398.62
1990-91	124.13	364.82	488.95
1991-92	113.90	454.92	568.82
1992-93	132.48	591.57	724.05
1993-94	167.20	621.80	789.00
1994-95	134.23	696.71	830.94
1995-96	136.00	890.19	1026.19
1996-97	154.00	984.67	1138.67
1997-98	176.00	1071.11	1247.11
1998-99	152.04	1104.57	1256.61
1999-00	147.47	1126.94	1274.41
2000-01	93.42	1270.31	1363.73

2001-02	87.78	1231.99	1319.77
2002-03	65.12	1402.74	1467.86
2003-04	69.21	1509.50	1578.71
2004-05	86-47	1519-24	1605-71
जोड़	**2744.00**	**16932.96**	**19676.96**

3.20 कोयला कम्पनियां अपने कामगारों के कल्याण पर काफी ध्यान दे रही हैं । कोयला खनिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं । मूलभूत आवश्यकताओं जैसे - आवास, जलापूर्ति तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में सुधार किए जाने पर बल दिया जा रहा है । कोलफील्ड क्षेत्रों में सामान्य पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिक परिस्थितियों में सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

3.21 **कर्मचारियों का कल्याण**

कल्याणकारी उपाय	**राष्ट्रीयकरण के समय**	**31.3.2005 की स्थिति के अनुसार**
उपलब्ध आवासों की संख्या	118366	410675
आवासीय संतुष्टि (%)	21.07 %	87.66%
जलापूर्ति योजना के तहत लाभान्वित जनसंख्या	227300	2280278
अस्पतालों की संख्या	49	86
औषधालयों की संख्या	197	430
रोगी वाहनों की संख्या	42	673
अस्पतालों में बिस्तर	1482	5875
कोलफील्डों में तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत स्कूल और कालेज	287	675
जलपान गृहों की संख्या	210	467
सहकारिता समितियों की संख्या	177	326

आवास

3.22 राष्ट्रीयकरण के समय, स्तरीय एवं निम्न-स्तर के आवासों की कुल संख्या केवल 1,18,366 थी । दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार इन आवासों की संख्या बढ़कर 410675 हो गई है । अब आवासीय सन्तुष्टि लगभग 87.66 प्रतिशत पहुंच गयी है । कोयला कम्पनियों द्वारा इन सुविधाओं में और अधिक सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

जलापूर्ति

3.23 राष्ट्रीयकरण के समय केवल 2.27 लाख जनसंख्या को ही पेय जल की आपूर्ति की जाती थी । कोयला कंपनियों द्वारा किए गए संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान में, 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार 22.80 लाख व्यक्तियों को जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराया गया है ।

स्वास्थ्य संबंधी देखरेख एवं चिकित्सा सुविधाएं

3.24 को.इं.लि. और इसकी सहायक कम्पनियां अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को कोयला क्षेत्र के विभिन्न भागों में डिस्पेंसरी स्तर से लेकर केन्द्रीय और शीर्षस्थ अस्पताल स्तर के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रही हैं ।

3.25 कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए को.इं.लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियों में 5875 बिस्तरों वाले 86 अस्पताल, 430 औषधालय, 673 रोगी वाहन तथा विशेषज्ञों सहित 1672 चिकित्सक हैं ।

3.26 इसके अलावा, श्रमिकों को स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए को.इं.लि. की सहायक कम्पनियों में 12 आयुर्वेदिक औषधालय भी चलाए जा रहे हैं ।

शिक्षा

3.27 शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है । किन्तु, को.इ.लि. अपने स्तर पर कुछ विद्यालयों जैसे डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, डी.पी.एस. तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है । इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में को.इं.लि. तथा उसकी सहायक कंपनियां कोलफील्ड क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के इलाकों में निजी रूप से प्रबंधित कुछ विद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही हैं ।

3.28 राष्ट्रीयकरण के समय 287 शिक्षण संस्थाओं की तुलना में, वर्तमान में, कोल इंडिया लि0 की सहायक कंपनियां 61 परियोजना स्कूल तथा 298 निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को आवर्ती अनुदान उपलब्ध करा रही हैं । इसके अतिरिक्त, 288 अन्य

शैक्षणिक संस्थानों को भी समय-समय पर अनुदान दिया जाता है तथा 28 परियोजना स्कूलों को संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

अन्य कल्याणकारी कार्यकलाप

3.29 को.इं.लि. की सहायक कम्पनियां 467 जलपान गृह, 326 सहकारी संस्थाएं तथा 80 शिशुसदन चला रही हैं और खनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में विस्तार काउन्टरों सहित 330 बैंक शाखाएं भी उपलब्ध हैं ।

वृक्षारोपण/वनीकरण

3.30 कोल इण्डिया लि0 की सहायक कम्पनियां बेकार पड़ी हुई और पुनरूद्धार की गई भूमि पर हरित-पट्टी के नियमित विकास के कार्य को मूर्त रूप दे रही हैं । कोयला कम्पनियों ने वर्ष 2004-05 के दौरान कोलफील्ड क्षेत्रों में 26.29 लाख पौधे लगाए हैं ।

सुरक्षा

3.31 कोल इंडिया लि. की प्रतिबद्धता के अनुरूप, सुरक्षा के मोर्चे पर सुरक्षा संबंधी प्रयास जारी रहे जिनके परिणामस्वरूप घातक दुर्घटनाओं में लगातार कमी आई है । तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004 में धातक दुर्धटनाओं एवं सांधातिकताओं में थोड़ी सी वृद्धि हुई हे जैसा कि नीचे की तालिका देखा जा सकता है -

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं		गंभीर दुर्घटनाएं		मृत्यु दर		गंभीर घायलों की दर	
	दुर्घटनाएं	मौतें	दुर्घटनाएं	घायल	प्रति मि.टन	प्रति 3 लाख श्रमपाली	प्रति मि. ट.	प्रति 3 लाख श्रमपाली
1975	177	233	1456	1515	2.62	0.52	17.03	3.41
1985	136	152	507	524	1.15	0.31	3.97	1.07
2000	80	100	547	583	0.37	0.25	2.16	1.50
2003	60	64	339	354	0.21	0.18	1.18	1.00
2004	66	70	402	414	0.22	0.20	1.29	1.17

टिप्पणी : 2004 के आंकड़ों का डी.जी.एम.एस. के साथ समाधान किया जाना है।

तथापि, दुर्भाग्यवश चालू वर्ष 2005 में, जैसाकि नीचे दिया गया है, सांधातिकताओं की घटती हुई प्रवृत्ति को बनाए रखना संभव नहीं हो पाया है फिरभी धातक दुर्घटनाओं, गंभीर दुर्घटनाओं और घायलों की संख्या को पिछली वर्ष की इसी अवधि की तुलना में घटाया गया है ।

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं		गंभीर दुर्घटनाएं		मृत्यु दरें		गंभीर घायलों की दरें	
	दुर्घटनाएं	मौतें	दुर्घटनाएं	मौतें	प्रति मि.टन	प्रति 3 लाख श्रमपाली	प्रति मि. ट.	प्रति 3 लाख श्रमपाली
2005 (जन-अक्तू.)	56	72	287	296	0.26	0.25	1.08	1.03
2004 (जन-अक्तू.)	57	61	379	389	0.23	0.21	1.49	1.33

टिप्पणीः 2005 के दौरान सी.सी.एल. की सेन्ट्रल सौंदा खान दुर्घटना में 14 मौतों सहित आकड़ें डी.जी.एम.एस. के समाधान के अधीन है ।

3.32 **वर्ष 2005 में खनन प्रचालनों में सुरक्षा में और वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं-**

1. सी.आईएल. द्वारा खानों की सुरक्षा की स्थिति,, विशेषकर दुर्घटना से खतरों के संबंध में जिनमें बड़ी संख्या में मौतें होने की संभावना है तथा जाहां कही अपेक्षित हो, तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए नए सिरे से जांच करने के संबंध में निदेश जारी किए है ।
2. अनुभवी माइनिंग/इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरों द्वारा खानों के नियमित सुरक्षा आडिट किए जाते हैं और उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है।
3. क्विक - सैटिंग सीमेंट/रेसिन ग्राउट सहित रूफ बोल्टों का प्रयोग करके रूफ सपोर्ट प्रणाली का आधुनिकीकरण ।
4. कम्प्यूटरीकृत सतत खान पर्यावरण टेलीमानिटरिंग प्रणाली द्वारा कुछ चयनित खानों में हस्तधारित गैस डिटेक्टरों द्वारा खान पर्यावरण की सख्त निगरानी, जिससे उन परिस्थितियों को तैयार करने मे अग्रिम चेतावनी मिल सके जिससे आग/विस्फोट होने में सहायता मिल सके अथवा जहरीली गैस के होने का पता चल सके ।
5. प्रत्येक खान में पानी के अर्न्तप्रवाह के खतरों की विस्तृत जांच की जाती है तथा जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
6. खान योजनाओं की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण तथा संयुक्त सर्वेक्षण किए गए हैं/ किए जा रहे है और पुराने जलमग्न क्षेत्रों एवं कार्य गैलरियों के बीच अवरोधों का निर्धारण करने के लिए कुछ भुमिगत खाने में ग्राउन्ड पेनेट्रेटिंग राडार (जीपीआर) भूकम्प और विद्युत प्रतिरोधी पद्धति जैसी आधुनिक पद्धतियों को प्रयोग में लाया जा रहा है । कुछ खानों में खान योजना का डिजिटलाइजेशन का भी परीक्षण किया गया है ।

7. कामगारों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए ठेकेदार के कामगारों सहित कामगारों और सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है ।

8. विभिन्न निकायों के माध्यम से खान स्तर से क्षेत्र स्तर, सहायक कंपनी स्तर से शीर्ष सी.आई.एल. स्तर तक सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता को बढ़ावा देना ।

9. भूमि के नीचे तैनात कार्यबल को आकस्मिकताओं के लिए तैयार करने हेतु आकस्मिकता कार्रवाई योजना के छद्म अभ्यास आयोजित करना ।

10. कामगारों में सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए सुरक्षा से समबद्ध मसलों आदि के संबंध में सुरक्षा अभियान, सुरक्षा प्रचार, प्रसार सेमिनार एवं अभियान, कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

11. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधकों, महाप्रबंधकों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण पर जोर देना, उनकी निगरानी करना और यथाअपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

12 ए.सी.एम. और प्रबंधकों द्वारा सांविधिक बैंक शिफ्टनिरीक्षणों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैंक शिफ्ट निरीक्षण पर जोर देना ।

13. ब्लास्टिंग से समबद्ध समस्याओं से बचने के लिए तथा कुछ भूमिगत खानों में सक्रिय मुहानों में कामगारों की उपस्थिति को कम करने के लिए सतत खनिकों को लागू करना ।

14. कुछ ओपनकास्ट खानों में ब्लास्टिंग की समस्याओं से बचने के लिए सतही खनिकों को लागू करना ।

15. वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा ओ.बी. डम्प की ढाल स्थिरता का अध्ययन कराना ।

16. ओपनकास्ट खानों में नए विकसित विभिन्न धूल निषेध रासायनिकों का उपयोग ।

17. आपेनकास्ट खानों मे यातायात सघनता में कमी लाने के लिए उच्च क्षमता वाले शावेल एवं डम्पर का उपयोग ।

18. ओपनकास्ट खानों में ब्लास्टिंग प्रवृत्त कंपन ओर आपेनकास्ट खानों में उच्च क्षमता के हैम के उपयोग के कारण उत्पन्न शोर के प्रभाव को मापने के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग ।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

3.33 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) जो वर्ष 1920 में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित की गई थी, वर्ष 1956 में एक सरकारी कंपनी बन गई, जब आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण किया । इस कंपनी की शेयर पूंजी में आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के शेयर क्रमशः 51:49 के अनुपात में है । सिं. को. कं. लि. में निवेश भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार तथा सिं.को.कं.लि. के बीच एक त्रिपक्षीय करार के द्वारा अधिशासित होता है । ऐसा पिछला करार 19 अक्तूबर, 2004 को X वीं योजना अवधि के लिए किया गया था, जिसमें दिनांक 1.4.2002 से 31.3.2007 तक की अवधि शामिल है ।

3.34 यह कंपनी आंध्र प्रदेश में कोयला खनन क्रियाकलापों में लगी हुई है । कोयले के भंडार आंध्र प्रदेश में प्रानाहिता गोदावरी घाटी के 350 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार 8478.20 मिलियन टन भंडार प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । खनन क्रियाकलाप आंध्र प्रदेश के 4 जिलों अर्थात खम्माम, अदीलाबाद, करीम नगर तथा वारंगल में केन्द्रित हैं ।

3.35 31.3.2005 को सिं.को.कं.लि. की प्राधिकृत पूंजी 1800 करोड़ रुपये थी और उक्त तारीख को प्रदत्त पूंजी 1733 करोड़ रुपये थी । वर्ष 2004-05 में कंपनी का कुल कारोबार 3414 करोड़ रुपये था ।

परिव्यय

3.36. 2006-2007 में 37.50 मि.टन के उत्पादन स्तर की प्राप्ति हेतु 577.09 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । वित्त वर्ष 2005-2006 में संशोधित अनुमान हेतु तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 395 करोड़ रुपये तथा 36.00 मि.टन है ।

3.37 2003-04 और 2004-05 के वास्तविक आंकड़ों सहित 2005-2006 का बजट अनुमान, सं.अनुमान. और ब.अ. 2006-07 के लिए योजना-वार योजनागत परिव्यय नीचे दिए गए हैं । सारा योजनागत परिव्यय केवल आन्तरिक स्रोतों से पूरा किया जाता है ।

योजना-वार योजनागत परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

योजना	2002-03 वास्तविक	2003-04 वास्तविक	2005-06 (ब.अ.)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
खनन	154.38	242.93	354.03	349.94	429.67
गैर-खनन	9.04	31.94	40.97	45.06	147.42
कुल	163.42	274.87	395.00	395.00	577.09

वित्तीय कार्य निष्पादन

3.38 कंपनी ने उत्पादन और बिक्री में चौतरफा वृद्धि की और लगातार आठवें वर्ष लाभ अर्जित किया । निम्नलिखित सारणी कंपनी के महत्वपूर्ण कार्य-निष्पादन को दर्शाती है :-

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2003-04 की तुलना में % वृद्धि/कमी
उत्पादन	मि.ट.	30.81	33.24	33.85	35.30	4.28
प्रेषण	मि.टन.	31.19	33.48	33.94	34.83	2.62
कोयले की बिक्री	करोड़ रु.	2949.02	3141.83	3178.65	3413.73	7.40
प्रति श्रम पाली उत्पादन	टन	1.34	1.55	1.47	1.62	10.20
कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि(+/-)	करोड़ रु.	326.30	411.72	503.99	576.01	14.29
संचित लाभ/हानि (+/-)	करोड़ रु.	(-)260.77	80.45	28.15	190.60	

3.39 वर्ष 2004-2005 के दौरान अर्जित लाभ के 12% के रूप में 43.35 करोड़ रुपये का भुगतान कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में किया गया था जबकि वर्ष 2003-04 में 19.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था ।

3.40 रायल्टी और बिक्री कर से राज्य सरकार (आंध्र प्रदेश) को प्राप्त होने वाली धनराशि 2003-04 में 491.81 करोड़ रू., 2002-03 में 459.76 करोड़ रुपये और 2001-02 में 364.56 करोड़ रुपये की तुलना में 2004-05 में 515.43 करोड़ रुपये थी ।

3.41 कंपनी ने वर्ष 2004-05 के लिए लगातार तीसरे वर्ष 5 % लाभांश की घोषणा की है जिसकी राशि 86.66 करोड़ रू. है ।

पुनर्गठन पैकेज

3.42 कंपनी द्वारा नई परियोजनाएं आरंभ किए जाने और कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9वीं तथा 10वीं योजनावधि के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन पैकेज का एस.सी.सी.एल. ने प्रस्ताव किया था, जो कोयला मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा संस्तुत था और अंततः आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1999 में अनुमोदित कर दिया गया था ।

3.43 नौवीं योजना में इक्विटी के निषेचन तथा भारत सरकार के ऋणों पर दंडात्मक ब्याज की छूट के अलावा पुनर्गठन पैकेज में VIII वीं योजना अवधि के दौरान 31.3.2007 तक की अवधि के भारत सरकार के ऋणों पर प्रोदभूत 663.34 करोड़ रु. (31.3.97 तक) के बकाया ब्याज के भुगतान पर ऋण स्थगन दिया गया ।

वर्ष 2005-06 के दौरान गतिविधियां

3.44 **ईंधन आपूर्ति करार :**

एस.सी.सी.एल ने ईंधन आपूर्ति करार/संयुक्त नमूनाकरण प्रोटोकाल की कवरेज के तहत 91.3 प्रतिशत कोयला उठान वाली सबसे पहली कम्पनी होने का गौरव हासिल किया है । 3 विद्युत उपयोगिताओं, 26 प्रमुख सीमेंट उद्योगों, 11 केप्टिव विद्युत संयंत्रों और 4 अन्य उद्योगों के साथ ईन्धन आपूर्ति करार है । पारदर्शिता और सुनिश्चित आपूर्ति के कारण इन समझौतों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है । उपभोक्ता आधार पिछले वर्ष के 4812 से बढ़कर 5082 हो गया है ।

3.45 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना :-

अधिशेष श्रमशक्ति को कम करने और अनुमोदित पुनर्गठन पैकेज के अनुसार श्रमशक्ति के कम किए जाने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपने एक प्रयास के भाग के रूप में कंपनी ने वर्ष 1999-00 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) (गोल्डन हैंडशेक) प्रारंभ की । इस योजना

के अंतर्गत 12,196 कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है और नवम्बर, 2005 तक इसके अंतर्गत भुगतान की गई राशि 390.51 करोड़ रू. थी ।

कल्याण संबंधी उपाय

3.46 " मानव संसाधन " किसी भी संगठन के लिए एक बड़ी परिसम्पत्ति होता है और किसी संगठन की शक्ति उसके निष्ठावान कामगारों में निहित होती है । प्रबंधन का सदैव यह प्रयास रहा है कि एक कार्य-कुशल दल विकसित किया जाए और अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए । भागीदारी और अपनत्व की भावना पैदा किए जाने हेतु, प्रबंधन द्वारा अधिक संख्या में तथा बेहतर आवास, चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाओं को मुहैया कराने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । उपर्युक्त के अतिरिक्त कंपनी मलेरिया निवारण, पोषण और स्वच्छता को महत्व, मधुमेह नियंत्रण, हृदय रोगों और एचआईवी/एड्स आदि के निवारण जैसे मुद्दों के लिए अभियान चला रही है ताकि कर्मचारियों में स्वास्थ्य और मानव-विकास के संबंध में और अधिक जागरूकता लाई जा सके ।

3.47 प्रचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक लाभों के साथ जारी रखा जा रहा है । विभिन्न प्रयोजनों के लिए "सिंगरेनी सेवा समिति " नामक एक स्वैच्छिक सोसायटी स्थापित की गई, जैसे कर्मचारियों के बेरोजगार बच्चों को कौशल और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वे अपनी जीविका के लिए अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उन कर्मचारियों के परिवारों को जीविका के अवसर उपलब्ध कराना जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई हो अथवा चिकित्सा-आधार पर सेवा निवृत्त हो गए हों, कर्मचारियों में बचत करने की आदत और आवश्यकता पैदा करना ।

3.48. कम्पनी अपने कर्मचारियों को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती रही है और अपेक्षित अवसंरचना की व्यवस्था करती रही है । प्रबंधन विभिन्न संचार माध्यमों से कम्पनी के विभिन्न मुद्दों पर कर्मचारियों और उनके परिवारों को जागरूक बनाने पर अधिक बल दे रहा है । टच स्क्रीन और मल्टीमीडिया सहायता से तेलुगु भाषा में सुरक्षा, कल्याण पर्यावरण आदि से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के लिए प्रायोगिक आधार पर 3 सूचना कियोस्क स्थापित किए गए । कम्पनी के कार्यकलापों, सुरक्षा, स्वास्थ्य स्वच्छता आदि पर फिल्म प्रदर्शित करते हुए ‘ सिंगरेनी कार्मिक मित्र’ नामक एक दृश्य-श्रव्य वैन कर्मचारियों की आवासीय कालोनियों, खानों का दौरा करती है ।

3.49 कम्पनी कामगारों के लिए कार्यस्थल पर आराम सुविधा में सुधार लाने के लिए भूमिगत खानों में मैन राइडिंग पद्धति लागू करने में अग्रणी रहा है । जबकि 14 मैन राइडिंग पद्धतियां पहले ही स्थापित कर दी गई थी, यह 21 और खानों में लगाई जा रही है ।

सामूहिक उपदान योजना

3.50 कल्याणकारी उपायों को जारी रखने के एक भाग के रूप में, कंपनी ने 11.12.2003 को एल.आई.सी. के साथ एक सामूहिक उपदान योजना आरंभ की । योजना में एल.आई.सी. के पास निधियों को जमा कराने की परिकल्पना की गई है, जिससे उपदान दावों की देयताओं को पूरा किया जाएगा । 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, एस.सी.सी.एल. ने जीवन बीमा निगम के पास 446.17 करोड़ रूपए जमा किए हैं । योजना की एक अनन्य विशेषता है, जिसमें दुर्भाग्य से कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर विगत में की गई सेवा हेतु पूर्ण उपदान के अतिरिक्त भावी सेवा उपदान के भुगतान का भी प्रावधान है । दूसरे शब्दों में, यदि कर्मचारी की मृत्यु न होती, तो कर्मचारी के नामिती उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के उपदान के साथ-साथ उस अवधि के लिए भी उपदान प्राप्त करेंगे जिस अवधि तक वे सेवा में रहते । एस.सी.सी.एल. इसके लिए प्रीमियम का भुगतान करता है ।

3.51 **शेप:** कंपनी ने समीपवर्ती आवास सहायता कार्यक्रम (शेप) नामक एक योजना विकसित की है । योजना का उद्देश्य एस.सी.सी.एल. में और इसके आसपास के क्षेत्रों में संरचनात्मक ढांचे में सुधार करना है जिससे एस.सी.सी.एल. श्रमिकों और सामान्य जनता को लाभ मिल सकता है । वर्ष 2005-06 में इस उद्देश्य के लिए 16.00 करोड़ रू. का परिव्यय रखा गया है ।

3.52 सिं.को.कं.लि. कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सुधार करने के लिए प्रयास करती रही है और निम्नलिखित विवरण से कंपनी द्वारा किए गए अधिक व्यय के दावों की पुष्टि होगी:-

कल्याण संबंधी उपायों पर व्यय

(रुपये करोड़ में)

मद	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती
चिकित्सा और सफाई	46.10	0.98	49.90	0.99	50.51	0.32	51.32	0.84

आवास	65.46	15.47	67.21	12.10	78.13	13.35	110.95	39.11
शिक्षा	8.01	0.14	8.31	0.21	11.03	0.00	9.55	0.00
अन्य	157.24	6.91	142.57	11.76	149.29	14.61	158.40	6.22
जोड़	276.81	23.50	267.99	25.06	288.96	28.28	330.22	46.17

3.53 मानव संसाधन विकास प्रबंधन: इस तथ्य को मानता है कि अन्य संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि "मानव संसाधन " के साथ किस प्रकार बेहतर व्यवहार किया जाए । वह मानव संसाधन को कंपनी की एक बौद्धिक परिसम्पत्ति के रूप में समझता है । संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर कर्मचारियों की ऊर्जा, कुशलता और प्रतिभा सम्पन्नता को सारणीबद्ध करने की दिशा में उनको अधिक से अधिक अभिप्रेरक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है और प्रत्येक कर्मचारी को अपनी योग्यता और प्रतिभा को सिद्ध करने के लिए अवसर देने हेतु भरसक प्रयास किया जा रहा है । कर्मचारियों की कार्य - कुशलता और सक्षमता के स्तर को अद्यतन करने के लिए प्रबंधन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उन्हें प्रायोजित करता रहा है ।

3.54 कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र जिसका नामकरण "नरगुण्डकर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट " के रूप में स्व. पद्मश्री एस.के. नरगुण्डकर, प्रथम खान अभियंता, जो 1964 में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने, के सम्मान में किया गया था और गोदावरीखानी में 5.11.2000 को खोला गया था । उद्योग की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वरिष्ठ/मध्यम स्तर के कार्यकारी अधिकारियों की कार्य-कुशलता विकसित किए जाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कालेज ऑफ इंडिया, इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज़, नेशनल एचआरडी नेटवर्क, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन परामर्शदाताओं के संकाय सदस्यों को आमंत्रित करके अनेक कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं ।

3.55 सिं.को.कं.लि. के सभी विद्यालयों और कालेजों को सिंगरेनी एजुकेशनल सोसायटी के नियंत्रणाधीन लाया गया है, जिसका गठन शैक्षणिक संस्थाओं के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु किया गया है ।

3.56 **श्रमशक्ति:** वर्ष 2002-03 के अंत तक, कंपनी की कुल श्रमशक्ति 0.97 लाख थी । 2004-05 के अंत तक श्रमशक्ति घटकर 0.92 लाख रह गई है ।

3.57 **औद्योगिक संबंध:** कर्मचारियों में जागरुकता लाने में प्रबंधन के सतत और स्थिर प्रयासों, "कि कंपनी तथा उनका स्वयं का कल्याण औद्योगिक शांति बनाये रखने पर निर्भर करता है" के अच्छे परिणाम निकले हैं । निगमित तथा क्षेत्रीय स्तर पर एक ही मजदूर संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से कंपनी में तीसरी बार सफलतापूर्वक चुनाव कराए गए थे ।

3.58 **शिकायत निवारण तंत्र** : चूंकि कामगार के कष्ट का समय पर निवारण भावी अशांति को समाप्त कर देता है इसलिए सुनियोजित प्रक्रिया के साथ विद्यमान 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का अनुसरण किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं ।

3.59 निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी की परम्परा को जारी रखते हुए प्रबंधन, कंपनी के व्यवसाय तथा कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण और नीतिगत मुद्दों पर क्रियान्वयन से पूर्व कर्मचारियों के साथ मुक्त रूप से विचारों का आदान-प्रदान करता है । प्रबंधक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों के दृष्टिकोण और उनके विचारों को उचित महत्व दिया जाता है । उपर्युक्त के अतिरिक्त कंपनी के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रबंधक वर्ग के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति है जिसमें मान्यता प्राप्त मजदूर संघों तथा अधिकारियों के संघ के भी प्रतिनिधि हैं ।

3.60 प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने में और अधिक पारदर्शिता लाने और मजदूर संघों के नेताओं के सक्रिय व रचनात्मक सहयोग से प्रबंधन को आशा है कि औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य न केवल उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में अपना सहयोग देगा अपितु इससे कंपनी को कामगारों और उनके परिवारों के कल्याण और जीवन शैली में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी ।

3.61 **उत्पादन तथा उत्पादकता** कंपनी उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के हर प्रकार के प्रयास कर रही है । वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में कंपनी का ट्रैक रिकार्ड अच्छा रहा है । वर्ष 2000-01 से वर्षवार लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन नीचे सारणी में दिए गए हैं :-

(मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
2000-01	31.05	30.27
2001-02	31.00	30.81
2002-03	32.50	33.24
2003-04	33.50	33.85
2004-05	35.00	35.30
2005-2006(सं..अ.)	36.00	20.93(11/05 तक)
2006-07 (ब..अ.)	37.50	

3.62 सिं.को.कं.लि. में उत्पादन स्तर वर्ष 2000-01 में 30.27 मि.टन के स्तर से बढ़कर 2004-2005 में 35.30 मि.टन हो गया, जो 3.32 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि को इंगित करता है ।

3.63 2000-01 में प्रतिपाली प्रति व्यक्ति (ओ.एम.एस.) समग्र उत्पादन भी 1.25 टन से बढ़कर 2004-05 में 1.62 टन हो गया ।

3.64 **खानों में सुरक्षा:** खनिज भंडारों का व्यवस्थित रूप में उत्खनन किए जाने में कामगारों की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है । खनन कार्य किए जाने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और इस तरह से स्ट्राटा का संचलन शुरू हो जाता है जिससे रूफ तथा साइड गिरने शुरू हो जाते हैं, खनिज बेडों में अन्तर्ग्रस्त ज्वलनशील तथा हानिकारक गैसें निकलती है, स्ट्राटा जल की काफी मात्रा में निकासी होने लगती है और ज्वलनशील सीमित वातावरण में कोयले में स्वतः ज्वलनशीलता शुरू हो जाती है ।

3.65 सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. ने एक सुरक्षा नीति निर्धारित की है और इसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं : खनन संबंधी जोखिमों को न्यूनतम करना,

सांविधिक विनियमनों का क्रियान्वयन, अनवरत शिक्षा प्रदान किया जाना, सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना जिसमें सुरक्षा उन्मुख कार्यकुशलता के विकास पर बल दिया जाता है तथा कार्य की बेहतर परिस्थितियां बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना ।

3.66 सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लि. में पिछले पांच वर्षों के दौरान गंभीर रूप से घायलों के आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं :-

वर्ष	मोतें	गंभीर रूप से धायल व्यक्तियों की संख्या	धायल दर प्रति			
			मि0 ट0 उत्पादन		3 लाख श्रम पालिया जिनमें काम हुआ	
			एफ	एस	एफ	एस
2000	33	90	1.12	3.05	0.42	1.14
2001	25	114	0.80	3.68	0.33	1.50
2002	23	120	0.68	3.56	0.31	1.64
2003	44	73	1.36	2.26	0.65	1.09
2004	14	162	0.41	4.72	0.20	2.33
2005 **	12	718 @	0.39	23.05 *	0.19	11.61*

एफ - घातक, एस- गंभीर रूप से घायल

* अनंतिम

** जनवरी, 05 से नवम्बर, 05 तक

नोटः- @ फलैजेंज/टोज के टूटने जैसी निम्न उर्जा गंभीर रूप से चौटों को शामिल करते हुए जिसके बारे में 29 जनवरी, 2005 की 30 वीं त्रिपक्षीप सुरक्षा समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब जानकारी दी जा रही है ।

3.67 शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संक्षेप में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(क) भूमिगत खानें

- जहाँ-कहीं संभव हो, वहाँ हस्तलदान के स्थान पर एस.डी.एल., एल.एच.डी. तथा कंटिन्यूअस माइनर्स का प्रयोग करना, जिससे कार्य-स्थल पर श्रमिकों के जमावड़े को कम किया जा सके ।

- खदानों के सपोर्ट के लिए रूफ के क्षेत्र सहित सभी खदानों में बड़ी मात्रा में रूफ बोल्टिंग को अपनाना ।
- लंबे तथा दुष्कर परिवहन वाली आठ खानों में उनके भीतर श्रमिकों के आने-जाने के लिए मानव-सवार (मैन-राइडिंग) प्रणाली प्रारम्भ करना, जिससे श्रमिकों की स्थिर-सवार (सेट-राइडिंग) की प्रवृत्ति को कम किया जा सके ।
- इनटेक वायुमार्गों में अच्छी प्रकाश व्यवस्था सहित संभावित लघुतम मार्ग के साथ परिवहन सड़क मार्ग स्थापित करना ।
- उन खानों में साइड बोल्टिंग करना जहाँ साइड ढहने की प्रवृत्ति अधिक है ।
- खदानों के लिए उपयुक्त सपोर्ट प्रणाली विकसित करने हेतु, वैज्ञानिक संस्थाओं को शामिल करना ।
- खानों में कर्मचारियों द्वारा सैट राइडिंग प्रणाली का सहारा न लेने के लिए कामगारों तथा उनके परिवारों को परामर्श देने के लिए संघों के नेताओं से अनुरोध करना ।

(ख) ओपनकास्ट खानें

- डम्परों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दो मार्गीय हॉल सड़कें बनाना ।
- 1 में 20 के लगभग वाली हल्के ढाल (ग्रेडियन्ट) तथा इससे कम ढाल वाली हॉल सड़कें बनाना ।
- ट्रैफिक नियमों को लागू करना ।
- जहाँ तक संभव हो, उत्खनन क्षेत्रों में हैम के सुचारू तथा सुरक्षित प्रचालन के लिए चौड़ी बेंचों की स्थापना करना ।
- नियोजित शॉवल तथा विद्यमान संस्तर परिस्थितियों के लिए ईष्टतम उपयुक्त ऊँचाई वाली बैंच बनाना ।
- कार्य-स्थल हॉल रोड तथा डम्प यार्ड पर अच्छी प्रकाश व्यवस्था करना, भले ही इसमें उच्च पूंजीगत तथा प्रचालन लागत अन्तर्निहित हो ।
- अंधेरे में पहचान के लिए सभी श्रमिक वर्दी तथा फ्लूरोसेन्ट बैंड वाले हैल्मेट पहनें ।
- ऑफ-लोडिंग ठेकेदारों के श्रमिकों का गहन तथा आवधिक प्रशिक्षण ।

- संविधि के अनुसार ऑफ लोडिंग की संविदा में सुरक्षा नियमों तथा विनियमों के अनुपालन हेतु पर्याप्त प्रावधान ।

(ग) सामान्य

क) पाली के प्रारंभ में श्रमिकों द्वारा सुरक्षा प्रतिज्ञा ।

ख) श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रों में खानों तथा श्रमिक कालोनियों में सुरक्षा ड्रामा आयोजित किए जा रहे हैं ।

ग) दुर्घटनाओं की समीक्षा करने और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए सभी क्षेत्रों में निगमीय सुरक्षा समीक्षा समिति, क्षेत्रीय सुरक्षा समीक्षा समिति और क्षेत्रीय सुरक्षा जाँच समिति गठित की गयी है ।

घ) प्रत्येक क्षेत्र में कोयला काटने वालों तथा सहायक कर्मी दल के लिए विशेष सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।

ड.) दुर्घटना मुक्त लम्बी सेवा के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकार्ड वाले अच्छे कामगारों को सम्मानित करना । प्रति वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर उन्हें स्मृति चिह्न दिए जाते हैं ।

च) सुरक्षा प्रश्नावली प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और खानों में सुरक्षा-सुधार के संबंध में सर्वश्रेष्ठ सुझावों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

छ) विभिन्न मंचों पर की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

(i) खानों में सुरक्षा के संबंध में सम्मेलन ।
(ii) कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति ।
(iii) राष्ट्रीय धूल निवारण समितियां ।
(iv) त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय सुरक्षा समीक्षा बैठकें की जा रही हैं ।

ऊर्जा संरक्षण

3.68 वर्ष 2004-05 के दौरान ऊर्जा के संरक्षण के लिए किए गए विशिष्ट उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- बस्तियों में स्ट्रीट लाइटों, यार्ड लाइटों तथा खदान प्रकाश प्रणाली के लिए स्वचालित नियंत्रण बटनों को लगाना ।
- ऊर्जा दक्ष बोरहोल पम्पों को लगाना।
- खानों में पंपिंग तथा हॉलेज नक्शों का पुनर्गठन ।
- इन्कैन्डिसेन्ट लैम्पों के स्थान पर कम वॉट वाले हल्के फ्लूरोसेन्ट लैम्प लगाना और उच्च वॉट के छत वाले पंखों के स्थान पर कम वॉट वाले पंखों को लगाना।
- सभी आवासीय बस्तियों में उच्च वोल्टेज वाली वितरण प्रणाली तथा खंबे पर लगे ट्रांसफार्मरों, ट्रांसफार्मर सुरक्षा उपकरणों और अलग-अलग फीडरों के लिए ऊर्जा मीटरों को लगाना ।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड

3.69 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 एक एकीकृत समूह है जिसमें नीचे दी गई तालिका के अनुसार 2490 मे.वा. की कुल क्षमता के पिटहैड तापीय विद्युत गृहों से लिंक्ड 24.00 मिलियन टन (मि.ट.) प्रति वर्ष की कुल क्षमता वाली 3 ओपनकास्ट खानें हैं :-

यूनिट	**क्षमता मि.ट.प्रतिवर्ष**	**लिंक्ड यूनिट**
खान - I (विस्तार सहित)	10.5	टी.पी.एस. I 600 मेगावाट टी.पी.एस.- I विस्तार 420 मे.वा.
खान -II	10.5	टी.पी.एस.- II 1470 मे.वा.
खान -I, ए	3.0	नेयवेली में आई.पी.पी. अर्थात् एस.टी. - सी.एम.एस.

प्रथम तापीय विद्युत गृह द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग तमिलनाडु राज्य करता है । तापीय विद्युत गृह - II द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग दक्षिण के राज्य अर्थात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी मिलकर करते हैं । तापीय - I विस्तार से उत्पादित विद्युत का उपयोग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी करते हैं

3.70 कंपनी की प्राधिकृत पूंजी फिलहाल 2000 करोड़ रुपये है । दिनांक 31.3.2005 को प्रदत्त पूंजी 1677.71 करोड़ रुपये थी । कम्पनी के 108.07 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के शेयरों को वित्तीय संस्थानों, म्युचुअलफंडों तथा कर्मचारियों के पक्ष में विनिवेशित किया गया है ।

योजनागत परिव्यय

3.71 एन.एल.सी. के 2004-05 के वास्तविक आंकड़े तथा वर्ष 2005-06 के ब.अनु. तथा सं.अनु. आंकड़े, वर्ष 2006-07 (ब.अनु.) के दौरान वित्त-पोषण का पैटर्न तथा अनुमानित परिव्यय निम्नानुसार है :-

योजनागत परिव्यय एवं वित्त-पोषण पैटर्न

(रु. करोड़ में)

वित्त पोषण पैटर्न	2004-05 वास्तविक	2005-06 ब. अनु.	2005-06 सं.अनु.	2006-07 ब.अनु.
पूंजीगत परिव्यय				
(i) कोयला क्षेत्र	133.56	274.44	117.30	531.00
(ii) विद्युत क्षेत्र	85.45	365.56	250.70	459.00
जोड़	**219.01**	**640.00**	**368.00**	**990.00**
वित्त पोषित/ वित्त पोष्य				
(1) आंतरिक संसाधन	219.01	340.00	158.00	340.00
(2) बांड/रुपया ऋण		220.00	150.00	460.00
(3) विदेशी मुद्रा ऋण		80.00	60.00	190.00
कुल	**219.01**	**640.00**	**368.00**	**990.00**

3.72 क्षेत्र-वार परिव्यय नीचे दिया गया है :-

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम कोयला क्षेत्र	2004-05 वास्तविक	2005-06 ब.अनु.	2005-06 सं. अनु.	2006-07 ब. अनु.
1.	खान - I विस्तार	14.51	13.36	5.40	1.00
2.	खान - I ए.	59.08	65.19	17.54	6.00
3.	खान - II विस्तार	56.51	150.00	86.00	470.00
4.	राजस्थान में खान	0.00	38.69	5.00	40.87
5.	खान - III	0.00	0.40	0.10	0.50

6.	जयमकोन्डम स्थित खान	0.00	1.00	0.10	1.00
7.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0.00	2.77	1.00	1.00
8.	भू-गर्भीय अन्वेषण	0.00	3.03	0.50	5.00
9.	वारसिगर विस्तार खान	0.00		0.10	1.00
10	रिरी खान	0.00		0.10	1.00
11	अन्य	3.46		1.46	3.63
	योग (क)	**133.56**	**274.44**	**117.30**	**531.00**
ख	**विद्युत क्षेत्र**				
1.	टी.पी.एस. I विस्तार	78.55	115.91	17.00	5.00
2.	टी.पी.एस.- II विस्तार	4.28	150.00	150.00	250.00
3.	राजस्थान में टी.पी.एस.	2.42	83.60	83.00	200.00
4.	बी.और सी. स्थल पर टीपीएस	0.00	3.00	0.00	0.00
5.	टी.पी.एस. - III	0.00	2.05	0.10	0.25
6.	तूतीकोरिन में टी.पी.एस.	0.09	5.00	0.10	1.00
7.	उड़ीसा में टी.पी.एस.	0.05	5.00	0.10	1.00
8.	सी.पी.सी.एल परियोजना	0.00	1.00	0.10	0.25
9.	बरसिंगरसर विस्तार टी.पी.एस	0.00	0.00	0.10	0.50
10	रिरी टी.पी.एस	0.00	0.00	0.10	0.50
11	जयकोडंम टी.पी.एस	0.00	0.00	0.10	0.50
12	अन्य	0.06	0.00	0.00	0.00
	योग (ख)	**85.45**	**365.56**	**250.70**	**459.00**
	कोयला तथा विद्युत क्षेत्र का योग (क + ख)	**219.01**	**640.00**	**368.00**	**990.00**

3.73 पूर्ण हो गई परियोजनाओं की स्थिति

पुर्ण हो गई परियोजनाओं की स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गयी है ।

प्रथम खान विस्तार योजना

3.74 लिग्नाइट का उत्पादन 6.5 मि.ट. से बढ़ाकर 10.5 मि.ट. प्रति वर्ष करने की यह परियोजना मार्च, 2003 में चालू की गई । भारत सरकार ने 260.43 करोड़ रू के आई डी सी सहित 1336.93 करोड़ रू की अनुमानित लागत से मार्च, 1992 में मंजूर

की थी । 1658.38 करोड़ रू का संशोधित लागत अनुमान (आर.सी.ई) अनुमोदित (दिसम्बर 2000 आधार) किया गया । यह परियोजना प्रथम तापीय विस्तार (टीपीएस- I विस्तार) से सम्बद्ध है । परियोजना पूरी होने में अनुमानित लागत 1497.84 करोड़ रू है । 1497.84 करोड़ रू की अनुमानित पूर्णता लागत के मुकाबले 31.03.2005 तक 1486.52 करोड़ रू की राशि खर्च हुइ है । मोबाइल ट्रांसफर कंवेयर, जी.डब्ल्यू सी और ड्रिल्स, फिल्ड सेवाओं और पर्यावरणीय उपायों के लिए अन्तिम भुगतान हेतु संशोधित अनुमान 2005-06 की प्रक्षपित निधि की आवश्यकता 5.40 करोड़ रू है । भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त मुआवजा के लिए ब.अ. 2006-07 हेतु निधि आवश्यकता 1.00 करोड़ रू है ।

खान -I ए

3.75 भारत सरकार ने 107.95 करोड़ रू (अक्तूबर, 1997 आधार) सहित 1032.81 करोड़ रू के अनुमानित व्यय से 3 मिलियन टन क्षमता के साथ परियोजना 26.02.1998 को मंजूर किया है । अद्यतन परियोजना लागत अनुमान (जुलाई - 2003 आधार) 1024.90 करोड़ रू है । यह खनन परियोजना नेयवेली क्षेत्र में स्थापित स्वतंत्र विद्युत परियोजना एस.टी.- सीएमएस(आईपीपी) से संबंद्ध है । 1024.90 करोड़ रू के अद्यतन लागत के मुकाबले 929.16 करोड रू की राशि 31.03.2005 तक खर्च की गई है । यह परियोजना मार्च, 2003 में शुरू की गई । भूमि अधिग्रहण, सामान्य और सहायक उपकरणों, पर्यावरणीय उपायों और जी डब्ल्यू सी तथा बिजली उपकरणों के भुगतान के लिए सं.अ. 2005-06 के लिए निधि आवश्यकता 17.54 करोड़ रू है । कन्वेयर की एकल लाईन अपवर्तन जैसे संयंत्र और उपकरणों की खरीद के लिए ब.अ. 2006-07 के लिए निधि की आवश्यकता 6.00 करोड़ रू है ।

प्रथम तापीय विद्युत गृह विस्तार (2 x 210 मे0वा0)

3.76 निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के 252.46 करोड़ रू और मार्च, 95 आधार पर 238.02 करोड़ रू (डीएम 107.22 मिलियन) की विदेशी मुद्रा अंश सहित 1590.58 करोड़ रू के अनुमानित लागत से 210 में0वा0 की दो युनिटों, प्रत्येक को मिलाकर प्रथम तापीय विद्युत गृह का 600 मे0वा0 से 1020 मे.वा0 के विस्तार को भारत सरकार द्वारा 12.02.1996 को स्वीकृत किया गया । आरसीई के अनुसार परियोजना की पूर्णता लागत 1423.47 करोड़ रू. है । यह परियोजना 9.5.2003 (प्रथम यूनिट) से राजस्व धारा में है । 1423.47 करोड़ रू की अनुमानित पूर्णता लागत

के मुकाबले, 1310.12 करोड़ रू 31.3.2005 तक व्यय हो गया है । तट से दूर और तटवर्ती पूर्जो और शेष भगुतान तथा टूल्स और टैकल्स के भुगतान को शामिल करने के लिए संशोधित अनुमान 2005-06 के लिए निधि की आवश्यकता 17.00 करोड़ रू की है । अन्य पैकेजों और उत्पाद शुल्क भिन्नता के अन्तिम भुगतान के लिए ब.अ. 2005-06 हेतु 5.00 करोड़ रू निधि की आवश्यकता है ।

3.77 कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाएं

खान-II विस्तार (10.50 मि0 ट0 प्रति वर्ष से 15.00 मि0 ट0 प्रति वर्ष)

दूसरी खान के प्रस्तावित विस्तार से 10.5 मि0ट0 प्रतिवर्ष से 15 मि0ट0 प्रतिवर्ष तक लिग्नाइट के उत्खनन को, तापीय विद्युत गृह-II में मौजूदा 1470 मे0वा0 में जोड़नेके प्रस्तावित 500 मे0वा0 की आवश्यकता को पूरा करना है । भारत सरकार ने सम्बद्ध विद्युत परियोजना के साथ यह परियोजना अक्तूबर, 2004 में मंजूर कर दी है । अनुमोदित समय अनुसूची के अनुसार लिग्नाइट का उत्पादन 53 वें महीने से शुरू होना है और पूर्ण उत्पादन मंजूरी तारीख से 57 वें माह से शुरू होने की संभावना है । मुख्य खनन उपकरणों के अवार्ड पत्र (एलओए) पहले ही जारी कर दिए गए हैं । आपूर्ति भी आरंभ हो गयी है । सं.अ. 2005-06 में 86 करोड़ रू और ब.स. 2006-07 में 470 करोड़ रू मुख्य खनन उपकरणों के आपूर्ति खण्ड के उत्तरोत्तर भुगतान के लिए प्रदान किए जाते हैं ।

तापीय - II विस्तार (2x 250 मे0वा0)

खान - II विस्तार से सम्बद्ध टी.पी.एस II विस्तार (2x 250 मे0वा0) खान II विस्तार परियोजना के साथ मंजूर किया गया । पहली यूनिट मंजूरी तारीख से 53 वें माह में और दूसरी यूनिट 57 वें माह में शुरू हो जाने की संभावना है । स.अ. 2005-06 में मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए अग्रिम भुगतान के लिए 150 करोड़ रू प्रदान किए गए है जिसके लिए बीएचईएल को एलओए पहले ही जारी कर दिए गए हैं । ब.अ. 2006-07 में, मुख्य संयंत्र पैकेज और अन्य पैकेजों के लिए आपूर्ति अंश के भुगतान हेतु 250 करोड़ रू दिए जाते हैं ।

बरसिंगसर खान और तापीय परियोजनाएं :

इस परियोजना का उद्देश्य बरसिंगसर, जिला राजस्थान में 2.10 मि0ट0 प्रतिवर्ष क्षमता वाली एक खान और 250 मे0वा0 (2x 125 मे0वा0) की लिंक्ड विद्युत परियोजना को विकसित करता है । भारत सरकार ने परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है । संक्षेप में ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-

बरसिंगसर खान (2.1 मि0 ट0 प्रति वर्ष)

254.07 करोड़ रू की परियोजना लागत से यह परियोजना दिसम्बर ,04 में मंजूर की गई । अनुमोदित समय अनुसूची के अनुसार लिग्नाइट उत्पादन मंजूरी की तारीख से 45 वें माह और पूर्ण उत्पादन 54 वें माह से शुरू होने की संभावना है । यह परियोजना बरसिंगसर विद्युत परियोजना (2x125 मे0वा0) से लिंक्ड है । सं.अ. 2005-06 में सिविल कार्य ओवी आउटसोर्सिंग के लिए 5 करोड़ रू प्रदान किए गए हैं जिसे 2005-06 के अन्त तक शुरू किए जाने की संभावना है । बजट अनुमान 2006-07 में सिविल कार्य, ओबी आउटसोर्सिंग विकास कार्यकलाप और हेवी अर्थमूवींग मशीनरी (हेम) के भुगतान के लिए 40.87 करोड़ रू प्रदान किए गए हैं ।

बरसिंगसर विद्युत परियोजना (2x 125 मे0वा0)

बरसिंगसर खान से लिंक्ड बरसिंगसर विद्युत परियोजना (2x 125 मे0वा0) बरसिंगसर खान परियोजना के साथ मंजूर की गई थी । पहली यूनिट मंजूरी की तारीख से 48 वें माह में और दूसरी यूनिट 54 वें माह से शुरू हो जाने की संभावना है । सं.अ. 2005-06 में मुख्य संयंत्र पैकेज के अग्रिम भुगतान के लिए 83 करोड़ रू प्रदान किए गए हैं जिसके लिए एल.ओ.ए. दिसम्बर, 2005 में जारी होने की आशा है । ब.अ. 2006-07 में मेन प्लांट पैकेज और अन्य पैकेजों के आपूर्ति अंश के लिए भुगतान हेतु 200 करोड़ रू का प्रावधान है ।

3.78 तैयार की जा रही नई परियोजनाएं

तुतीकोरीन में कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (2x 500 मे0वा0)

एन.एल.सी. ने तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 1000 मे0वा0 (2x 500 मे0वा0) क्षमता वाला एक कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित

करने का प्रस्ताव किया था । एन.एल.सी. बोर्ड ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया । 2 x 500 मे0वा0 क्षमता की कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एन.एल.सी. और टीएनईबी के बीच 19.06.2003 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । एनएलसी बोर्ड ने संयुक्त उद्यम करार (जेवीए) मसौदा अनुमोदित कर दिया । कोयला मंत्रालय ने भी जेवीए को अनुमोदित कर दिया । संयुक्त एद्यम करार टी.एन.ई.बी के साथ 09.06.2005 को हस्ताक्षर किए गए । भारत सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इस परियोजना को मेगा विद्युत परियोजना का दर्जा दिया है । व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफ.आर) को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है । महानदी कोलफील्ड (एम.सी.एल) ने संकेत दिया है कि कोयले की आपूर्ति तलचर कोलफील्ड से की जाएगी । विशिष्ट लिंकेज प्रदान करने के लिए एन.एल.सी. ने कोयला निंकेज पर स्थायी समिति को पत्र लिया है । विद्युत खरीद समझौता मसौदा (पी.पी.पी) टी.एन.ई.बी को टिप्पणियों के लिए भेजा गया है । परियोजनाओं के लिए अन्य स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में कार्रवाई की गई है । परियोजना की अनुमानित लागत 4000 करोड़ रू होगी । व्यवहार्यता रिपोर्ट और मिट्टी जांच के लिए सं.अ. 2005-06 और ब.अ. 2006-07 में क्रमशः 0.10 करोड़ रू और 1.00 करोड़ रू प्रदान किए गए हैं । परियोजनाओं की मंजूरी/अनुमोदन में प्रगति के आधार पर सं.अ. 2006-07 को अन्तिम रूप देने के दौरान निधि की आवश्यकता समुचित रूप से संशोधित की जाएगी । संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे.वी.सी.) अर्थात एन.एल.सी. तमिलनाडु विद्युत लि0 पहले ही पंजीकृत कर ली गई है ।

उड़ीसा में कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र

एनएलसी ने उड़ीसा में 2000 मे0वा0 (4x 500 मे0वा0) क्षमता वाली कोयला आधारित विद्युत परियोजना पेश करने का प्रस्ताव किया है और कोयला मंत्रालय ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनएलसी को सिद्धान्ततः अनुमोदन दे दिया है । इस परियोजना की अनन्तिम लागत 8000 करोड़ रू होगी । कोल इंडिया ने इस परियोजना के लिए कोयले के स्रोत का पता लगा लिया है । एनएलसी बोर्ड ने अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया और इसे कोयला मंत्रालय को भेजा गया । कोयला मंत्रालय ने 18.65 करोड़ रू के परिव्यय के साथ परियोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है । व्यवहार्यता रिपोर्ट और मिट्टी जांच के लिए सं.अ. 2005-06 और ब.अ. 2006-07 में क्रमशः 0.10 और 1.00 करोड़ रू प्रदान किए गए हैं । परियोजनाओं की मंजूरी/अनुमोदन में प्रगति के आधार पर, स.अ. 2006-07

को अन्तिम रूप देने के दौरान निधि की आवश्यकता समुचित रूप से संशोधित की जाएगी ।

खान- III (8.0 मि.ट. प्रतिवर्ष)

खान- III के संबंध में अग्रिम कार्रवाई योजना के प्रस्ताव को सरकार द्वारा 2.60 करोड़ रूपए की राशि के साथ मार्च, 1999 में स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना क्षेत्र में लिग्नाइट का 313 मिलियन टन खनन योग्य भण्डार है। खान का जीवनकाल 39 वर्ष है । अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव के तहत विस्तृत कार्य योजनाओं को तैयार करना, जल-विज्ञान अध्ययन भूतकनीकी जांच अध्ययन और ई.एम.पी. रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिए गए हैं। लिग्नाइट प्रणाली सरकार की स्वीकृति के 60 महीनों के भीतर चालू कर दी जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत 3450 करोड़ रू. निकाली गई है जिसमें आईडीसी भी शामिल है। व्यवहार्यता रिपोर्ट और मिट्‌टी जांच के लिए सं.अ. 2005-06 और ब.अ. 2006-07 में क्रमशः 0.10 करोड़ रू और 0.50 करोड़ रू का प्रावधान किया गया है । परियोजनाओं की मंजूरी/अनुमोदन में प्रगति के आधार पर सं.अ. 2006-07 को अन्तिम रूप देने के दौरान निधि की आवश्यकता समुचित रूप से संशोधित की जाएगी ।

टी.पी.एस. - III (1000 मे.वा.)

कोयला मंत्रालय ने विस्तृत कार्य योजनाएं तैयार करने, विस्तृत मिट्‌टी की जांच अध्ययन, ईएम.पी रिपोर्ट तैयार करने, स्थल और एप्रोचरोड़ की निकासी आदि जैसे प्रारंभिक कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत 1.35 करोंड़ रूपए का खर्च करने लिए टीपीएस-III परियोजना (2 x 500 मे.वा.) के लिए अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव मार्च, 1999 में अनुमोदित कर दी गई । संशोधित अनुमान 2005-06 और बजट अनुमान 2006-07 में क्रमशः 0.10 करोड़ रू और 0.25 करोड़ रू का प्रावधान किया गया है । परियोजना की मंजूरी/अनुमोदन में प्रगति के आधार पर संशोधित अनुमान 2006-07 को अन्तिम रूप देने के दौरान निधि की आवश्यकता को समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा ।

चेन्नई में रिफाइनरी अपशिप्ट आधारित विद्युत संयंत्र

इस परियोजना को सी.पी.सी.एल और एनएलसी द्वारा 50:50 की इक्विटी भागीदारी से संयुक्त उद्यम परियोजना के तौर पर स्थापित किया जाएगा । परियोजना

की क्षमता 492 मे.वा. होगी । परियोजना की अनुमानित लागत 2837.00 करोड़ रू होगी । सी.पी.सी.एल के साथ यह संयुक्त उद्यम परियोजना है । अक्तूबर, 2003 में कोयला मंत्रालय का सिद्धान्ततः अनुमोदन प्राप्त हो गया था । कोयला मंत्रालय ने परियोजना के लिए फरवरी, 2004 में 2.35 करोड़ रू के लिए अग्रिम कार्रवाई योजना मंजूर कर करद दी है । केवल व्यवहार्याता रिपोर्ट तैयार करने और सहायक कार्य के लिए सं.अ. 2005-06 में 0.10 करोड़ रू और ब.अ. 2006-07 में 25.00 करोड़ रू की राशि मुहैया करायी गई है । परियोजना की मंजूरी/अनुमोदन की प्रगति के आधार पर संशोधित अनुमान 2006-07 को अन्तिम रूप देने के दौरान निधि की आवश्यकता को समूचित रूप से संशोधित किया जाएगा ।

जयमकोडम खान व विद्युत परियोजना

इस परियोजना को मूल रूप से रिलायंस समूह के सहयोग से तमिलनाडु सरकार द्वारा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था । चूंकि यह हो नही सका, तमिलनाडु सरकार ने एनएलसी के साथ संयुक्त उद्यम माध्यम के तहत परियोजना कार्यान्वित करने के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को अनुमति दी । तथापि, एन.एल.सी ने तमिलनाडु सरकार को सूचित किया कि एन.एल.सी. स्वयं इस परियोजना को कार्यान्वित करना चाहता है । परियोजना कार्यान्वित करने के लिए एन.एल.सी. को ही अनुमति देने की तमिलनाडु सरकार की सरकारी पुष्टि शीघ्र मिलने की संभावना है । इस क्षेत्र में 127 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में 1150 मिलियन टन का भूगर्भीय भंडार है और एन.एल.सी. ने 1980 में भूगर्भीय अन्वेषण किया था । 6300 करोड़ रू की अनुमानित लागत से लिग्नाइट खान (9.00 मि.ट. प्रति वर्ष) और लिंक्ड टी.पी.एस. (1000 मे.वा.) स्थापित करने का प्रस्ताव है । यह परिकल्पना की गई है कि 75 प्रतिशत विद्युत की आपूर्ति तमिलनाडु सरकार को की जाएगी । योजना परिव्यय में स.अ. 2005-06 में 0.20 करोड़ रू और ब.अ. 2006-07 में 1.50 करोड़ रू का सांकेतिक प्रावधान है । परियोजनाओं की मंजूरी/अनुमोदन की प्रगति के आधार पर सं.अ. 2006-07 को अन्तिम रूप देने के दौरान निधि की आवश्यकता को समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा ।

बरसिंगसर परियोजनाओं (राजस्थान) का विस्तार

एनएलसी 1250 करोड़ रू की अनुमानित लागत से बीथनाक, गुरहा पूर्वी और हल्दा में लिंक्ड खान के साथ बरसिंगसर विद्युत परियोजना के विस्तार के रूप में 250 मे.वा. विद्युत परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है । भारत सरकार द्वारा अग्रिम

कार्रवाई योजना मंजूर कर दी गई है । योजना परिव्यय में सं.अ. 2005-06 में 0.20 करोड़ रू और बजट अनुमान में 2006-07 में 1.50 करोड़ रू का सांकेतिक प्रावधान किया गया है । परियोजनाओं की मंजूरी/अनुमोदन की प्रगति के आधार पर संशोधित अनुमान 2006-07 को अन्तिम रूप देने के दौरान निधि की आवश्यकता को समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा ।

रिरी खान व विद्युत परियोजना (राजस्थान)

एन.एल.सी. रिरी में लिंक्ड खान के साथ रिरी में 500 मे.वा. विद्युत परियोजना आरंभ करने का विचार कर रही है । परियोजना की अनुमानित लागत 2525 करोड़ रू है । इस क्षेत्र में तत्काल अन्वेषण (138 मि.ट. खनन भंडार की सीमा तक) के लिए संभावित ब्लाक है और यह बरसिंगसर परियोजना से 90 कि.मी. दूर स्थित है । भारत सरकार ने हान ही में अग्रिम कार्रवाई योजना अनुमोदित कर दी है । निवेश-पूर्व कार्यकलापों के लिए योजना परिव्यय में सं.अ. 2005-06 में 0.20 करोड़ रू ब.अ. 2006-07 में 1.50 करोड़ रू का सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।

3.79 नेयवेली क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक जांच

एनएलसी ने इस क्षेत्र में समग्र भू-वैज्ञानिक भण्डारों की पुष्टि करने के लिए सम्पूर्ण नेयवेली क्षेत्र को शामिल करने हेतु गहन अन्वेषण कार्यक्रम तैयार किया था। वर्ष 2005-06 के दौरान खान 1 ए फेस-I, जयमकोंडम नार्थ ब्लाक रिरी नार्थ ब्लाक आदि में अन्वेषण संबंधी ड्रिलिंग करने का प्रस्ताव है । वर्ष 2006-07 में जयमकोंडम, रिरी ब्लाकों में भू-तकनीकी, भू-जलविज्ञान ओर भू-भौतिकीय लागिंग कार्य करने का प्रस्ताव है । सं.अ. 2005-06 और ब.अ. 2006-07 में क्रमशः 0.50 करोड़ रू और 5.00 करोड़ रू का प्रावधान है ।

3.80 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

एनएलसी के पास अनुप्रयुक्त अनुसंधान तथा विकास केन्द्र है जो लिग्नाइट और कम्पनी के अन्य रासायनिक उत्पादों के उपयोग के लिए विभिन्न अध्ययन करता है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए संशोधित अनुमान 2005-06 तथा बजट अनुमान 2006-07 में 1-1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । परियोजनाओं की मंजूरी/अनुमोदन की प्रगति के आधार पर संशोधित अनुमान 2006-07 को अन्तिम रूप देने के दौरान निधि की आवश्यकता को समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा ।

3.81 10वीं योजना-परिव्यय और वित्त-पोषण पद्धति

भारत सरकार ने 10वीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान कोयला के लिए क्रमशः 6125.94 करोड़ रूपए और विद्युत क्षेत्र के लिए 8007.64 करोड़ रूपए के साथ 14133.58 करोड़ रूपए का योजना परिव्यय अनुमोदित किया है ।

3.82 उत्पादन तथा उत्पादकता

बजट अनुमान 2005-06, संशोधित अनुमान 2005-06 और बजट अनुमान 2006-07 के लिए उत्पादन कार्यक्रम तालिका में दिया गया है :

पिछले वर्ष की तुलना में 2004-05 में प्रति व्यक्ति पाली उत्पादन, 2005-06 के लिए अनुमान एवं 2006-07 के लिए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :-

(टन में)

ओपनकास्ट	वास्ताविक 2004-05	ब.अ. 2005-06	सं.अ. 2005-06	ब.अ. 2006-07
पहली खान	10.12	8.20	8.39	7.57
दूसरी खान	9.11	8.44	8.06	8.33
खान-I ए	18.64	17.66	19.05	14.87
कुल खान	10.41	8.91	8.91	8.45

3.83 वित्तीय कार्य- निष्पादन

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का वित्तीय निष्पादन अच्छा रहा है । कम्पनी का कुल व्यवसाय वर्ष 2004-05 में 3001.94 करोड़ रुपये का रहा । कम्पनी की कुल परिसम्पत्तियां 31.3.2004 को 8888.32 करोड़ रुपये की तुलना में 31.3.2005 को 9694.45 करोड़ रुपये हो गयी । इसी प्रकार शुद्ध मूल्य 31.3.2004 के 6824.25 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 31.3.2005 को 7673.05 करोड़ रुपये हो गयी । नियोजित पूंजी पर आय की प्रतिशतता वर्ष 2003-2004 के 13.17 % की तुलना में 2004-2005 में 12.82 % थी ।

यह कम्पनी पिछले 29 वर्ष से लगातार लाभ कमा रही है । कम्पनी को वर्ष 2004-05 के दौरान 1215.00 करोङ रुपये का शुद्ध लाभ (कर पश्चात) हुआ । एन.एल.सी. का 2002-2003 से आगे का कार्य-चालन परिणाम नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कर पूर्व लाभ	कर पश्चात् लाभ
2002-03	1687.83	1148.40
2003-04	1413.08	1143.51
2004-05	1756.68	1215.00

3.84 मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन के क्षेत्र का प्रमुख् उद्देश्य अपने लोगों को प्रभावकारी, कार्य आधारित तथा विकासात्मक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना है । इसके लिए एन.एल.सी. की दोतरफा योजना है ; सतत आधार पर विशिष्ट रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराकर वांछित व्यवहार संबंधी विशेषताओं और कार्य-कौशलों को सुदृढ़ करना और दूसरे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षिण कार्यक्रम आयोजित कराके नई पहल करना। यद्यपि कर्मचारियों को इन-हाउस, बाहरी तथा विदेशी प्रशिक्षणों के लिए प्रायोजित किया जाता है, परन्तु क्षमताओं के विकास पर भी बल दिया जाता है। इस संदर्भ में वर्ष 2003-2004 के दौरान 7382 से अधिक कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर दिया गया और 552 कर्मचारियों को शहर से बाहर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया है । 15 अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी विकास के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुभव भी प्रदान किए गए। कम्प्यूटरीकरण सहित नए प्रौद्योगिकीय विकासों के प्रति सकारात्मक रूख उत्साहवर्धक रहा है । श्रमिकों की भागीदारी के विभिन्न रूपों के प्रति अधिक जागरूकता और मानव संसाधनों की सक्रिय भागीदारी उल्लेखनीय है ।

3.85 गुणवत्ता मंच

एन.एल.सी. में गुणवत्ता मंचों को महत्व दिया जाता है और कार्य स्थल संबंधी समस्याओं के हल और गुणवत्ता मंच अभियान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 330 गुणवत्ता मंच बनाए गए हैं क्योंकि कार्य-संस्कृति में सुधार करने तथा अलग-अलग कर्मचारियों के आत्मविकास और उन्नति के लिए यह एक मंच उपलब्ध कराता है ।

3.86 मानव संबंध

एन.एल.सी. में नियोजक नियोक्ता संबंध काफी हद तक सौहार्दपूर्ण और मधुर बने रहे । भागीदारी प्रबंधन की विचार धारा में विश्वास करते हुए विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक समितियों के माध्यम से सभी स्तर के कर्मचारियों का परस्पर सम्पर्क होता रहता है । इसने प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच परिपक्व समझ, स्पष्ट संचार तथा आपसी विश्वास को सुकर बनाया है । शीर्ष प्रबंधन तथा यूनियनों की संयुक्त परिषद प्रारम्भ में ही मुद्दों को सुलझाने और छोटी कलहों को भयावह रूप धारण करने से रोकने में अपने श्रेठ प्रयास करने के लिए एकजुट हो जाते हैं ।

3.87 सामुदायिक कल्याण

एन.एल.सी. नेयवेली स्थित अपने कार्य-चालन केन्द्रों, कारपोरेट कार्यालय तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देता आ रहा है । 50 लाख रु. का वार्षिक बजट प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक सुविधाओं जैसे सड़कों, रोशनी, पेयजल व्यवस्था, स्कूल भवनों के विकास, सफाई ग्रामीण खेलों आदि की उन्नति आदि जैसे परिधीय विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है । आवश्यकता की स्थिति में अतिरिक्त व्यय भी निगम द्वारा वहन किया जाता है । वर्ष 2004-05 के दोरान परिधीय विकास कार्यों के लिए 109.35 लाख रू की राशि मंजूर की गई । खानों से अधिशेष जल को सिंचाई के लिए समीपवर्ती गाँवों में भेजा जाता है। एलएनसी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के लिए बल वाले क्षेत्रों में सामान्यतः पड़ौसी गांवों और स्थानीय जनता का उत्थान करना है।

3.88 चिकित्सा सेवाएं

एन.एल.सी.अपने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा आम जनता की चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 369 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल तथा 5 परिधीय डिस्पेन्सरियों को सुसज्जित तथा उनका रख-रखाव करती रही है और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सभी विशेषज्ञताओं तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों पर अच्छी गुणवत्ता बाल चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराती रही है। यहां प्रतिवर्ष 10.00 लाख बाह्य रोगी दिवसों तथा 14000 अंतरंग रोगी दिवसों का चिकित्सा उपचार किया जाता है। वरिष्ठ कर्मचारियों के स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार लाने के लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र के कार्यपालकों और 55 वर्ष से अधिक उम्र के कामगारों के लाभ के लिए वैकल्पिक मास्टर स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।

3.89 शिक्षा

नेयवेली टाउनशिप राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से प्रबंधन द्वारा संचालित 15 स्कूलों के साथ एक उत्तम शिक्षण केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रखाना जारी रखा है । एन.एल.सी. जवाहर एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से स्कूल और कालेज संचालित करता है और नेयवेली कैम्पस में अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा स्कूल चलाने की भी अनुमति दी हुई है । नेयवेली में छात्रों की कुल संख्या लगभग 35,000 है । प्राथमिक स्कूलों (v स्तर तक) में पढ़ने वाले बच्चों को प्रत्येक वर्ष निःशुल्क यूनिफार्म के 2 सेट और चप्पल दी जाती है । एन.एल.सी. को इन सेवाओं के अतिरिक्त आस-पास के गांवों को एन.एस.एस. स्वयंसेवी सेवाएं भी दी जा रही है । एन.एल.सी. हमेशा जरूरत आधारित प्रशिक्षण पर बल देता है । छात्रों को प्रोत्साहन देने और उनकी सर्वोत्कृट क्षमता को उजागर करने के लिए प्रबंधन, छात्रों को छात्रवृतियाँ और वित्तीय सहायता भी दी जाती हैं ।

3.90 खेल-कूद

सभी खेल-कूल सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए सांस्थानिक ढांचे द्वारा राष्ट्रीय स्तर की टीमों का निर्माण करने के लिए और खेलकूद तथा खेल का संवर्धन करने के उद्देश्य से ने. लि.का. द्वारा गठित खेल नियंत्रण बोर्ड खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेलकूद की आधारिक संरचना के विकास तथा अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहा है । नेयवेली में 40,000 की क्षमता का एक बड़ा बहुउद्देशीय स्टेडियम है, जिसके चारों ओर हरियाली है । उसमें अनेक फ्लड लाइटों वाले मैदान बास्केट बॉल, वॉली बॉल, तथा बैडमिंटन कोर्ट हैं, हॉकी का मैदान है, स्वीमिंग पूल है, गोल्फ का मैदान है । खेलकूद की ये सभी सुविधाएं खिलाड़ियों, कर्मचारियों तथा नेयवेली की आम जनता के लिए उपलब्ध हैं। एन.एल.सी. की शतरंज टीम अपनी सफल भागीदारियों के कारण सारे भारत में विख्यात है ।

3.91 सामाजिक कल्याण के उपाय

एन.एल.सी. अपनी समाज कल्याण की गतिविधियों से समाज के पात्र वर्गों के लिए आशा की किरण सिद्ध होगी।

एनएलसी न केवल आधारिक संरचना सुविधाएं मुहैया कराता है बल्कि ने.लि.का. स्नेहा अपार्च्युनिटी स्कूल को अनुदान सहायता संरचना मुहैया भी कराता है जो मानसिक रूप से अपंग बच्चों के लिए दिवस-देखभाल केन्द्र (डे केयर सेंटर) चलाती है । यह

स्कूल बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है और उन्हें योग, खेलों, आर्ट एवं क्राफ्ट, बुनाई, लकड़ी का काम, बागवानी, स्क्रीन प्रिन्टिंग, गुड़िया बनाना जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करता है ताकि वे स्वावलम्बी बन सके और अपनी जीविका उपार्जित करने के योग्य बन सकें । सुनामी आपदा 2004-05 के दौरान एन.एल.सी. ने न केवल राहत कार्य के लिए 2.00 करोड़ रू का योगदान दिया है बल्कि जीवनरक्षक दवाएं, एम्बुलेन्स सेवाएं भी दी है । इसके लिए एन.एल.सी. के कर्मचारियों ने भी 88.92 लाख रू का योगदान दिया है । तमिलनाडु में 2005 में भीषण बाढ़ के दौरान कुड्डालोर जिला गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और सहायता का हाथ बढ़ाते हुए, एन.एल.सी. ने राहत कार्य के लिए 1.00 करोड़ रूपए का योगदान दिया ।

नेयवेली हेल्थ प्रोमोशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी (एनएचपीएसडब्ल्यूएस) टाउनशिप तथा नजदीकी झोपड़ीपट्टी के विकलांगों, विधवाओं तथा निस्सहाय महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों के लाभ के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस सोसाइटी के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :-

* पुनर्वास
* कृत्रिम अंग केन्द्र
* शिक्षण कार्यक्रम-कम्प्यूटर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, तथा परिवार कल्याण शिक्षा ।
* सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, शराब सेवन करने वालों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम तथा बधिरों के लिए स्कूल चलाना (श्रवणी) ।
* भगवान महाबीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर और विकलांगों के विशेष पुनर्वास आयुक्त चेन्नई के सहयोग से विशेष कृत्रिम अंग शिविर आयोजित किया गया और जिला प्राधिकारी ने 1060 से अधिक विकलांगों की पहचान की और उन्हें कैलिपर्स, कृत्रिम अंग क्रन्चेज और जूते प्रदान किए गए ।

3.92 पुरस्कार

हाल की अवधि के दौरान एनएलसी द्वारा प्राप्त किए पुरस्कार के ब्यौरे निम्नलिखित है :-

- खान । और । क तथा खान ।। के लिए आईएस ओ 9001: 2005 प्रत्यायन
- एक सामाजिक सेवा संगठन हेल्पेज इंडिया से कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार

- विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2003-04 में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए तापीय विद्युत गृह-I को " गोल्ड शील्ड" प्रदान किया है।
- एन.एल.सी. को दून एण्ड ब्रैडस्ट्रीट में भारत के 500 शीर्ष कम्पनियों 2004 में 56 वां स्थान मिला है ।
- एन.एल.सी ने एफआईसीसीआई के संबद्ध निकाय, अखिल भारतीय कर्मचारी संगठन से वर्ष 2003-04 के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक संबंध लिए प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है ।

अध्याय-4

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948

4.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना, जो कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाई गई थी, भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान करती है । नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस अधिनियम के अधीन नहीं आता है । कोयला खान भविष्य निधि में कर्मचारी अपनी परिलब्धियों के 12% की दर से अंशदान करते हैं तथा नियोजक भी बराबर की राशि का अंशदान करते हैं । पिछले वर्ष की भविष्य निधि की शेष राशि पर प्रतिवर्ष 8 % की दर से ब्याज दिया गया था । इस निधि में एकत्रित संपूर्ण राशि का वित्त मंत्रालय और सी.एम.पी.एफ. के न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश किया जाता है । यह निधि न्यासियों के त्रिपक्षीय बोर्ड, जिसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों और केन्द्रीय/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, के अधीन होती हैं और यह बोर्ड इसका संचालन करता है । इस योजना का विस्तृत ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 (अक्तूबर,2005 तक)	2006-2007 अनुमानित
योजना के अधीन कोयला खानों/संयत्रों की संख्या (वर्ष के अंत तक)	971	971	971
वर्ष के दौरान जीवित सदस्यों की संख्या (लाख में)	6.99	5.97	5.54
वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित अंशदान (करोड़ रु. में)	1929.28	1468.00	1950.00
निधि के सदस्यों को दी गई ब्याज की दर	8.00%	8.00%	8.00%
वर्ष के दौरान अग्रिम (करोड़ रु. में)	610	250	500
वर्ष के दौरान भविष्य निधि की वापसी (करोड़ रु. में)	2151.87	1610.91	2170.00
(i) निपटाए गए मामलों की संख्या (वापसी)	25863	13805	21000
(ii) प्राप्त मामलों की संख्या (वापसी)	26211	14329	24000
अधिकारियों की संख्या	45	45	45
कर्मचारियों की संख्या	1237	1140	1170

कोयला खान पेंशन योजना, 1998

4.2 कोयला खान भविष्य निधि संगठन के इतिहास में कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को लागू करना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 5 मार्च, 1998 को अधिसूचित किया गया है ।

4.3 कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुई है और उक्त तारीख को सदस्यों की संख्या 7,82,578 थी, जो देश की विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत थे। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

(i) निधि का संग्रह और उसे कायम रखना :-

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) नियत दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति ;

(ख) कर्मचारी के वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि, जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के बराबर - बराबर शेयर के कुल अंशदान हैं, कर्मचारी की निधि से नियत दिन से अंतरित किया जाना है ;

(ग) 1 अप्रैल , 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण की तारीख , इनमें से जो भी बाद में हो, से 31-3-1996 तक कर्मचारी के वेतन के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल, 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, कर्मचारी के काल्पनिक वेतन की 2% राशि उसके वेतन से अंतरित की जायेगी ;

(घ) कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिगणित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि, कर्मचारी के वेतन से 1-7-1995 अथवा नियुक्ति की तारीख से , इसमें से जो भी बाद में हो, अंतरित की जानी है ;

(ड.) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केन्द्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है ;

(च) इस योजना के नये सदस्यों द्वारा योजना के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार राशि जमा की जाएगी ।

न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष पेंशन निधि का मूल्यांकन करवाने की जिम्मेदारी आयुक्त की है ।

(ii) **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-**

(क) वे सभी कर्मचारी, जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31.3.1998 को कर्मचारियों की नामावली में थे ।

(ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31-3-1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए ।

(ग) इस योजना के सभी नए सदस्य जिन्होंने पीएस-1 और पीएस-2 प्रपत्र में, जैसी भी स्थिति हो, पेंशन निधि की सदस्यता को चुना था ।

(घ) 1.4.94 से 31.3.98 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.8.2004 के जीएसआर सं. 521(ई) के माध्यम से योजना के मानित सदस्यों के रूप में माना जाएगा।

(iii) **लाभ :-**

(क) मासिक पेंशन
(ख) विकलांगता पेंशन
(ग) मासिक विधवा अथवा विधुर पेंशन
(घ) बाल पेंशन
(ड.) अनाथ पेंशन
(च) अनुग्रह अदायगी

4.4 2004-2005 के दौरान केन्द्र सरकार ने पेंशन योजना में 25.8752 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। 2005-2006 (संशोधित अनुमान)में रू. 19.75 करोड़ रू. और 2006-2007 (बजट अनुमान) में 20.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन योजना चलाने हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में 2005-2006 (संशोधित अनुमान) में रू. 4.7744 करोड़ रुपए का अंशदान और 2006-2007 (बजट अनुमान) में 4.7769 करोड़ रुपए का अंशदान करने की संभावना है ।

4.5 **निम्नलिखित सारणी योजना के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है :-**

क्र.सं. विवरण	2004-2005 वास्तविक	2005-2006 अनंतिम (अक्तू., 2005 तक)	2006-2007 (अनुमानित)
(i) कोयला खान पेंशन योजना की सदस्यता	7.21	7.17	7.09
(ii) पेंशन योजना में वर्ष के दौरान नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकार द्वारा किया गया अंशदान एवं ब्याज (करोड़ रुपए में)	1022.91	765.19	1050.00
(iii) लाभों का संवितरण (समाप्त परिवार पेंशन योजना और पेंशन योजना) (करोड़ रु. में)	317.79	238.35	330.00
(iv) (क) परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभ (अब समाप्त) के निपटाए गए मामलों की संख्या (ख) निपटाए गए पेंशन के मामले	226 30,850	21 20,617	40 21,000
(v) (क) प्राप्त हुए परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभ के मामलों की संख्या (ख) प्राप्त हुए पेंशन मामलों की संख्या	254 36,725	18 18,134	50 24,000
(vi) निपटाए गए अन्य लाभों के मामलों की संख्या	3	1	2
(vii) प्राप्त हुए अन्य लाभों के मामलों की संख्या	7	1	2

कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976

4.6 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना 1 अगस्त, 1976 से लागू की गई थी । इस योजना में यह व्यवस्था है कि यदि योजना के किसी सदस्य की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को उसके भविष्य निधि खाते में पिछले तीन वर्षों में जमा शेष राशि के औसत के बराबर धनराशि, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000/- रुपए होगी; दी जाएगी ।

4.7 इस योजना के अनुसार, नियोजकों द्वारा कुल वेतन के 0.5% की दर से अंशदान किया जाना अपेक्षित है । केन्द्र सरकार के लिए भी नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के 50% के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित है ।

4.8 इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने 2004-2005 में 1.3586 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किया है । इस योजना के लिए 2005-2006 के संशोधित अनुमान में 1.37 करोड़ रू. तथा 2006-2007 (ब.अ.) के अंतर्गत 1.37 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अनुरक्षण के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में 2005-06 (सं.अनु.) में 0.26 करोड़ रूपए तथा 2006-07 (बजट अनुमान) में 0.26 करोड़ रू. का अंशदान करने की संभावना है ।

4.9 नीचे दी गई तालिका योजना के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है ।

कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**2004-2005 वास्तविक**	**2005-2006 अनंतिम (अक्तू, 2005 तक)**	**2006-2007 (अनुमानित)**
(1)अंशदान की कुल राशि (नियोक्ता का और सरकारी अंशदान)	3.81	2.86	4.00
(2)केन्द्रीय प्रशासनिक खाते में प्राप्त कुल राशि	0.70	0.50	0.70
(3)जमा सम्बद्ध बीमा योजना में से किया गया निवेश और सावर्जनिक लेखाओं में जमा राशि	11.06	2.60	12.50
(4)बीमा निधि में से किया गया निवेश (केन्द्रीय प्रशासनिक लेखा)	4.35	3.27	4.40
(5)बीमा निधि (केन्द्रीय प्रशासनिक लेखा) में से किया गया कुल निवेश	33.24	24.93	33.50

4.10 जमा सम्बद्ध बीमा योजना के प्रशासन संबंधी खर्च को नियोजकों द्वारा वहन किया जाता है, जो इसके लिए कुल वेतन का 0.1% की दर से अंशदान करते हैं । सरकार द्वारा भी इस प्रयोजन के लिए नियोक्ता के अंशदान के 50 प्रतिशत अर्थात् कुल वेतन के 0.5 % का अंशदान करना अपेक्षित है । इस योजना के लिए स्वतंत्र रूप में कोई कर्मचारी नियोजित नहीं किया जाता है । इस योजना में साझी मदों पर आनुपातिक व्यय की हिस्सेदारी प्रभारित की जाती है ।

अध्याय - 5

वास्तविक उपलब्धियों के ब्यौरे

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/निष्कर्ष	योजना परिव्यय सं.अनु. (2005-06) वास्तविक 12/05 (करोड़ रू. में)	मात्रात्मक आपूर्ति योग्य/ वास्तविक उत्पादन	वास्तविक उपलब्धियां अक्तूबर, 2005
1	2	3	4	5	6
1	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम**	प्रौद्योगिकी/पद्धति का विकास और वाणिज्यिक प्रयोग हेतु इसका सफल अंतरण	21.09 / 10.50	56 चालू योजनाएं । इन विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के निष्कर्ष से खानों/वाशरियों की सुरक्षा, प्रचालन आदि में सुधार लाने में कोयला क्षेत्र को सहायता मिलने की संभावना है ।	दिसम्बर,2005 के अंत तक 8 परियोजनाएं पूर्ण हैं ।
2	**क्षेत्रीय अन्वेषण**	राष्ट्रीय सम्पत्ति सूची में कोयला लिग्नाइट के अतिरिक्त संसाधनों को जोड़ना, कोयला/लिग्नाइट संसाधन सूचना पद्धति तैयार करना और सीबीएम अध्ययन ।	49.88 / 32.00	(i) 1.58 लाख मीटर की ड्रिलिंग (कोयला = 0.89, लिग्नाइट = 0.69) (ii) कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन सूचना पद्धति का	0.718 लाख मीटर ड्रिलिंग सतत प्रक्रिया है ।

				सृजन । इससे कोयला ब्लॉकों के आवंटन, कोयला उत्पादन की आयोजना आदि में अवगत निर्णय के लिए अवसर मिलेगा । (iii) 20 बोरहोलों का सी.बी.एम. अध्ययन । यह क्षेत्रीय अन्वेषण के अंतर्गत अन्वेषित किए जा रहे क्षेत्रों में सी.बी.एम. की क्षमता के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा ।	सतत प्रक्रिया है ।
3	**विस्तृत ड्रिलिंग**	संभाव्यता अध्ययन की दिशा में भू-गर्भीय रिपार्टे तैयार करने में उपयोग के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण और आंकड़ा तैयार करने के दौरान अभिज्ञात दर्शाए गए/अनुमानित संसाधन साबित करना और परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ।	18.81/ 18.54	गैर-सी.आई.एल. ब्लॉक में 0.38 लाख मीटर की ड्रिलिंग । उससे समर्थ उद्यमियों को ब्लॉकों की पेशकश करने के लिए डॉकेट तैयार करने में सहायता मिलेगी ।	0.145 लाख मीटर ड्रिलिंग
4.	**पर्यावरणीय उरपाय और धंसाव नियंत्रण**	(i) आग और धंसाव से निपटना और डिग्रेड भूमि का सुधार।	28.64/ 25.00	इससे खतरनाक क्षेत्रों से लोगों को हटाकर झरिया	

		(ii)गांव के नीचे खाली जगह में अगम्य भरे पानी का स्थायीकरण। (iii) बीसीसीएल के अति जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को हटाना और ईसीएल के अस्थाई इलाकों का पुनर्वास । (iv) आग से निपटना और आग तथा रेलवे लाइन और जोड़ की रक्षा के लिए धंसाव नियंत्रण ।		और रानीगंज कोलफील्डों के कीमती कोकिंग कोयले और उच्च श्रेणी के नॉन-कोकिंग भंडारों के संरक्षण होने की संभावना है । 14 चालू परियोजनाएं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः- (i)391 मकानों को हटाना (ii) गड्ढों की रेत-भराई तथा 259214 लाख घन मीटर रेत से आग को बुझाना । (iii) 1094 परिवारों को पुनः बसाना । (iv) रेत के लिए 323 बोरहोलों को ड्रिलिंग (v) 1.71 लाख घन मीटर मिट्टी की ढुलाई ।	 223 मकान खाली कराए गए 223538 घन मीटर निर्मित मकान 344 103 बोरहोल 1697 घन मीटर

5.	**कोयला नियंत्रक**	कोलियरी नियंत्रण आदेश 2000 आदि जैसे विभिन्न विधानों से लिए गए विविध सांविधिक कार्यो का निपटारा करना और कोयले के आंकड़े एकत्रित करना ।	0.22/ 0.14	सतत प्रक्रिया है	-
6.	**सचिवालय आर्थिक सेवा**	कार्यालय में आई.टी. सुविधा की व्यवस्था करना ।	1.00 / 0.02	सतत प्रक्रिया है	
7.	**पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान**		25.00/ 0.00	मात्रा नहीं दी जा सकती है।	-
8.	**सार्वजनिक उद्यम में निवेश**	सीआईएल-उत्पादन 363.80 मि.ट. एससीसीएल- उत्पादन 37.50 मि.ट. एनएलसी- लिग्नाइट उत्पादन 20.40 मि.ट. विद्युत- 15705 एमयू	आईईबीआर सीआईएल = 2224.00/ 920.39 एससीसीएल= 395.00/253. 03 एनएलसी= 368.00/92.44	परियोजनाओं का कार्यान्वयन, कोयला, लिग्नाइट का उत्पादन, ओवरबर्डन रिमूवल तथा विद्युत उत्पादन	सीआईएल द्वारा कोयले का अनुमानित उत्पादन 343.00 मि.ट.प्रतिवर्ष एससीसीएल द्वारा कोयले का उत्पादन 36.00 मि.ट.प्रतिवर्ष एनएलसी द्वारा लिग्नाइट का अनुमानित उत्पादन 20.40 मि.ट.प्रतिवर्ष । एनएलसी द्वारा विद्युत का अनुमानित उत्पादन 15705 मिलियन यूनिट । सीआईएल

					में 100 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत की नयी परियोजनाएं 11 । एनएलसी में 100 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत की 4 नयी परियोजनाएं ।
9.	**कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा**	भरने/सुरक्षात्मक कार्य की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति	66.11/ 0.00	मात्रा नहीं दी जा सकती है ।	*
10.	**कोलफील्डों में परिवहन अवसंरचना का विकास**	परिवहन अवसंरचना के विकास की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति	50.00/0.00	मात्रा नहीं दी जा सकती है।	*

* पहले, इन दोनों परियोजनाओं का वित्त-पोषण गैर-योजना से किया गया था । तथापि 2005-06 के संशोधित अनुमान में वित्त मंत्रालय ने योजना व्यय के रूप में 116.11 करोड़ रूपए का अनुपूरक अनुदान मंजूर किया है ।